चतुर्दश माला, खंड 8, अंक 16

शनिवार, 19 मार्च, 2005

28 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

श्री निखिल कुमार चौधरी 107-110

श्री भर्तृहरि महताब 110-113

श्री असादूद्दीन ओवेसी 113-116

प्रो. एम. रामदास 116-128

श्री कपिल सिब्बल 128-129

बिहार बजट 2005-2006–सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें (बिहार) 2005-2006

और

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (बिहार) 2004-2005 130-137

श्री नीतीश कुमार 137-145

श्री निखिल कुमार 145-151

श्री बासुदेव आचार्य 151-154

श्री रघुनाथ झा 154-161

श्री उदय सिंह 161-163

श्री राम कृपाल यादव 163-166

श्री पी. चिदम्बरम 166-172

बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 172-173

खंड 2, 3 और 1 173-174

पारित करने के लिए प्रस्ताव 174

बिहार विनियोग विधेयक, 2005

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 174-175

खंड 2, 3 और 1 175-176

पारित करने के लिए प्रस्ताव 176

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शनिवार, 19 मार्च, 2005/28 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम शीतकालीन सत्र में हुए मतभेदों को भुला दें। मुझे आशा है कि इस सत्र में इस प्रकार के मतभेद नहीं होंगे।

राष्ट्रपति का संदेश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे राष्ट्रपति महोदय से 15 मार्च, 2005 को निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

"25 फरवरी, 2005 को एक सभा समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं स्वीकार करता हूं।"

पूर्वाह्न 11.01 बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

पांचवें से आठवां प्रतिवदेन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 1 को लेंगे। ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति - श्री कल्याण सिंह।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह (बुलन्दशहर): अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय: आपकी सीट यह नहीं है, दूसरी जगह है। लेकिन आज मैं आपको यहां से परमिट कर रहा हूं।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): मैंने इन्हें पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि आपकी सीट आगे है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने साथ बैठे लोगों से खुश नहीं हैं?

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह: आज आप अनुमति दे दें। आगे से मैं करेक्ट कर लूंगा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आज के लिए इसकी अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन;

(2) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन;

(3) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवदेन;

(4) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करने के लिए उठा हूं कि 21 मार्च, 2005 सोमवार को आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान किए जाने वाले सरकारी कार्य निम्नलिखित होंगे:-

1. आज के आदेश पत्र से अग्रनीत सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. निम्नलिखित पर विचार और उन्हें पारित करना:-
   (क) राज्य सभा द्वारा यथा पारित पैरेल इन्वेस्टमैंट एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध ग्रहण) निरसन अधिनियम, 2005।
   (ख) राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद तटीय मत्स्यपालन प्राधिकरण अधिनियम, 2004।

अध्यक्ष महोदय: श्री तुकाराम गणपत राव रेंगे पाटिल उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के अगले सप्ताह के एजेंडा में निम्नलिखित मानव हित एवम् जनहित कार्यों को शामिल करने की कृपा करें:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र में 1998 से 2004 तक ग्रामीण विकास योजनाओं एवम् विशेषकर पेयजल योजनाओं पर आबंटित धनराशि 750 करोड़ रुपए के कार्यों की समीक्षा कार्य।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में एयरपोर्ट के लिए ली गई जमीन पर एयरपोर्ट बनाने का कार्य एवम् इस पर हो रहे अवैध कब्जे हटाने का कार्य।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश प्रभु...उपस्थित नहीं।

श्री बची सिंह रावत: उपस्थित नहीं।

तब इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है?

[हिन्दी]

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह के दौरान सभा में चर्चा के निम्न विषय सम्मिलित किए जाएं:-

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत सदन में रखे गए अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार; और
2. क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के असीम प्राकृतिक संसाधनों के दोहन हेतु आर्थिक सहयोग हेतु विशेष श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित करने पर विचार।

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के अगले सप्ताह के एजेंडा में निम्नलिखित मानव हित एवम् जनहित कार्यों को शामिल करने की कृपा करें:-

1. गुजरात में बनासकांठा जिले को अति पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष पैकेज जारी किए जाना के कार्य।
2. गुजरात के बनासकांठा जिले में कृषि आधारित उद्योग स्थापित किए जाने का कार्य।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष जी, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किये जाएं।

(1) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के संबंध में।
(2) जोधपुर नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराज उम्मेद सिंह हवाई अड्डा घोषित करने के बाबत।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेन्द्र कुमार...उपस्थित नहीं।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय...उपस्थित नहीं।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

बीमांकक विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब सभा मद संख्या 3 को लेगी। श्री पलानीमनिक्कम, विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, अपने वरिष्ठ साथी श्री पी. चिदम्बरम की ओर से मैं बीमांककों के व्यवसाय का विनियमन और विकास तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

बीमांककों के व्यवसाय का विनियमन और विंकास तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम सभा में लोक महत्व के कुछ अत्यावश्यक मुद्दे उठाएं।

श्री पी. मोहन।

****श्री पी. मोहन** (मदुरै): माननीय अध्यक्ष महोदय, मदुरै शहर में दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रम निर्माण केन्द्र का निर्माण किया गया है और स्टूडियो की स्थापना का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। लंबा समय बीत जाने के बाद भी वहां स्टूडियो में कार्य आरंभ नहीं किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण सुविधा केन्द्र है और दक्षिण तमिलनाडु के लिए कार्यक्रमों को आरंभ करने वाला अपने प्रकार का केवल एक केन्द्र है। हालांकि, निर्माण कार्य बहुत पहले पूरा कर लिया गया है, परन्तु इस दूरदर्शन केन्द्र का उद्घाटन नहीं किया गया है। ऐसा पता चला है कि वित्त मंत्रालय से कार्यक्रम कर्मचारी वर्ग के पदों को भरने हेतु स्वीकृति की प्रतिक्षा की जा रही है। मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्री से स्वीकृति आने तक वह भारत के अन्य दूरदर्शन केन्द्रों से इच्छुक कार्यक्रम कर्मचारियों की तत्काल तैनाती करें। दूरदर्शन कार्यक्रमों के ऐसे बहुत से कुशल और योग्य, कर्मचारी हैं जो मदुरै आने के लिए इच्छुक होंगे। अत: दक्षिणी तमिलनाडु के लिए इस कार्यक्रम सुविधा केन्द्र को तत्काल आरंभ किया जाए। मैं केन्द्र सरकार से पदों को स्वीकृत करने, निधियां आवंटित करने और इस दौरान अन्य केन्द्रों से लिए गए कर्मचारियों के साथ कार्यक्रम सुविधा केन्द्र को आरंभ करने का अनुरोध करता हूं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, आज 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'कनिष्का बम दुर्घटना' के संबंध में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें पीड़ितों के हित में निर्णय नहीं दिया गया है। पीड़ितों की समस्याओं के निवारण के विषय में यह मौन है। इस निर्णय के संबंध में न तो विदेश मंत्रालय ने और न ही सरकार ने कोई वक्तव्य दिया है। अत:, ऐसा लगता है कि अन्य देशों के कानूनी निर्णय पर कार्यवाही करने के लिए देश में कुशल वकील नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या अन्य देशों के निर्णयों पर कार्यवाही करने के लिए हम कोई कानून बनाएं?

श्री बिक्रम केशरी देव: नहीं, महोदय, निर्णय अन्य देश में दिया गया। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्य देशों के कानूनों के बारे दक्ष बनाने के लिए सरकार वकीलों को प्रशिक्षण दे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। कार्यवाही हेतु यह अच्छा सुझाव है।

श्री बिक्रम केशरी देव: पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए सरकार को शीघ्र एक वक्तव्य भी देना चाहिए। उनके लिए यह एक सदमा है। आज भी 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में फोटोग्राफ प्रकाशित हुए हैं। जबकि यह आश्चर्य की बात है कि सरकार ने इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: हम अन्य देशों के न्यायिक निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री बिक्रम केशरी देव: मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर वेदना व्यक्त की जा चुकी है और इस सभा में बहुत से लोग इससे सहमत हैं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 19-3-2005 में प्रकाशित।

**तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री बिक्रम केशरी देव: इस पर सरकार ने अपनी अनुभूति प्रकट नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय: हम अन्य देशों के न्यायालय की आलोचना नहीं कर सकते।

श्री बिक्रम केशरी देव: मैं अन्य देशों के न्यायालय की आलोचना नहीं कर रहा हूं। परन्तु सरकार को इस विषय पर चिंता होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है, कि सभा आपके द्वारा उठाए गए मामले की सराहना करता है।

श्री बिक्रम केशरी देव: धन्यवाद, महोदय। किन्तु सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा करना पूर्णत सरकार के हाथ में है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले - उपस्थित नहीं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज, सीमावर्ती एवं जनजातीय क्षेत्रों के डाकघरों को चलाने हेतु केन्द्र सरकार के डाक विभाग की ओर से नॉन-रिटर्नेबल कम्पनसेशन के रूप में कुछ धनराशि हिमाचल प्रदेश को मिलती थी। लेकिन विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उसको बंद कर दिया गया जिसके कारण उन क्षेत्रों में डाक-सेवाएं बाधित हो रही है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। डाक विभाग द्वारा इस मद के हिमाचल प्रदेश को दिए जाने वाले करोड़ों रुपए शेष हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि नॉन रिटर्नेबल कम्पैनसेशन की बकाया समस्त राशि का हिमाचल प्रदेश को तुरन्त भुगतान किया जाए ताकि डाक सेवाएं बाधित न हों।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मधूसूदन मिस्त्री।

श्री मधूसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैं मामलों को नहीं उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: कुछ माननीय सदस्यों, जो कि इस सप्ताह बोल चुके हैं, द्वारा कुछ नोटिस दिए गए हैं। आज एक सामान्य सभा न होने के कारण, मैं इन सदस्यों को अपवाद स्वरूप न कि पूर्वोदाहरण के रूप में, बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में नदियों के किनारे निवास करने वाले निषाद, बिन्द, कश्यप, केवट, गुड़िया, रैकबार, तुराहा, मझदार और माझी आदि जातियों को अनुसूचित जातियों का लाभ नहीं मिल रहा है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2004 को उनको अनुसूचित जाति की सुविधा दिए जाने की घोषणा की थी। 10 मार्च 2004 को विधान सभा से प्रस्ताव पारित होकर केन्द्र सरकार के पास भेज दिया गया। एक वर्ष हो रहा है लेकिन इस पर केन्द्र सरकार का कोई निर्णय अभी तक नहीं आया है जबकि यह लड़ाई 1974 से निषाद समुदाय लड़ रहा है। केन्द्र सरकार तत्काल निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करके समुचित सुविधा देने की व्यवस्था करे।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। आयोग ने गवाही ली और गवाही लेकर कुछ जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग में लेने में घोषणा की। राज्य सरकार ने रिकमैंड किया कि हमारे राज्य में इन-इन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने एक आयोग बनाया। राजस्थान में जो आयोग बना और जिस के अध्यक्ष राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने सारी गवाही ली। इसके कुछ नॉर्म्स हैं जिन का पालन करना होता है। उन शर्तों के अनुसार जो कौम आई, उनको अन्य पिछड़ा वर्ग में लिया गया। उसके आधार पर उन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिया गया। मैं खास तौर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक आयोग बना जिस ने कुछ कौमों को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिया। इसमें विश्नोई जाति को भी लिया गया। राजस्थान सरकार और खास तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की है कि दिल्ली में, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसमें विश्नोई जाति को लिया जाए। इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए। यह एक अहम प्रश्न है। पूरे देश में 40-50 लाख विश्नोई जाति के लोग रहते हैं और वे जाटों से निकले हैं। जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिया जा चुका है लेकिन विश्नोई जाति को नहीं लिया जा रहा है। हमारा आज भी गोत्र वही है, जो जाटों का है। विश्नोई जाति को अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं लिया गया है। मेरा आग्रह है कि विश्नोई जाति को अन्य पिछड़े वर्ग में लिया जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 17 खरीफ की फसलें होती हैं, उनका निर्धारित मूल्य क्या

होगा, इसकी केन्द्र सरकार द्वारा घोषणा की जाती है। रबी की फसल के मूल्य अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। इस मूल्य पर गेहूं, चना और सरसों खरीदे जाएंगे, केन्द्र सरकार इसकी घोषणा करे लेकिन घोषणा करते समय इस बात का ध्यान रखे कि राजस्थान में अकाल पड़ा है और ओलावृष्टि हुई है। वह इसे देखते हुए ठीक मूल्य घोषित करे और किसानों को बार-बार चक्कर न लगाना पड़े। पहले भी गेहूं और चने की कीमत कम आंकी गई थी जिससे किसान इन्हें गोडाउन में जमा नहीं करा सके। रबी की जो सात फसलें हैं, उनके मूल्यों की केन्द्र सरकार शीघ्र घोषणा करे जिससे राजस्थान के किसानों को चक्कर न लगाना पड़े। उनके ऊपर ओलावृष्टि और अकाल की मार पड़ी है, इसे ध्यान में रख कर केन्द्र सरकार उनके निर्धारित मूल्यों की घोषणा करे।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब प्रान्त के कुछ लड़के पाकिस्तान की जेलों में इसलिए बंद हैं कि उनको ईरान की पुलिस ने पाकिस्तान की पुलिस को हैण्डओवर किया है। इनके ऊपर पाकिस्तान में मुकदमा चलाया गया। उन मुकदमों में उन्हें जो तीन-तीन और छः-छः महीनों की सजा हुई, वह पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है। महोदय, पंजाब के ही 100 अन्य बच्चे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। एक साल से अधिक की उनकी सजा पूरी हो चुकी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन बच्चों को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए समुचित प्रयास किए जाएं। अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान से कुछ लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन उनमें कौन लोग शामिल हैं और उनको कब तक लाया जा रहा है, अगर इसकी भी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए तो उनके परिजनों और देश की जनता को राहत मिलेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है सरकार उसका ध्यान रखेगी।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष जी, कोल इण्डिया की लगभग 24 खदानें बंद होने की कगार पर हैं जिनमें हजारों मजदूर काम करते हैं। डी.आर.सी. खदान का खनन बंद किया गया है इसलिए 1600 मजदूर बेकार हुए हैं। मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चन्द्रपुर जिला में यह खदान 1979 से चल रही थी और नागपुर येवतमाल जिले की खदानों के सन्दर्भ में पर्यावरण मंत्रालय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका के आधार पर माननीय नागपुर उच्च न्यायालय ने उन खदानों को बंद करने का आदेश दिया है। इसका असर वहां पर काम करने वाले हजारों मजदूरों पर होगा। इसके साथ ही कोयले के उत्पादन में कमी आने से, कोयला आधारित विद्युतगृहों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करके इन खदानों को बंद होने से बचाया जाए तथा रक्षा की जाए।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, न केवल मेरे राज्य में बिल्क देश के अन्य भागों में भी धान के खेतों सहित कई हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि को बंजर भूमि में बदला जा रहा है। कृषि योग्य भूमि को समतल किया जा रहा है और भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों हेतु भी उसका प्रयोग किया जा रहा है।

मेरे राज्य में, चार साल पहले 8.8 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी। परन्तु अब, आंकड़ों के अनुसार केवल 2.8 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि ही उपलब्ध है। चार साल पहले हमारे पास कुल जितनी भूमि थी अब घटकर उसकी लगभग एक चौथाई भूमि रह गई है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब हमारे देश में कृषि योग्य भूमि बिल्कुल नहीं रहेगी।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का संरक्षण करने और निर्माण कार्यों हेतु कृषि योग्य भूमि को समतल करने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। यदि आवश्यक हो, तो हमारे देश में इस कृषि योग्य भूमि (धान के खेतों) का संरक्षण करने के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि इस संबंध में केन्द्र सरकार क्या कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले: अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के विलासपुर जिले में स्थित गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने के संबंध में कहना चाहता हूं कि विलासपुर इस राज्य का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला

[श्री पुन्नू लाल मोहले]

है। जहां पर एम.ए., एम.एड., इंजीनियरिंग कालेज, रेलवे जोन, हाईकोर्ट आदि स्थित हैं लेकिन वहां पर मैडिकल कॉलेज न होने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस विश्वविद्यालय का नाम प्रख्यात संत बाबा घासीदास के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह के समय में हुई थी। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए। जिससे वहां जन भावनाओं को अच्छे विचार मिलेंगे और वहां की अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को लाभ मिल सकेगा।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम, मद संख्या-4 पर चर्चा करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 7 मार्च, 2005 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

महोदय, उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने से पहले, जिसके कारण सरकार को इस महान सभा में यह संकल्प लाना पड़ा, मैं बताना चाहूंगा कि संविधान निर्माताओं ने अन्य उपबंधों के साथ-साथ अनुच्छेद 356 को ऐसी असामान्य स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक माना था, जब किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई हो।

इस अवसर पर मैं बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। बिहार विधानसभा के चुनाव 3, 15 और 23 फरवरी, 2005 को हुए थे। 27 फरवरी को की गयी मतगणना के अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति इस प्रकार थी: राष्ट्रीय जनता दल-75; जनता दल (यूनाइटेड)-55; भारतीय जनता पार्टी-37; द इंडियन नेशनल कांग्रेस-10; बहुजन समाज पार्टी-02; लोक जनशक्ति पार्टी-29; कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-03; कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)-01; कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम.एल.)-07; राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-03; समाजवादी पार्टी-04 और अन्य-17, कुल-243।

28 फरवरी, 2005 को श्रीमती राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक पद बने रहने के लिए कहा। बिहार के राज्यपाल ने राजनीतिक गतिविधियों पर भी नजर रखी। उन्होंने दो प्रमुख गठबन्धनों द्वारा लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए किए गए दावों का आकलन किया और अंततः 6 मार्च, 2005 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज दी। राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार आर.जे.डी. और उसके गठबन्धन को 92 विधायकों का समर्थन प्राप्त था और एन.डी.ए. गठबन्धन के पास भी 92 समर्थक थे।

28 फरवरी, 2005 को लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्यों का एक शिष्टमंडल राज्यपाल से मिला और एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वे बिहार में सरकार बनाने में न तो आर.जे.डी. और न ही बी.जे.पी. का समर्थन करेंगे। तत्पश्चात् राज्यपाल के साथ हुई बैठक में उन्होंने इसी बात को दोहराया। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट जिसे राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ इस महान सभा के पटल पर रख दिया गया है, मैं विभिन्न राजनीतिक दलों, गठबन्धनों और स्वतंत्र विधायकों के प्रतिनिधियों के साथ हुई अपनी बैठक का सम्पूर्ण ब्यौरा दिया और यह विश्लेषण भी किया कि राजनैतिक दलों का कोई समूह या गठबंधन ऐसी सरकार गठन में असमर्थ है, जिसे नवनिर्वाचित विधान सभा के बहुमत का समर्थन हासिल हो।

संक्षेप में, विभिन्न दलों और गठबन्धनों द्वारा बिना सबूत के दावे और प्रतिदावे करने की वजह से राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने सभी संभावनाओं का विश्लेषण कर लिया है और इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि कोई भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी दल का गठबन्धन विधान सभा में बहुमत साबित करने में समर्थ नहीं है।

राज्यपाल के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल ऐसी स्थिर सरकार के गठन में सक्षम था, जिसे बहुमत प्राप्त हो। अतः राज्यपाल ने सिफारिश की कि वर्तमान में नवगठित विधानसभा को निलंबित रखा जाए और उन्होंने राष्ट्रपति को अपेक्षित उपयुक्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया। बिहार सरकार का वर्ष 2005-06 का बजट अभी पारित नहीं किया गया था। काम चलाऊ सरकार द्वारा लेखानुदान पारित करवाने संबंधी कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं होता यदि 31 मार्च से पहले बजट अथवा

लेखानुदानों को पारित नहीं किया जाता तो गंभीर वित्तीय और संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता। अत: केन्द्र सरकार ने 7 मार्च, 2005 को हुई अपनी बैठक में राज्यपाल द्वारा दी गयी रिपोर्ट और बिहार में व्याप्त स्थिति पर विचार किया। केन्द्र सरकार ने बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने एवं राज्य विधानसभा को निलंबित रखने हेतु संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा किए जाने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश करने का निर्णय लिया।

राष्ट्रपति ने 7 मार्च, 2005 को बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने और राज्य विधानसभा को निलंबित रखे जाने हेतु अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी कर दी।

इन शब्दों के साथ मैं इस महान सभा से संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत बिहार राज्य के संबंध में 7 मार्च, 2005 को जारी की गई उद्घोषणा को अनुमोदित किये जाने की सिफारिश करता हूं।

संविधान के अन्तर्गत यथानिर्धारित उद्घोषणा की एक प्रति और परिणामी आदेश की प्रति सभा पटल पर रखी गई है। परंपरा के अनुरूप उद्घोषणा जारी किये जाने की सिफारिश संबंधी राज्यपाल के प्रतिवेदन की एक प्रति भी सभा पटल पर रख दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 7 मार्च, 2005 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, श्री पासवान जी को हाउस में बुलाना चाहिये क्योंकि जैसा गृह मंत्री जी ने बताया है कि उनकी पार्टी के 29 विधायक हैं। ये भाजपा और आर.जे.डी. में से किसी का समर्थन नहीं करेंगे। यह इस समय लोक सभा में उपस्थित नहीं हैं। इसलिये सदन और सरकार को उन्हें यह सूचना देनी चाहिये कि यहां आकर बिहार की जनता को अपने विचार बताते। हम लोग भी अपना विचार रखते। इसलिये मेरा आग्रह है कि श्री पासवान जी को बुलाने के लिये सुनिश्चित करना चाहिये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, श्री लालू प्रसाद जी को इस बहस में इटरवीन करना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कई अच्छे सुझाव आ रहे हैं। माननीय सदस्यों को इस पर प्रतिक्रिया देनी है। मैं प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कह सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि माननीय नीतीश जी बोलें, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या पूछना चाहते हैं?

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोर ऑफ दि हाउस पर मेजौरिटी टैस्ट होती है और इस तरह की घटना अभी हुई है लेकिन बिहार में ऐसा मौका नहीं दिया गया। माननीय गृह मंत्री जी ने अपने प्रतिवेदन में यह बात नहीं कही जब कि किसी दल ने अपनी सरकार बनाने में रुचि नहीं दिखाई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं?

श्री रघुनाथ झा: हम बाद में बोलेंगे लेकिन एक पाइंट कहना चाहूंगा। प्रेजीडेंट रूल में श्रीमती राबड़ी देवी ने सरकार बनाने के लिये कहा...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण से यह मौका नहीं दिया गया क्योंकि कई बार यह बात टैस्ट हो चुकी है। माननीय वाजपेयी जी को बुलाया गया, श्री नीतीश कुमार जी को फ्लोर ऑफ दि हाउस में मैजौरिटी टैस्ट करने के लिये बुलाया गया, श्री शिबू सोरेन को बुलाया गया और उन्हें मौका दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नीचे से ऊपर तक कोई साजिश थी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: रघुनाथ जी, कृपया बैठ जाइये। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं नीतीश जी को निर्देश नहीं दे सकता। उन्होंने आपका वक्तव्य सुना है। अब पूरी तरह उन पर है। आप शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा): अध्यक्ष महोदय, आज एक तरह से इस सदन में बिहार दिवस है। आज सब प्रेजीडेंट प्रोक्लेमेशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद बिहार के बजट पर चर्चा करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह एक सामान्य मामला नहीं है। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणा सामान्य मामला नहीं है। यह उन परिस्थितियों में किया गया जिनके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है। अन्य माननीय सदस्यों को भी इस पर अपने विचार व्यक्त करने दें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप सरकार ने यह प्रस्ताव, स्टेचुटरी रिजोल्यूशन सदन में पेश किया है और उन्हें किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, धारा 356 का उपयोग करना पड़ा, इसका विवरण इसमें दिया है। उन बातों से कोई मतभेद नहीं हो सकता है जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। यह बात सही है कि जो चुनाव हुए, उसके परिणाम इस प्रकार के थे कि हम उसे कह सकते थे कि यह एक खंडित जनादेश था। पार्टी की बात छोड़िये, चुनाव पूर्व किसी गठबंधन को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अब चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, वैसी परिस्थिति में चुनाव के पश्चात् भी अगर कुछ आपसी सहमति बनती, नये समीकरण बनते, तब कोई लोकप्रिय सरकार गठित हो सकती थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि अलग-अलग दलों ने एक ऐसी पोजीशन ले ली, जिसके कारण किसी भी गठबंधन की सरकार नहीं बनी। सबसे घोर आश्चर्य तब हुआ कि राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है, राष्ट्रपति शासन का मतलब केन्द्र सरकार का शासन होता है। केन्द्र सरकार में जो पार्टियां एक साथ हैं, वे भी वहां एकजुट नहीं हो सकीं। सोनिया जी, यहां बैठी हुई है, मेरी बात सुन रही हैं। वह यू.पी.ए. की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने क्या दायित्व निभाया। जो दल केन्द्र सरकार में शामिल हैं, वे आपस में एक नहीं हो सके। हमें बहुमत नहीं मिला। जनता दल (यू.) और भाजपा गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन के तौर पर सबसे अधिक सीटें हमें मिलीं और चुनाव के बाद कुछ नये समीकरण बने। आर.जे.डी. के साथ जो चुनाव में नहीं थे, वैसे लोगों ने उन्हें समर्थन का पत्र दिया और कुल मिलाकर 91 लोगों के पत्र के साथ उन्होंने दावा पेश किया। हम लोगों ने अपना कोई दावा पेश नहीं किया था। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के यहां एक केविएट जरूर दायर किया था और कहा था कि अगर उस पर सरकार बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें तो चुनाव पूर्व सबसे बड़े गठबंधन के रूप में हमारा गठबंधन उभरा है, इसलिए आप हमारी बात जरूर सुनेंगे और इसके लिए उनसे समय मांगकर दोनों दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी थी। उसका उल्लेख अभी गृह मंत्री जी ने यहां नहीं किया है। लेकिन जो राज्यपाल का पत्र धारा 356 को इनवोक करने के लिए, अनुशंसा करते हुए आया है, उसमें उसका जिक्र है। जब एक बार सरकार बनाने का प्रयत्न आर.जे.डी. की तरफ से हुआ और तर्क दिये गये, जिसका उल्लेख मेरे बोलने के पहले श्री रघुनाथ झा जी कर रहे थे, उस आधार पर उन्होंने अपना दावा पेश किया। हर किसी को अपना दावा पेश करने का अधिकार है। लेकिन उसी क्षण हम लोगों ने भी अपना प्रतिदावा पेश किया और राज्यपाल महोदय को कहा कि आर.जे.डी. के नेतृत्व में जिस गठबंधन ने दावा पेश किया है, उनके पास जितनी संख्या है, चुनाव पूर्व गठबंधन के तौर पर सबसे बड़ा गठबंधन जनता दल (यू.) और भाजपा का उभरा है। इसलिए अगर बिना बहुमत के आप सरकार बनाने के लिए अगर किसी को आमंत्रित करते हैं तो सबसे पहला दावा हम लोगों का बनता है। यह बात हम लोगों ने उनसे कही। यह कहा गया कि किसी ने दावा नहीं किया, एक पक्ष ने ही दावा किया, उन्हें मौका मिलना चाहिए। नजीर के तौर पर कुछ बातें कही जाती हैं, जिसमें केन्द्र में अटल जी की सरकार के बारे में और किसी न किसी प्रकार इन दिनों जो विवाद हुए, उनमें वर्ष 2000 की एक नजीर बिहार की दी जाती है, जिसमें सरकार बनाने के लिए राज्यपाल महोदय ने मुझे न्यौता दिया था और बार-बार कहा जाता है कि बगैर बहुमत के मौका दिया गया। लेकिन इस अवसर पर श्री रघुनाथ झा जी ने मेरे बोलने के पूर्व उसे रखा है। इसलिए इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, उससे पहले उसके बारे में तथ्यों को सदन में रख देना आवश्यक है। उस समय भी कुछ चर्चा हुई थी, सरकार बनाने के लिए वहां उस समय भी वर्ष 2000 में बिहार विधान सभा का जो चुनाव परिणाम निकला था, उसमें किसी को बहुमत नहीं मिला था। आर.जे.डी. और एन.डी.ए. को लगभग बराबर सीटें मिली थीं। कांग्रेस पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा था और वह इस वायदे के साथ बिहार की जनता के सामने गई थी कि वह किसी कीमत पर आर.जे.डी. से हाथ नहीं मिलायेंगे।

जब चुनाव के बाद एन.डी.ए. और आर.जे.डी. की तरफ से भी दावा किया गया, तो हम लोगों की सदस्य संख्या ज्यादा थी और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी हमें समर्थन दिया था। उसके अलावा कई निर्दलीय लोगों ने समर्थन दिया। कुल मिलाकर जब हम लोगों की संख्या 147 के ऊपर हुई, तब हमने दावा किया। उस समय आर.जे.डी. के पास 130 के आस-पास का समर्थन था। जिस दिन गवर्नर साहब ने मुझे आमंत्रित किया था, उस दिन 150 के ऊपर हमारा समर्थन था और उस समय आर.जे.डी. ने जो दावा किया था, उनको 130 के आस-पास समर्थन था। वैसी परिस्थिति में न्यौता मिला था। कांग्रेस पार्टी ने उस समय तक फैसला नहीं किया था। जब निमंत्रण मिला, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि वह आर.जे.डी. का समर्थन करेंगे। जिस समय गवर्नर साहब ने आमंत्रित किया था, उस समय बहुमत के बहुत करीब हमारी संख्या थी जिसको स्ट्राइकिंग डिसटैन्स कह सकते हैं। कई दिनों तक यह स्थिति कायम रही। तब गवर्नर साहब ने अपने विस्डम में हमें आमंत्रित किया। लेकिन बार-बार एक ही बात कही जाती है। ऐसा नहीं हुआ था कि हम लोगों का समर्थन कम था, आर.जे.डी. का समर्थन ज्यादा था, और तब मुझे बुलाया गया था। जिस समय बुलाया गया था, उस समय हमारे पास आर.जे.डी. के दावे की तुलना में समर्थन बहुत ज्यादा था, लगभग 20 का फासला था। उस स्थिति में आमंत्रित किया गया था। लेकिन उसको दूसरे संदर्भों में पेश किया जाता है। आज भी उन्होंने जिक्र किया। इसलिए इस तथ्य को यहां रखने का हमने अवसर मिला। वहां विधान सभा का रिकार्ड है, सब कुछ है। गवर्नर हाउस में वे रिकार्ड्ज होंगे, लेकिन आसानी से दो स्थितियों की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वहां की स्थिति भिन्न थी। अगर कांग्रेस पार्टी ने 2000 में आर.जे.डी. को समर्थन देने का निर्णय ले लिया होता तो शायद किसी भी राज्यपाल को मुझको निमंत्रित करने की नौबत नहीं आती, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती। उनका दावा बनता तो उनको निमंत्रण मिलता। अगर पिछली बार भी पहले हमें निमंत्रण मिला, तो वह कांग्रेस पार्टी के अनिर्णय के कारण मिला। कांग्रेस पार्टी अनिर्णय का शिकार थी कि क्या करें, क्या न करें, इस दुविधा में थी। आज भी वह डायलैमा उनके सामने है या नहीं, मैं नहीं जानता हूं। आज सबके सामने मजबूरी है, कोई उपाय नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि हम लोगों के गठबंधन के पास वहां बहुमत है कि हम वहां दावे पेश करें और वहां एक लोकप्रिय सरकार बनाएं। इसलिए अगर 356 को लागू करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो इससे अलग कोई इंतजाम हो नहीं सकता है, मुझको भी ऐसा लगता है। इसलिए उस विषय पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना तय है कि आखिर राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक रहेगा? क्या इसके लिए कोई राजनीतिक पहल नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रपति शासन कुछ दिनों के लिए तो ठीक है, लेकिन चुनाव राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए नहीं होते हैं, लोकप्रिय सरकार गठित करने के लिए होते हैं। लेकिन बिहार में एक दल है जिसे कुछ सीटें मिल गई हैं, उसने कहा कि राष्ट्रपति शासन ही लगना चाहिए। चुनाव के पहले कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव के बाद भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि अनंत काल तक कोई राष्ट्रपति शासन लागू रहे। राष्ट्रपति शासन कभी लोकप्रिय सरकार का विकल्प नहीं हो सकती है।

अध्यक्षश्र महोदय, उन दिनों राज्यपालों की भूमिका को लेकर भी विवाद चल रहे थे। वैसी स्थिति में हमने एक वक्तव्य दिया था। यहां सदन के नेता बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हुए हैं और यू.पी.ए. की चेयरपरसन भी बैठी हुई हैं। केन्द्र के एक मंत्री श्री राम विलास पासवान का एक बयान है। उन्होंने कहा कि:-

> "यह दुर्भाग्य की बात है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार राज्यपाल के पद को ही समाप्त करने की बात कहे रहे हैं जब बिहार में एक दलित व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बैठा है।"

यह केन्द्र के एक मंत्री का बयान है। उन्होंने एक और बयान दिया था। यू.एन.आई. की हिन्दी शाखा 'वार्ता' ने इसको जारी किया था। उसकी यह प्रति है। उनका एक वक्तव्य 16 मार्च को पटना के दैनिक जागरण में छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि:-

> "राष्ट्रपति शासन लगे सात दिन भी नहीं हुए हैं कि बदलाव दिखने लगा है। प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क है। लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विकास कार्य शुरू हो गए हैं। राशि की कोई कमी नहीं रहेगी।"

"मैं इस संबंध में वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम से मिला हूं।" यह वक्तव्य उन्हीं केन्द्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान जी का है।

श्री पासवान जी ने कहा है कि एक दलित का बेटा राज्यपाल बन कर सत्ता की बागडोर संभाल रहा है। गृह मंत्री जी इस बात को नोट करें, दलित का बेटा राज्यपाल बन कर सत्ता की बागडोर संभाव रहा है इसलिए कुछ लोग राष्ट्रपति शासन का विरोध कर रहे हैं। यह वक्तव्य केंद्रीय मंत्री का है।

[श्री नीतीश कुमार]

यानि राज्यपाल दलित है इसलिए मैं राज्यपाल के पद को समाप्त करने की बात कर रहा हूं और राष्ट्रपति शासन का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्यपाल के पद पर दलित बैठा है। यह किस प्रकार का वक्तव्य है? मैंने एक वक्तव्य दिया था। जिसको पी.टी.आई. ने जारी किया था। आपकी इजाजत से मैं उस वक्तव्य को उद्धृत करना चाहता हूं और तब मैं अपनी बात रखना चाहूंगा।

[अनुवाद]

"गोवा और झारखण्ड के राज्यपालों की विवादास्पद कार्यवाही का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ जनता दल (यू.) नेता और पूर्व रेल मंत्री, श्री नीतिश कुमार ने 13 मार्च, 2005 को लोकतंत्र के सुचारू कार्यकरण हेतु राज्यपाल के पद को हटाने का सुझाव दिया। राज्यपाल का पद लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों के उचित कार्यकरण में बाधा बन गया है। बेहतर होगा कि हम इस पद को समाप्त कर दें। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे, जिसने अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया है, पर राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए। राज्यपाल केन्द्र के हाथों की कठपुतली बन गए हैं और केन्द्र सरकार विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को सबक सिखाने के लिए उनका इस्तेमाल करती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर एक अनिर्वाचित व्यक्ति को नियुक्त करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। एक विशेष राज्य के राज्यपाल का चयन सत्तारूढ़ दल के राजनैतिक हित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। राज्यपाल के पद को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र राज्य सरकारों को जवर्न इशारों पर नचाने के लिए राज्यपाल के पद का इस्तेमाल कर रहा है। उनके अनुसार राज्यपाल के कार्यों के संबंध में संसद और अन्य मंचों पर कई बार चर्चा की गई है परन्तु उनका ज्यादा लाभ नहीं हुआ। श्री कुमार ने कहा कि राज्यपाल के पद, जो लोकतंत्र के सुचारू कार्यकरण को कोई सकारात्मक लाभ पहुंचाने की बजाए नुकसान अधिक पहुंचा रहा है, की किसी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

मैंने व्यापक संदर्भ में कहा था कि राज्यपाल का पद नहीं रहना चाहिए। मेरा अपना विचार है कि राज्यपाल का पद नहीं होना चाहिए। इसके आलटरनेटिव अरेंजमैंट पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। यह बात सिर्फ मैंने ही नहीं कही है। मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए किया था कि केंद्र के एक मंत्री हैं, लोकतंत्र में सब को अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन वे किस प्रकार से उसका जबाव देते हैं। मैंने बिहार के संदर्भ में यह बात नहीं कही है। लेकिन मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि दलित का बेटा राज्यपाल के पद पर बैठा है, इसलिए मैं राज्यपाल के पद को समाप्त करने की बात कर रहा हूं। यह किस प्रकार का वक्तव्य है। क्या केंद्र का मंत्री इस तरह की बात करता रहेगा। मैंने जो बात कही है उसे सिर्फ मैंने ही पहली बार नहीं कहा है। डा. राम मनोहर लोहिया ने भी यह बात कही है। मेरे पास समाजवादी दर्शन और डा. लोहिया नामक किताब है। यह किताब श्री लक्ष्मीकांत वर्मा जी द्वारा लिखित है। उसके पेज 175 पर लिखा है - किस प्रकार राज्यों और प्रदेशों में राज्यपाल को वे, यानि डॉ. लोहिया एक निरर्थक संस्था मानते थे। उनका मत था कि केंद्र और प्रदेशों के संबंध स्पष्ट होने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा झंझट इन मामलों में न हो। मैं जिक्र करना चाहता हूं कि 1996 के अक्तूबर में इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग की रिपोर्ट छपी थी। उसके अनुसार केरल के तत्कालीन मुख्यांत्री श्री ई.के. नयनार ने कहा था

[अनुवाद]

"केरल के मुख्यमंत्री, श्री ई.के. नयनार ने सुझाव दिया कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों की पूर्व समीक्षा की जानी चाहिए और राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद अनावश्यक है और इसे समाप्त कर देना चाहिए।"

[हिन्दी]

यह कोई पहली बार हमने नहीं कहा है। श्री ई.के. नयनार ने भी कहा है। राज्यपाल के रोल को ले कर हमेशा चर्चा होती रही है। पिपुल्स डेमोक्रेसी, अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, सी.पी.आई.एम. का मुख पत्र है। उसमें श्री प्रकाश कारथ ने लिखा है। श्री प्रकाश कारत जो पोलिट ब्यूरो के सदस्य हैं। मेरी जानकारी है कि अप्रैल महीने में श्री सुरजीत साहब की जगह लेने वाले हैं, इसके बारे में ज्यादा तो श्री वासुदेव आचार्य जी को मालूम होगा, उन्होंने नवम्बर, 2001 में वाल्यूम 25 संख्या 47 पर पिपुल्स डेमोक्रेसी में लिखा है।

[अनुवाद]

"राज्यपाल का केन्द्र के एजेन्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है और राज्यपालों ने बारम्बार लोकतांत्रिक मानदण्डों की अनदेखी करते हुए चुनी हुई राज्य सरकारों और विधानमंडलों के विरुद्ध कार्य किया है।"

[हिन्दी]

यह प्रकाश कारत जी लिख रहे हैं, यह सी.पी.आई.एम. के मुख पत्र में छपा है, सी.पी.आई.एम. का यह विचार है। श्री ई.के. नयनार यह कह रहे हैं, पुराने समाजवादियों की यह मांग है। लालू जी वहां से बोल रहे हैं कि कर्पूरी जी को क्यों भूल रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने यह बात कही थी। उनके उद्धरण शायद वह पेश करेंगे। अब जो राजभवन की भूमिका होती है, उसके बारे में संविधान विशेषज्ञ डॉ. सुभाष कश्यप ने एक लेख लिखा है जो इंडियन एक्सप्रैस, दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 7 मार्च, 2005 के अंक में छपा है। उसमें वे लिखते हैं:-

[अनुवाद]

"राज्यपाल का पद अतीत में वफादारी का ईनाम और भविष्य में पार्टी के हितों को संरक्षित करने का अन्तर्हिता आश्वासन है। सरकारिया आयोग और संविधान संबंधी राष्ट्रीय आयोग दोनों ने हाल ही के कुछ वर्षों में केवल प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जो राजनीति से घनिष्ठता से न जुड़े हों, में से राज्यपालों का चयन करने हुए मानदण्ड सुझाए हैं।"...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष जी, यहां पर जो चर्चा हो रही है, वह प्रोक्लेमेशन पर हो रही है। गवर्नर होना चाहिए या नहीं, इस पर यह सदन चर्चा कर सकता है। मगर आज जो चर्चा हो रही है वह गवर्नर्स के रोल पर हो रही है और कल भी जो चर्चा हुई वह भी गवर्नर्स के रोल पर हुई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस पद को कुछ सम्मान दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, कल भी चर्चा गवर्नर्स के रोल पर हुई और आज भी उसी पर चर्चा हो रही है। जो प्रोक्लेमेशन इश्यू किया गया है, वह सही तरीके से किया गया है या नहीं, यह विषय हमारे सामने है। अगर माननीय सदस्य चाहें, तो बोल सकते हैं। मगर विषय यही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सही है। मैं इससे सहमत हूं। नीतीश जी के बात से मुझे यह समझ आया कि उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन का कोई विकल्प नहीं है। परन्तु वे कुछ बुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वे ऐसा नहीं करेंगे...

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी क्षमता का बखूबी प्रयोग करते हुए इस मुद्दे को उठाया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, अगर केन्द्रीय मंत्री महोदय ने इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया होता, तो मैं इसकी चर्चा भी नहीं करता और शायद मैं डिबेट में पार्टीसिपेट भी नहीं करता। गवर्नमेंट की यह कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है। ऐसा नहीं होगा कि गृह मंत्री यहां एक बात कहें और आपके मंत्रिमंडल के सदस्य, रसायन, उर्वरक तथा लोहा मंत्री कुछ और कहें और वे चार्ज करें। क्या एक विचार रखने के लिए आप किसी पर आरोप लगाएंगे? यह कोई मामूली आरोप नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह पूर्णतः उनके निर्णय पर निर्भर है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, कौन सी छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लोकतंत्र में हम अपने विचार नहीं रख सकते। जब हमने अपने इस विचार को रखा, हमारे वक्तव्य को पी.टी.आई. ने जारी किया, वह मैंने सदन में पढ़कर सुना दिया, मैंने सदन में उसे उद्धृत कर दिया। उसमें बिहार का रैफरेंस था ही नहीं, तब भी मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं राज्यपाल के पद को समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि एक दलित बिहार का राज्यपाल बना हुआ है।

महोदय, राज्यपाल के पद को विवाद में कौन ला रहा है? मैं नहीं ला रहा हूं, आपके केन्द्रीय मंत्री ला रहे हैं, आपके कलीग ला रहे हैं। जाइंट रेस्पांसीबिलिटी है, कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं इस सवाल को उठा रहा हूं। बाकी अध्यक्ष महोदय, जो निर्देश देंगे, मैं उसका पालन करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। घोषणा में आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: परन्तु, वे अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे थे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, उनकी तरफ से दो प्रश्न छोड़े गए हैं। एक तो यह कहा गया है कि वह दलित का बेटा है, यानी वे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। यह तो कहा जाता है कि कोई सरकार में है, फलां को मंत्री बनाया, देखो रिप्रजेंटेशन दिया। जिसे कांस्टीट्यूशनल पोस्ट कहते हैं, उसे भी इस प्रकार से बांट रहे हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट रुकिए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी की है। वे मंत्री हैं। परन्तु इसका केन्द्र सरकार के कार्यकरण से कोई लेना देना नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: ठीक है, लेकिन*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी हां, मैंने ऐसा कहा था।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, यह तो नहीं हो सकता कि लालू जी कुछ कहें और पासवान जी कुछ और बात कहें। आखिर दोनों ही मंत्रिमंडल के सदस्य हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने कह दिया है कि स्थिति यह है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं कभी भी मंत्री नहीं रहा। मुझे विश्वास है कि ये मामले मंत्रीमंडल के समक्ष नहीं आएंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, हम अगर*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): एक सैकेण्ड रुकिए। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात सरकार के निर्णय पर आधारित है। यदि कोई सरकार के निर्मय का खण्डन करता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात आती है परन्तु टिप्पणी के बारे में अथवा किसी व्यक्ति के किसी कार्य पर किसी के व्यक्तिगत मत पर नहीं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष जी, श्री प्रणव बाबू ने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया, यानी वे जो बोल रहे हैं, वे आपके डिसीजन को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो राज्यपाल हैं, वे दलित हैं, यानी आपने दलित होने के कारण उन्हें राज्यपाल बनाया।

आपने उन्हें दलित एवं पोलिटिशियन होने के कारण राज्यपाल बनाया।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नीतीश जी, हम विषय से काफी अलग हट रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नीतीश जी, मैं केवल एक मिनट लूंगा। आप अपने मामले को बखूबी प्रस्तुत कर रहे हैं। चर्चा में राज्यपालों को मत घसीटिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, हम नहीं लाना चाहते। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सच बोल रहे हैं। आपने अपनी बात कह ली है। इसके बारे में और कहने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, गवर्नर के पद पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो, मैं उन्हें विवाद में नहीं घसीटना चाहता, केन्द्र के एक मंत्री उन्हें विवाद में घसीट रहे हैं।...*(व्यवधान)* उन्हें दलित बता रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह ली है। मेरे विचार में अब यह चर्चा का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर हम इस बात को मान लें कि वे दलित हैं, इसलिए कोई विरोध कर रहा है तो यह बेबुनियाद है, उनकी मानसिकता का द्योतक है। मुझे खुशी होती, अगर श्री पासवान जी स्वयं यहां मौजूद होते, लेकिन वे यहां इस समय उपस्थित नहीं हैं। वे यहां उपस्थित होते तो मैं उनसे सवाल पूछता कि अगर यह उनकी मानसिकता का परिचायक है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में हमें उनके आधार पर नहीं जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, हम किसी के कंडक्ट पर नहीं जा रहे हैं, हम उसके पोलिटिकल आसपेक्ट पर आ रहे हैं। अगर वे किसी पर नाहक चार्ज करते हैं कि वह दलित है, इसलिए विरोधी हैं तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि वे श्री लालू जी का विरोध इसलिए करते हैं कि वे एक यादव हैं। वे मेरा विरोध इसलिए करते हैं कि मैं ओबीसी का हूं।...*(व्यवधान)* पिछड़े वर्ग से हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम विषय से काफी परे जा रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार: मैं अपनी सीमा से परे नहीं जा रहा हूं।

[हिन्दी]

महोदय, क्या एक व्यक्ति को इतनी आजादी है कि वह अपनी सारी लिमिटेशन तोड़ कर जहां चाहे वहां ट्रेवल करता रहे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मामला इसकी सीमा से बाहर का है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, संसद सबसे ऊपर है, मंत्रियों को बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि वे क्या बोल रहे हैं। दो प्रकार की भूमिका होती है। हम भी एक पार्टी में हैं और कोई मंत्री है, वह भी एक पार्टी में है, लेकिन दोनों प्रकार की भूमिका में थोड़ा फर्क करना चाहिए। आप जब दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो आपको खुद भी आरोप झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई शिकायत नहीं है, न श्री बूटा सिंह जी से है और न ही श्री पासवान जी से है, लेकिन यह तरीका गलत है, मैं इस बात को यहां कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* यह तरीका गलत है कि किसी भी मामले को ये तूल दें और उसको ऐसा रुख देते रहें। केन्द्र के मंत्री हैं, इस बात को तो आप झिनाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी सात दिन भी नहीं हुए हैं और बदलाव दिखने लगे हैं। प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उद्घोषणा के बाद की बात कर रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार: जी हां, मैं उद्घोषणा के बाद की बात कर रहा हूं। यदि कोई होम मिनिस्टर मालिक हैं, सर्वेसर्वा हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। इनके एक मंत्री बोल रहे हैं, बगल में श्री लालू जी बैठे हैं। इस बात का भी ख्याल रखिए कि हर चीज की कोई सीमा होती है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं मालिक नहीं हूं और ये मेरे मंत्री नहीं हैं, सरकार के मंत्री हैं।

श्री नीतीश कुमार: मैंने कहा कि आपके साथी हैं, मंत्री तो सब सरकार के ही होते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके विचारों की सराहना करता हूं। सभा ने आपके विचारों की सराहना की है।

श्री नीतीश कुमार: आपने हमेशा मेरा सराहना की है।

अध्यक्ष महोदय: यही तो समस्या है। मैं हमेशा ही ऐसा कहता हूं। आपको इसे समझना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, विकास कार्य शुरू हो गए हैं, यानी पहले विकास कार्य अवरुद्ध थे और केन्द्र के मंत्री कह रहे हैं कि राशि की कोई कमी नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक व्यक्ति संबंधी चर्चा बनती जा रही है। यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: हम वित्त मंत्री जी से बजट के समय पूछेंगे, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, जब उस पर चर्चा होगी तब मैं उनसे पूछूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बजट के समय बोलिए।

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, आप बजट के समय बोलने का समय देंगे, आपकी इजाजत होगी तो उस समय मैं बोलूंगा। मैं इस समय एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की मजबूरी में परिस्थितिवश या लाचारीवश कदम उठाए गए हैं, उनकी इतनी प्रशंसा करना इस बात की ओर इंगित करता है कि आप लम्बे काल तक इसे चलाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने शिवराज जी को छोड़ दिया। गृह मंत्री को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उन्हें उत्तर देना होगा। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। आप अपने मंत्री जी को याद करा दीजिए, वे राष्ट्रपति शासन की इतनी प्रशंसा के पूल बांध रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका ही शासन हो। ऐसा लग रहा है कि श्री बूटा सिंह जी राज्यपाल नहीं हैं, वही राजभवन में बैठ गए हैं, इस प्रकार की बात हो रही है।

आप एक बात याद कराइयेगा, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, याद कराना चाहता हूं, जब इटली में मुसोलिनी डिक्टेटर थे, उस समय भी मुसोलिनी के पक्ष में कहा जाता था कि ट्रेनें समय पर चल रही हैं। वर्ल्ड वार वन के बाद वहां पर ट्रेन के परिचालन की व्यवस्था ठप्प हो गयी थी तो मुसोलिनी साहब ने जो सत्ता हथिया ली, उसके बाद कहा गया कि ट्रेनें समय पर चलनी शुरू हो गईं। इमरजेंसी में भी यही कहा गया था, जब इस देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी तो इमरजेंसी की प्रशंसा में पुल बांधे जाते थे और कहा जात था कि ट्रेनें समय पर चल रही हैं। वैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो सब कुछ वहां पर ठीक हो गया। मैं एक दिन पटना में था, मैं जब पटना पहुंचा, जिस इलाके में मैं रहता हूं, वहां बिजली गुल थी। मुझे तो राष्ट्रपति शासन का पहला तजुर्बा वही मिला। अगले दिन सुबह मैं घूम रहा था तो मैंने सड़कों पर देखा कि दर्जनों की संख्या में गाय और भैंस को पुलिस वाले निकाल लिए जा रहे हैं। मैंने कहा, क्या हो रहा है तो कहा गया कि खटाल उखाड़ा जा रहा है। राष्ट्रपति शासन का असर दिख रहा है, सब कुछ ठीक हो गया। केन्द्र के एक मंत्री कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। शहर में बिजली गायब हो रही है, खटाल उखाड़े जा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया। सारा विकास का काम शुरू हो गया।

मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप ठीक आ रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार: अब मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो एक प्रचार चल रहा है, राष्ट्रपति शासन न हुआ, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है, उनके केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि अभी कुछ दिन यह चलेगा, जहा कचरा साफ करना है। किसने कचरा पैदा किया था? गृह मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं, आपके सहयोगी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन चलेगा, कूड़ा कचरा साफ करना है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आप दोनों को अपने आवास पर बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: किसने कचरा पैदा किया था? यह आपके एक मंत्री बोल रहे हैं कि कचरा साफ करना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप गृह मंत्री से उनके मंत्रालय के बारे में पूछिए। मैंने आपको आधे घण्टे से अधिक समय दिया है। चार मिनट की बजाए मैंने आपको आधा घण्टे का समय दिया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: एक मिनट।

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): रामविलास पासवान जी यहां नहीं हैं, नीतीश जी एकतरफा गोल किये जा रहे हैं। एक सवाल-अभी हाल का इनका बयान है, 55 विधायकों को लेकर मैं तैयार हूं, रामविलास पासवान जी 67 विधायकों का इन्तजाम करके ले आयें तो दोनों आदमियों का छोर मिल जायेगा, राज बना लेंगे, इस पर भी मैं इनकी राय जानना चाहता हूं कि फिलहाल इनकी 67 और 55 वाले हिसाब में क्या राय है?

श्री नीतीश कुमार: मैं रघुवंश बाबू को ओब्लाइज करूंगा, मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। मैंने शुरू में ही कहा, रघुवंश बाबू, आज आप उनको डिफेंड करने की मुद्रा में खड़े हुए हैं, पता नहीं डिफेंड कर रहे थे...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैंने 67 और 55 का हिसाब याद कराया कि छोर नहीं मिल रहा है, इतना बोल रहा हूं, तुरन्त छोर मिल जायेगा तो फिर क्या बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अच्छा तो आप उनसे सहमत हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: वह तो चुनाव के पहले उन पर क्या बोले थे, आज चुनाव के बाद क्या बोलेंगे, यह अब कहें...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अब पूंजी पद है ही नहीं, अब बनाने की बात कीजिए।

अध्यक्ष महोदय: बोलिये, खत्म करिये।

[अनुवाद]

मैंने आपको काफी समय दे दिया।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: आखिर राष्ट्रपति शासन कब तक जारी रखना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय: यह आपने सही बात पूछी।

श्री नीतीश कुमार: ऐसा कितने दिन तक जारी रहेगा? लोकतंत्र की व्यवस्थाएं अपने अनुरूप चलेंगी या जो व्यवस्था संविधान ने दी है कि बिल्कुल उसके मुताबिक काम न हो, संवैधानिक व्यवस्था जब चरमरा जाये, तो इसका इस्तेमाल किया जाये। एक बात का उत्तर गृह मंत्री जी को देना होगा, यह बात इनकी पार्टी से भी सम्बन्धित है, आप बात कर लें, सोनिया जी बगल में हैं, उनसे पूछ लीजिए, पूछकर ही बताइये, लेकिन जरूर बताइये कि कांग्रेस पार्टी का इस मामले में क्या रुख है? कांग्रेस पार्टी यहां क्या चाहती है? बीच में आप जो दुविधा में रहे, उसी का नतीजा है कि 10 पर पहुंच गये। क्या आगे भी आप दुविधा में रहना चाहते हैं? आप रास्ता तय कर लीजिए। अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू है तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आपके पास संख्या नहीं आई है तो आप परोक्ष रूप से राज करना चाहते हैं - वरना आप तय करिये, आपके हाथ में है, आप सरकार बना सकते हैं। हम दावा नहीं कर सकते, हमारे पास 92 लोग हैं, 122 नहीं हैं, उसमें 30 की कमी है, हो सकता है कि कुछ निर्दलीय समर्थन दे दें, तो भी हमारे पास 122 का आंकड़ा नहीं है। लेकिन आप यहां एकसाथ सरकार में बैठे हैं, आप रास्ता निकालिये या फिर इसी स्थिति में आप बीच में तराजू लेकर, एक पलड़े पर पासवान जी को बैठाकर और दूसरे पर लालू जी को बैठाकर, कब तक बेलेंसिंग एक्ट करना चाहते हैं?

मध्याह्न 12.00 बजे

बिहार की जो समस्या है यह आपकी वजह से है और बहुत अच्छी बात है कि सोनिया जी इस बात को सुन रही हैं। इन्हीं को निर्णय लेना है। आप क्या चाहते हैं? बिहार में अनिश्चितकाल तक राष्ट्रपति शासन लागू रखना चाहते हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं? फैसला आपको करना होगा।

अध्यक्ष महोदय: अनिश्चितकाल तक नहीं हो सकता।

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि आज तो हम लोगों की मजबूरी है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया लेकिन अगर आपकी योजना है इसे सालभर लगाने की या और आगे थोड़ा खींचने की, तो इसका पुरजोर विरोध होगा। छः महीने के बाद आप इसको आगे जारी रखना चाहते होंगे, मगर हम चाहते हैं कि तत्काल समस्या का समाधान निकले। किस प्रकार से शासन चल रहा

[श्री नीतीश कुमार]

है? आज कितने दिन हो गए, दो सप्ताह होने को आए, लेकिन एडवाइजर की बहाली नहीं हुई। जो राष्ट्रपति शासन में रूल ऑफ बिजनस में परिवर्तन होता है, गवर्नर इन काउंसिल का आपने गठन नहीं किया। सलाहकारों की नियुक्ति नहीं हुई। राष्ट्रपति शासन लागू करते ही कुछ नाम आए। रोज नाम तैर रहे हैं। कभी एक्स का नाम कभी वाई का नाम, लेकिन आप सलाहकार की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कैसी सरकार है? राज करना चाहते हैं। "दलित का बेटा बैठा है।" कोई जरूरत नहीं है। क्या राजनीति करना चाहते हैं? परोक्ष रूप से राजनीति करना बंद कीजिए।

श्री प्रणब मुखर्जी: इन्होंने गरीब का बेटा बोला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने दलित का बेटा बोला है>

[अनुवाद]

मैं इसकी जांच करूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रणब मुखर्जी: नहीं, इन्होंने कहा कि गरीब का बेटा बैठा है।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: हम पर नाराज क्यों हो रहे हैं? हमने नहीं कहा। आपका गुस्सा हम पर नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी जांच करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने स्वयं ही कहा है कि राज्यपाल का पद काफी ऊंचा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: प्रणब बाबू, मैं नहीं कहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: आपने अभी कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: नहीं, हमने अपने बारे में नहीं कहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: आपने कहा है, रिकार्ड देख लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: रिकार्ड देखने की बात नहीं है। भाषा को समझिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं इस पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): बूटा सिंह जी के बारे में कहा है। यह तो गौरव की बात है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनको आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: ठीक है। मैं आगे रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन हमने नहीं कहा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नीतीश जी, आपने इसका उल्लेख कर दिया है लेकिन बार-बार कहने से यह अपमानजनक हो जाएगा। बार-बार दोहराना अपमानजनक हो जाता है।

श्री प्रणब मुखर्जी: आप पूरे वाक्य पर ध्यान दीजिए। पूरा वाक्य ही अपमानजनक है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी स्वयं जांच करूंगा। कृपया इसे मेरे पास लाइएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बार-बार दोहराने से अपमानजनक लगता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: मैं नहीं कह रहा हूं। मैं प्रणब बाबू को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं अपने भाव को व्यक्त नहीं कर रहा हूं। क्षमा करेंगे, मैंने पहले जिन महानुभाव का उद्धृण दिया है, उन्हीं के बारे में कह रहा हूं। मेरे ऐसे विचार नहीं हैं। मेरे मन में इज्जत है। श्री बूटा सिंह जी राज्यपाल के पद पर बैठे हैं, उनके बारे में मेरे मन में इज्जत है। मैं उनके साथ काम कर चुका हूं। ये सिर्फ आपकी पार्टी में नहीं रहे हैं। 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। उनके साथ मंत्रिमण्डल में बैठने का मुझे भी अवसर मिला है। संसद में बैठने का मौका मिला है। मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं उनके बारे में यह बात नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब तक चलेगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक योजना तो नहीं है, कोई गेम प्लान तो नहीं है? आप उन्हें बैठाकर परोक्ष रूप से राज करते रहें। अगर परोक्ष शासन चलाने की कोशिश होगी, तो उसका विरोध होगा। तात्कालिक आधार पर कुछ दिनों पहले अगर ऐसी स्थिति आती है और उसके सिवा कोई विकल्प नहीं, तो दूसरी बात है। लेकिन इसकी आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति करने से दूसरों को भी रोका जाना चाहिए। अगर राज्यपाल के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का उल्लेख होने लगेगा, इस प्रकार से सदन के बाहर राज्यपाल के पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उनके इर्द-गिर्द विवाद मंडराने लगेगा - ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि हम पर यह आरोप न लगाएं। यदि हम पर आरोप लगाएंगे, तो उन पर भी आरोप लगेगा। जब कोई राजनीति विरोधी के ऊपर बोलेंगे तो यही आरोप लगेगा कि वह पिछड़ा है। इसलिए इस बात को बंद करें। मैं इस सदन के माध्यम से उनको सलाह दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार बननी चाहिए। सरकार कैसे बनेगी? सरकार तो बनेगी अगर सचमुच कांग्रेस चाहे। लालू जी के साथ मिलकर बना लीजिए, आर.जे.डी. के साथ मिलकर बना लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अलग मामला है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: डिफरैंट मैटर नहीं है, सरकार बनाने की बात है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनका आचरण कैसा होना चाहिए? क्या आप उन्हें मित्रतापूर्व सुझाव दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अगर ऐसी बातें नहीं होंगी तो नीरस हो जाएगा। आज आप भी अच्छे मूड में हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको पता है आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने समर्थन दे दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जाकर उनको बता दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: वह पक्का है ना, क्योंकि आपके दूसरे मंत्री भी इस्तेमाल कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: आप हाउस में आकर एक-दूसरे को झगड़ा करने के लिए इन्सटीगेट कर रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार: हम इन्सटीगेट नहीं कर रहे हैं। अगर इन्सटीगेट करना होगा तो बाहर करेंगे, यहां क्यों करेंगे।...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि आप सरकार बना लीजिए। अगर हम इन्सटीगेट करना भी चाहें, तो आप मत होइए।...*(व्यवधान)* आप आपस में मिल जाएं, बिहार को सरकार मिल जाएगा - एक रास्ता यह है। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि आप इन्सटीगेट कर रहे हैं। मैं इन्सटीगेट नहीं करता और उसकी जरूरत भी नहीं है। पहले से ही इतना मसाला मौजूद है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह नेताओं के आचरण संबंधी चर्चा बन गई है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: यह दो नेताओं के बीच की चर्चा बन गई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको रोकना नहीं चाहता। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कृपया जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, आज प्रणब बाबू पता नहीं क्यों गुस्से में आ रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं गुस्से में नहीं आ रहा हूं।

श्री नीतीश कुमार: आपकी स्थिति तो एक साल बाद बंगाल में आने वाली है, अभी क्यों गुस्सा हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही सभी प्रश्नों को उठा चुके हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: कुछ प्वाइंट्स बचे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: अभी भी कुछ प्वाइंट्स बचे हुए हैं।

श्री नीतीश कुमार: अभी रघुवंश बाबू ने एक बात कही। दो ही रास्ते हैं। तीसरे रास्ते की बात कही जाती है कि जे.डी.यू. कुछ नहीं करता, गैर-आर.जे.डी., गैर बी.जे.पी. सरकार बन सकती है। उसके जवाब में हमने कहा कि जे.डी.यू. के पास 55 एम.एल.एज हैं। 122 का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए 67 एम.एल.एज की जरूरत है। आप 67 एम.एल.एज का इंतजाम कर लें और 55 का समर्थन ले जाएं। अब 67 एम.एल.एज कहां से पूरे होंगे, बगैर कांग्रेस के 67 एम.एल.एज पूरे नहीं होते। इसलिए पाटील साहब से विशेष तौर पर आग्रह है कि आपने यहां घोषणा कर दी तो कम से कम यह चर्चा बाहर बंद हो जाए। आपके बगैर 67 एम.एल.एज पूरे नहीं होते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इस मुद्दे पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अब बात समाप्त हो रही है।...*(व्यवधान)* आप उनको ज्यादा क्यों बचा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम उनको नहीं बचा रहे हैं।

[अनुवाद]

अगर मुझे पता होता कि आप ये सब बोलेंगे तो मैंने आपको इससे आधा समय भी नहीं दिया होता। परन्तु मैंने आपको समय दिया। अब आप ये सब नहीं बोलिये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: आपकी विशेष कृपा है। इसके लिए मैं आपका ग्रेटफुल हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है हम किसी को नहीं बचा रहे हैं। अगर हम किसी को बचाने की कोशिश करते हैं तो वह पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी है।

श्री नीतीश कुमार: थोड़ा-बहुत चलता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय सदस्यों से कहा है कि इस बात को ध्यान में रखिए। यह एक सामान्य बात नहीं है। भारत का कोई भी राज्य यदि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत रहता है तो यह दुख की बात है। परन्तु इस संबंध में कुछ किए जाने की आवश्यकता है। हम देखेंगे कि हम इस मामले को कैसे सुलझा सकते हैं। आप इधर-उधर की बात न करके सीधे संदर्भ की बात कीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: आपके जो विचार हैं, हमारी पूरी थीम उसी पर आधारित है। इसीलिए हमने सी.पी.आई. (एम) के मुख्य पत्र को कोट किया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कभी-कभी सीखना भी चाहिए।

श्री नीतीश कुमार: हम वैचारिक रूप से कोट करते हैं, लेकिन बसुदेव आचार्य जी लालू जी से मिले रहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बोलिए।

श्री नीतीश कुमार: मैं एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा। आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया, तो जो अधिसूचना जारी की,

उसमें आपने धारा 195 को भी निलंबित कर दिया। जहां तक बिहार विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं का प्रश्न है, मैं आग्रह करूंगा कि जो विधायक चुनकर आए हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। उन्हें पर्क्स मिलने चाहिए। एक बार जो चुनकर आ जाता है, उससे लोगों की अपेक्षाएं भी होती हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति आई थी। जो सदस्य चुनकर आए थे, उनको वे सुविधाएं दी गई थीं। जो बिहार विधान सभा से पारित कानून है, उसमें भी कुछ बाधाएं हैं कि शपथ लेने के बाद ही पर्क्स आदि मिल सकते हैं। उसमें वहां संशोधन हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 195 आपके इस प्रोक्लेमेशन के साथ ही निलंबित है। इसलिए हम एक आग्रह करना चाहेंगे कि वहां के नव-निर्वाचित विधायकों को *[अनुवाद]* अनुच्छेद 195 जो विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों से सम्बन्धित हैं निलम्बित हैं जिसके कारण उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है।

[हिन्दी]

आर्टिकल 195 का यह पक्ष निलंबित है, सस्पेंडेड है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि नव-निर्वाचित विधायकों को वेतन मिले, कुछ सुविधायें मिलें ताकि वे काम कर सकें। ऐसा पूर्वोदाहरण उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): अभी सभा को समवेत होना है। अभी सदस्य शपथ कैसे ले सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: ओथ वाला आप वहां से अमेंडमैंट कर सकते हैं लेकिन मूल धारा 195 निलंबित है। वहां के कानून में जो कमी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। आपको प्रत्येक सदस्य को सम्बोधित करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह विशेष परिस्थिति में विशेष इंतजाम है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के सदस्यों के लिए विशेष परिस्थिति में विशेष इंतजाम किया जाये। एक बार फिर हम आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से रूलिंग पार्टी, रूलिंग काम्बीनेशन से दरख्वास्त करेंगे कि राष्ट्रपति शासन तात्कालिक आधार पर कुछ समय के लिए लागू किया जाये, तो ठीक है, लेकिन इसे अनन्त काल तक जारी रखने की अगर कोई योजना है, तो उस योजना को अमली जामा पहनाने से पहले आप सौ बार सोचिये। उसका डटकर विरोध होगा और जब-जब लोकतंत्र को इस प्रकार से तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश हुई है, तब-तब विरोध हुआ है। कचड़ा साफ कर देने से आपको राष्ट्रपति शासन का समर्थन नहीं मिल जायेगा। इमर्जेंसी के बात चुनाव हुए, तो उस समय जनता ने क्या फैसला दिया, वह आपको मालूम है।...*(व्यवधान)* ट्रेनें समय पर चल रही थीं।...*(व्यवधान)* इसलिए इस विचार धारा को मानने वाले आपके जो भी सहयोगी हों, उन्हें रोकिये। मुझे खुशी होती कि पासवान जी पहले आ जाते। वह कुछ देर से आये हैं।...*(व्यवधान)*

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): मैं पीछे बैठकर आपकी बात सुन रहा था।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: जब आप सुन रहे थे, तो अपनी बात जरूर कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने जो सहयोग दिया उसका धन्यवाद। अब श्री निखिल कुमार बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चलिए अब हम उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह एक सामान्य बात नहीं है। अब हम इस पर उचित ढंग से बातचीत करें।

अब वो आ गए हैं।

श्री नीतीश कुमार: जी हां, महोदय।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: निखिल कुमार के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**....

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री. निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): अध्यक्ष महोदय, माननीय नीतीश कुमार जी ने बड़ा जोरदार भाषण दिया लेकिन उन्होंने प्रोक्लेमेशन पर कम और बिहार की स्थिति पर ज्यादा भाषण दिया। मैं समझता हूं कि मुझे भी बिहार के बारे में बोलने की अनुमति मिलेगी। बिहार के बारे में ही नहीं, बल्कि ऐसे कई विषय हैं जिनका प्रोक्लेमेशन से कोई संबंध नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमें किसी की प्रतिष्ठा पर आघात नहीं करना चाहिए। सभी सम्माननीय सदस्य हैं। दृष्टिकोण, नीतियां और दल अलग-अलग हैं। मैं सभी से अपील कर रहा हूं। मैं किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं। इसलिए, मैं कह रहा हूं कि हमें एक-दूसरे के विषय में इस ढंग से बात नहीं करनी चाहिए, जिससे इस सभा की प्रतिष्ठा पर भी आंच आए। सभी सदस्य सम्माननीय हैं। वे जनता के प्रतिनिधि हैं।

श्री निखिल कुमार: महोदय, मैं बिहार में राष्ट्रपति शासन और भारत सरकार की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रपति शासन के संबंध में की गई उद्घोषणा का समर्थन करता हूं।

मुझे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को न्यायोचित ठहराए जाने की उम्मीद थी। माननीय गृह मंत्री ने कुछ हद तक इसका काफी अच्छा स्पष्टीकरण दिया है लेकिन, मुझे लगता है, इसे दुहराना पड़ेगा। पिछली फरवरी में आम चुनाव के बाद, बिहार में ऐसी स्थिति बनी कि किसी एक दल अथवा दलों के गठबंधन को इतनी सीटें नहीं मिली, जितनी बहुमत के लिए आवश्यक थी ताकि एक स्थायी सरकार बन सकती। इन परिस्थितियों में राज्यपाल के ऊपर भारी जिम्मेदारी आ जाती है। तब राज्यपाल को यह देखना होता है कि सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया जाए। और ऐसा करने के लिए, राज्यपाल को निश्चित मानदण्डों के आधार पर निर्णय लेना होता है। पहला मानदण्ड यह है कि सरकार बनाने जा रहे व्यक्ति के अधिकार में विधानसभा में इतनी सीटें होनी चाहिए, जिससे स्थायी सरकार बनाई जा सकती हो।

माननीय गृह मंत्री ने विभिन्न दलों का सीट-वार ब्यौरा पहले ही बता दिया था और स्थिति यह थी कि उनमें से किसी के पास भी वैयक्तिक रूप से अथवा राजनैतिक दलों के साथ गठबंधन के रूप में सीटों का बहुमत नहीं था।

संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 के तहत सामान्य परिस्थितियों में, राज्यपाल को किसी प्रकार संदेह करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि इस प्रकार नियुक्त किए जाने के लिए कौन-सा व्यक्ति उचित है। विधान सभा में बहुमत वाले दल का व्यक्ति नेता होना चाहिए लेकिन ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, जब यह सन्देह हो कि वह नेता कौन होना चाहिए। इस स्थिति में, राज्यपाल को मुख्यमंत्री का चयन करने में अपना निजी निर्णय लेना होता है।

संविधान में इस स्थिति की परिकल्पना की गई है कि उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसे विधायिका का विश्वास हासिल हो। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल को अपना निर्णय इस ढंग से देना चाहिए कि एक स्थायी सरकार बनाई जा सके। मैं फरवरी, 2000 की स्थिति की बात करता हूं जिसके बारे में माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार द्वारा कहा गया था, और कहता हूं कि संदर्भ से हटकर इसका उल्लेख किया जा रहा है।

प्रश्न यह नहीं है कि क्या कोई दावा किया गया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार किया। प्रश्न यह है कि फरवरी, 2000 में राज्यपाल ने किस प्रकार का निर्णय लिया था। तब उनके सामने विकल्प था कि क्या अधिकतम सीटें प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में होगा। प्रश्न यह नहीं है कि क्या कांग्रेसी पार्टी जैसा एकल दल इस दल को या उस दल को समर्थन दे रहा है अथवा नहीं। प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए व्यक्ति को आमंत्रित करने में अपने विवेक और अपने निर्णय का प्रयोग किया था अथवा नहीं; बाद में, जो वास्तव में हुआ था, उससे पता चला कि उन्होंने किसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था; और वह भद्रपुरुष और वह सरकार जहां तक मेरा ख्याल है, 10 या 12 दिन से अधिक नहीं चली। अतः, राज्यपाल का विवेक राज्यपाल का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। यही घटना थी, जिसका उल्लेख अब उच्चतम न्यायालय ने प्रसिद्ध बोम्मई मामले में किया था। मैं उस निर्णय से उद्धरित कर रहा हूं:

> "आम चुनाव हो जाने के बाद, यदि कोई भी राजनैतिक दल अथवा राजनैतिक दलों का गठबंधन विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है और राज्यपाल द्वारा विकल्पों को खोजने के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है

जिसमें कोई भी राजनैतिक दल स्थायी सरकार का गठन करने में समर्थ नहीं होता है, तो स्थायी सरकार बनाने में किसी ऐसे दल की पूर्ण उल्लेखनीय अक्षमता होगी, जिसे विधानमंडल के बहुसंख्यक दल का विश्वास हासिल है। यह संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी।"

इसलिए, अब हमें यह देखना है कि क्या इन राज्यपाल महोदय ने सारी संभावनाओं का दोहन कर लिया है या नहीं और सारी संभावनाओं के दोहन के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अकेले किसी राजनैतिक दल अथवा अन्यथा द्वारा स्थायी सरकार बनाना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार ने वास्तव में उस पर प्रश्न नहीं उठाया है।

श्री निखिल कुमार: महोदय, मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूं। आपकी चेतावनी के बाद, मैं उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बच रहा हूं, लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने फरवरी, 2000 की स्थिति बयान कर दी थी। मामला यहां राज्यपाल के निर्णय और राज्यपाल के फैसले का है। इस फैसले पर टिप्पणी की जा रही है। उन्होंने उस व्यक्ति को आमंत्रित करने का निर्मय किया, जो विधानसभा में बहुमत की स्थिति में नहीं था और 10 या 12 बीतने के बाद उसे कुर्सी छोड़नी पड़ी थी।

प्रश्न यह नहीं है कि एक एकल दल ने इस या उस दल को समर्थन दिया अथवा नहीं। इस संदर्भ में हमें वर्तमान बिहार राज्यपाल के निर्णय को देखना है। वह ऐसा निर्णय कर सकते थे। यह समर्थनकारी निर्णय ले सकते थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया? उन्होंने प्रत्येक दल और प्रत्येक गठबंधन को आगे आने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया कि वे सरकार बनाने की और उन्हें संतुष्ट करने की स्थिति में हैं। दुर्भाग्यवश, यह स्थिति नहीं थी। वह इस से आगे बढ़कर निर्णय ले सकते थे और विधानसभा भंग कर सकते थे। यह असाधारण होती क्योंकि आम चुनावों के तुरंत बाद, आप विधानसभा भंग नहीं करते।

इसलिए, उन्होंने विधानसभा को निलंबन की अवस्था में रखने का निर्णय लिया है तथा राजनैतिक दलों की सरकार बनाने का मौका दिया है। मुझे विश्वास है कि यदि मौका दिया जाएगा तो सरकार बनाने का कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा तथा यह सरकार एक स्थायी तथा धर्मनिरपेक्ष छवि की सरकार होनी चाहिए।

फरवरी, 2000 के बाद, जब सरकार का गठन हुआ, तो जो सरकार सत्ता में आई उसकी छवि संपूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष थी। बिहार में तुरंत ही किसी भी प्रकार का समझौता होने पर तथा सरकार बनाने का कोई उपाय निकलने पर जिस सरकार के बनने की हमें आशा है उसकी छवि भी इसी प्रकार से एक संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष सरकार की छवि होगी।

इस पूरे मामले में, मैं अपने दल के दृष्टिकोण को रखना चाहूंगा। हमने इस मामले को बहुत गहराई से देखा तथा हम किसी के भी प्रति पक्षपात करते हुए नजर नहीं आते हैं। यह मांग नजर आने का प्रश्न नहीं है बल्कि यह एक वास्तविकता है। हमने ईमानदार रहने का भरसक प्रयास किया। हमने राष्ट्रीय जनता दल के लिए समर्थन देने के लिए पत्र लिखा था तथा समर्थन भी दिया था चूंकि राष्ट्रीय जनता दल हमारे संगठन का एक घटक है। हमारी पार्टी केन्द्र में है तथा यह यू.पी.ए. का एक सदस्य दल है, इसलिए यह कोई विशेष बात नहीं थी। लेकिन यह किए जाने के बावजूद, भी सरकार बनाया जाना संभव न हो सका। इसलिए, सरकार बनाए जाने की प्रक्रिया चलती रहेगी तथा इसके चलने से हम प्रत्येक संभावनाओं का पता लगा सकेंगे। हमें आशा है कि बहुत ही जल्द एक स्थिर सरकार बन जाएगी। बिहार में अनिश्चित समय तक राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का हमारा कोई मंतव्य नहीं है। यह एक स्थायी प्रक्रिया नहीं होगी। जैसी लोगों को उम्मीद है यह एक कामचलाऊ सरकार नहीं होगी। हमारी हार्दिक इच्छा है कि बिहार को एक अच्छी सरकार बने तथा जब तक ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति शासन अपरिहार्य है। सरकार बनाने हेतु संभावनाओं की खोज की जा रही है तथा जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मुझे यकीन है कि एक धर्मनिरपेक्ष तथा स्थायी सरकार बन जाएगी।

अब, मैं बिहार के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। हम बजट पर, बाद में, अपराह्न में, चर्चा करेंगे तथा उस पर भी बोलने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहूंगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं बजट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब्र कीजिए। पहले, इस मद पर चर्चा तो पूरी होने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री निखिल कुमार: इस मामले में भी, मैं यह तथ्य रखना चाहूंगा कि बिहार में सरकार के गठन में सांविधानिक प्रक्रिया अपनाने हेतु अत्यधिक संयम बरतने के लिए बिहार के राज्यपाल

[श्री निखिल कुमार]

प्रशंसा के पात्र हैं। हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए कि वे संवैधानिक मार्ग से नहीं डिगे तथा अच्छी सरकार बनाने हेतु उन्होंने सभी राजनैतिक दलों को पूरा अवसर दिया तथा तब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की घोषणा का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष जी, बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगाया है, हमें बहुत मजबूरी में इसका समर्थन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी की हमेशा यही राय रही है कि राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और कोई सरकार बर्खास्त हो। बिहार में चुनाव राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए नहीं हुए थे, बल्कि एक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए चुनाव हुए थे। लेकिन चुनाव में जो नतीजा आया, वह खण्डित नतीजा है।

बिहार में फ्रैक्चर्ड मैनडेट है। लेकिन बिहार के विधान सभा चुनावों में जो यह जनता की राय आई है, मैनडेट आया है, यह धर्मनिरपेक्ष दलों के पक्ष में आया है। बिहार की जनता चाहती है कि वहां धर्मनिरपेक्ष सरकार बने। पिछले लोक सभा चुनावों में और इस बार के विधान सभा चुनावों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों का पर्सेंटेज आफ वोटिंग देखें तो जितने प्रत्याशी लोक सभा के चुनाव में जीते थे, उतने ही अब जीते हैं। इसलिए बिहार की जनता की राय यही है कि वहां एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाई जाए। वहां तत्काल सरकार नहीं बन सकी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं सरकार बन पाई, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी पार्टी का मत यही है और हम अब भी अपील कर रहे हैं कि तमाम धर्मनिरपेक्ष दल सरकार बनाएं। हम नहीं चाहते कि बिहार में राष्ट्रपति शासन ज्यादा दिन तक चले। हम चाहते हैं कि वहां जल्द से जल्द एक लोकप्रिय सरकार बने और धर्मनिरपेक्ष सरकार बने। इसलिए वहां जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं, जो आज सरकार बना सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए। बिहार की जनता की भी यही राय है। हम चाहते हैं कि वहां जल्द से जल्द एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाकर राष्ट्रपति शासन को खत्म किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से नए चुनावों का सवाल खड़ा होगा। हम चाहते हैं कि जनता का जो मैनडेट है, जो राय है, उसके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। अगर आप सम्मान दिखाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द वहां धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाई जाए। यही हम लोगों की इच्छा है और यही हम मांग करते हैं। हम क्यों राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हैं, अध्यक्ष महोदय, यह आप भी जानते हैं। हमने केवल एक बार 1992-1993 में राष्ट्रपति शासन का समर्थन किया था। उस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। जिन चार राज्यों में जिस दल की सरकारें थीं, उसका सक्रिय ढंग से बाबरी मस्जिद गिराने में हाथ था।...*(व्यवधान)* इसीलिए हमने उस समय इन चार राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उसका समर्थन किया था। उस समय उन चार राज्यों में, हमारे देश के संविधान का जो आधार है धर्मनिरपेक्षता का, उसका उल्लंघन किया था। अगर कोई राज्य सरकार संघीय विधान का उल्लंघन करती है, तो हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। इसीलिए हमने पहली बार राष्ट्रपति शासन का 1992 में समर्थन किया था। आपको मालूम होगा देश में केरल प्रांत में सबसे पहले एक कम्युनिस्ट सरकार चुन कर सत्ता में आई थी। पहली बार वहां सरकार के खिलाफ धारा 356 लगा कर उस सरकार को सत्ता से हटाया गया था। आपको यह भी मालूम होगा कि दूसरी बार जब संयुक्त मोर्चा की बहुमत वाली सरकार पश्चिम बंगाल में थी, उस समय 1968 में उस बहुमत वाली सरकार को भी धारा 356 के द्वारा हटाकर पश्चिम बंगाल में दूसरी सरकार को बिठाया गया था। वह सरकार भी चली नहीं और फिर चुनाव हुआ और 6 महीने के अंदर फिर संयुक्त मोर्चे की सरकार दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आ गयी। इसलिए हम तो विक्टिम हैं, बार-बार धारा 356 लगाकर सरकार को हटाने के। इसलिए हमारी स्पष्ट राय है कि जिसका बहुमत है, उसका निर्णय विधान सभा में होना चाहिए और जिसकी मैजोरिटी हो, उसको सरकार बनाने की इजाजत देनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी सदन के बाहर जो सवाल उठा रही है, उनको तो बोलने का भी अधिकार नहीं है। उसने 13 दिन के लिए सन् 1996 में सरकार बनाई। उनका बहुमत नहीं था, उनके पक्ष में कोई मैनडेट नहीं था।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): झारखंड में क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह आपको डिस्ट्रेक्ट कर रहे हैं, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: प्रभुनाथ सिंह जी, हमको बोलने दीजिए। जब बहुमत हासिल करने का समय आया...*(व्यवधान)* तो वोट ऑफ कॉनफिडेंस भी फेस नहीं कर सके और 13 दिन के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। आपको याद होगा कि वर्ष 1996 में कांग्रेस सिंगल मैजोरिटी पार्टी थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने उस समय सरकार बनाने से इंकार कर दिया। नीतीश जी बोल रहे थे कि सन् 2000 में क्या हुआ? नीतीश जी कह रहे थे कि वे करीब-करीब मैजोरिटी में थे, तो क्या मुख्यमंत्री बनकर आप मैजोरिटी हासिल करना चाहते थे। सात दिन मुख्यमंत्री रहे, फिर इस्तीफा देना पड़ा। उनको मालूम था कि उनका बहुमत नहीं है लेकिन दिल्ली में एन.डी.ए. की सरकार ने गवर्नर का दुरुपयोग किया, गलत तरीके से जिसका बहुमत नहीं था, उसको मुख्यमंत्री बनाया। आप बहुमत हासिल क्यों नहीं कर सके थे?...*(व्यवधान)* आप तो कम्युनल पार्टी के साथ घर बना रहे थे। अगर आप उस पार्टी से यहां आकर, गंगाजल से नहाकर भी प्रामाणिक करना चाहें कि आप धर्म-निरपेक्ष हैं, तो भी कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा।...*(व्यवधान)*

जब आर.जे.डी. की सरकार थी, हमने तब विरोध किया था, मैजोरिटी थी। विधान सभा में उस सरकार को हटाया गया और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। यह प्रोक्लेमेशन हो गया था।

लोक सभा में सभी विरोधी पक्षों ने उसका विरोध किया। राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था। यदि इनका वहां बहुमत होता तो यह प्रोक्लेमेशन राज्य सभा में पारित हो जाता और बिहार में आर.जे.डी. सरकार की मैजोरिटी के रहते हुए भी, सरकार को सत्ता से हटा कर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कदम उठाने पड़ते। आज आप लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप आज राष्ट्रपति शासन के खिलाफ बोल रहे हैं। खुद सत्ता में रह कर आपने यह काम किया इसलिए आपको यह बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम बोल सकते हैं। हमने बराबर इसका विरोध किया। इंटर स्टेट काउंसिल में हमने सुझाव दिए। हमने सबसे पहले वहां सुझाव दिया जिसे हम जानते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नर के पद और ऑफिस का जो दुरुपयोग होता है, वह बंद होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि बिहार में ज्यादा दिन राष्ट्रपति शासन रहे। हम चाहते हैं कि वहां जल्दी से जल्दी एक लोकप्रिय और धर्मनिरपेक्ष सरकार बने।...*(व्यवधान)* ऐसी सरकार बनेगी। राम विलास जी हैं, लालू जी हैं, वामपंथी दल हैं, कांग्रेस है, तमाम लोग हैं, अगर नीतीश जी इधर आ जाएंगे तो सरकार बनेगी...*(व्यवधान)* वह अगर नहीं आएंगे तब भी बन जाएगी। हम चाहते हैं कि वहां लोकप्रिय सरकार बने। हमारी अपील है और मैं बार-बार अपील करता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बने।

श्री नीतीश कुमार: हमें आज बसुदेव जी से एक बात पता चली कि यह गंगा जल को पवित्र मानते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह हमारे राष्ट्रगान का एक भाग है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: हम चाहते हैं कि वहां जल्दी सरकार बने। अगर वह नहीं बनती है तो चुनाव कराने पड़ेंगे। जनादेश धर्मनिरपेक्ष दलों के पक्ष में है। उनको सम्मान देना तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों का कर्तव्य है। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां सरकार बने वरना नए चुनाव कराने पड़ेंगे।

झारखंड के बारे में ये लोग बोल रहे हैं। हमने झारखंड के बारे में साफ-साफ कहा कि हमने उसका कभी समर्थन नहीं किया। वहां जो घटना घटी, हमने उसका समर्थन नहीं किया। इन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि इन्होंने खुद 6 साल सत्ता में रह कर राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया। ...*(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव का नाम पुकारा है और केवल उन्हीं का भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बात मत कीजिए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। केवल श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव का भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**...

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बात न करें। श्री आचार्य, कृपया बैठ जाएं। मैंने पहले ही श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण चर्चा है जो सभा में चल रही है। इस मुद्दे पर हमें अच्छे भाषण सुनने के अवसर भी मिलेंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्य महोदय, माननीय गृह मंत्री जो प्रस्ताव राष्ट्रपति शासन लागू करने का लाए हैं, मैं बड़े दुख के साथ उसके ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूं। हरेक प्रोक्लेमेशन की स्थिति राज्यवार अलग-अलग होती है। हरेक राज्य में अलग-अलग प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती हैं, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू करने की परिस्थिति पैदा होती है। बिहार में, देश के इतिहास में राष्ट्रपति शासन की परिस्थिति का जिस तरह निर्माण हुआ है, यह अद्भुत है, अजूबा है और अभूतपूर्व है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि पहली बार आम चुनाव के बाद, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आर.जे.डी. उभर कर आई। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद वह अकेली क्लेमेंट हुई। राज्यपाल महोदय के पास आर.जे.डी. के नेतृत्व में अकेले सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। सरकार बनाने के लिए किसी दूसरे दल ने क्लेम नहीं किया, इसलिए यह अद्भुत स्थिति है। इस अद्भुत स्थिति के निर्माण में अकेला दल है आर.जे.डी., जिसने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इतना ही नहीं दावा ही नहीं किया, आर.जे.डी. की लाईक माइन्डेड पार्टियों के पत्र भी इसी प्रस्ताव के समर्थन के साथ, जो इसमें अंकित हैं, प्रस्तुत किये गये। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, मैं उसकी डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जो समर्थक दल था उनके समर्थन पत्र वहां प्रस्तुत किये गये और यह भी कहा गया कि जो लोग हमारी लाईक माइन्डेड पार्टी, सैक्युलर कम्पार्टमेंट के दल हैं, उनसे वार्ता हो रही है। उसका भी संकेत दिया है और पोजीटिव संकेत दिया है। इसके बावजूद भी न्यौता नहीं मिला। मैं दु:ख के साथ इसी बात को कहना चाहता हूं कि क्या ऐसी परंपरा नहीं रही है? क्या ये दल हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार का गठन नहीं करने वाले हैं...*(व्यवधान)* श्री नीतीश कुमार क्लेमेंट नहीं है। मैं अपनी बात...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें। आप प्रत्येक माननीय सदस्य की बात का उत्तर नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: श्री नीतीश कुमार और अन्य, चाहे एन.डी.ए. पार्टी के नेता हैं या किसी भी सैक्यूलर कम्पार्टमेंट के नेता हैं, सिर्फ यही बात कहने गए कि सरकार का गठन नहीं होना चाहिए। मैंने इसी अद्भुत परिस्थिति की चर्चा की कि यह लोकतंत्र में एक अजीब उदाहरण पेश हुआ है। हम सब लोग सर्वोच्च सदन में बहस कर रहे हैं। इस बहस को सदन किस परिणति तक ले जाएगा, किस अंत तक ले जाएगा। परिस्थिति का निर्माण करने में सैक्यूलर कम्पार्टमेंट की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सैक्यूलर कम्पार्टमेंट के दल भी रोकने में शामिल हैं। एन.डी.ए. का...*(व्यवधान)* आपको तो रोकना ही था, आपकी परवाह हम नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे। आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। ठीक है आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: बिहार में एक विचित्र स्थिति, पिक्यूलियर सिचुएशन पैदा हुई...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): सैक्यूलर और नान-सैक्यूलर की बात...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बीच में टोका-टाकी न कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं अपनी बात कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह सभा में आचरण का तरीका नहीं है। महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। जो वक्ता बोल रहे हैं, वे गणमान्य सदस्य हैं। कृपया उन्हें परेशान न करे। मैंने सबको डांटा है। आपके बोलने से पहले डांटा है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): आपने नहीं डांटा है। वे प्रॉमार्टिंग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कहा है कि कृपया टोका-टाकी न करें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: चाहे एन.डी.ए. दल हो या सैक्यूलर कम्पार्टमेंट का दल हो, सिर्फ सरकार बनाने का प्रयास नहीं, सरकार के गठन को रोका गया है।...*(व्यवधान)* उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम क्लेम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता बहुत अच्छे ढंग से बोल रहे हैं। आपके नेता को काफी टाइम दिया गया है। आप किसी और को नहीं बल्कि अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ पढ़ दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। आप क्यों बोल रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इसमें लिखा है कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई भी माननीय सदस्य की बात के बीच नहीं बोलेगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: राज्यपाल महोदय को जो पत्र लिखा गया कि परिस्थिति का निर्माण कैसे हुआ। मैं परिस्थिति निर्माण के बारे में बोल रहा हूं। सरकार का गठन न हो, इस परिस्थिति को निर्माण करने में कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए जिम्मेदार हैं - पार्टियां - सर्वश्री वीजेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष (जनता दल यूनाइटेड), गोपाल नारायण सिंह (भारतीय जनता पार्टी), नंद किशोर यादव, संयोजक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, लिखते हैं, मैं सारा पोरशन नहीं पढ़ना चाहता हूं सिर्फ आपरेटिव पोरशन पढ़ूंगा।

'कि बी.जे.पी. और जे.डी.यू. का चुनाव पूर्व गठबंधन है, जिसने मिलकर चुनाव लड़ा, उसके 92 विधायक हैं।' और अंत में कहते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: 'राजग की संख्या बहुमत से ज्यादा है, इसलिये राजग ने, किसी भी अन्य दल द्वारा सरकार गठित न हो, इसके लिये अपने विचार प्रकट किये हैं।' अब मैं दूसरी पार्टी का पढ़ देता हूं। समाजवादी पार्टी के चार विधायक हैं। उनका भी यही हाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से व्यवधान उत्पन्न न करने का अनुरोध करता हूं। यह एक गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री ददन सिंह कहते हैं - 'महामहिम राज्यपाल महोदय, समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने, जो चुनकर आये हैं, सरकार के गठन में राजद और राजग - दोनों का समर्थन न करने का निर्णय लिया है।' मुझे इस पत्र की अंतिम दो लाइनें पढ़ते हुये कष्ट हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप वहां से बिना आज्ञा बोल रहे हैं। उन्होंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है तथा आपने मेरा आज्ञा नहीं ली है। हर व्यक्ति बोलता चला जा रहा है। यह क्या हो रहा है? कृपया कोई भी व्यवधान उत्पन्न न करे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, परिस्थिति किस प्रकार से निर्मित हुई, मैं इस पर बोलना चाहता हूं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय, के पास राजभवन, पटना में एल.जे.पी. के सभी विधायक जाते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राज्यपाल महोदय, की रिपोर्ट में सब कुछ उद्धृत है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल औपरेटिव पोर्शन ही पढ़ देता हूं कि एल.जे.पी. के विधायकों की एक बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एल.जे.पी. बिहार में राजद और बी.जे.पी. को सत्ता से दूर रखने के लिये निर्णय लेती है और गठबंधन कोई दूसरा विकल्प तलाश करे। मतलब यह है कि उसका विकल्प कहां है, जो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसके बाद राजद को कांग्रेस पार्टीका समर्थन प्राप्त है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह आपका घर नहीं है। यहां स्पष्टीकरण लेने की प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आर.जे.डी. ने सरकार गठन के लिये दावा किया है। राज्यपाल महोदय से श्रीमती राबड़ी देवी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मिलने गया और राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया गया कि उन्हें सरकार गठन करने का अवसर दिया जाये। आर.जे.डी. को जिन दलों का समर्थन प्राप्त है, उनके पत्र भी हैं। इसके अलावा जिनका समर्थन मिला हुआ है, उनके पत्र भी हैं। जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई, तो एन.सी.पी. ने आर.जे.डी. को अपना समर्थन देने की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार बनाने के लिये परिस्थिति निर्मित हुई तो उसे रोकने का काम किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई आक्षेप नहीं करना चाहता...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: क्योंकि यह ऐतिहासिक अवसर है, इसलिये मैं उस बात का जिक्र करना चाहूंगा। कमीशन ऑन सैंट्रल एंड स्टेट रिलेशन्स क्या कह रहा है। ऐसी परिस्थिति में सब से बड़े दल को चांस मिलना चाहिये या कुछ और होना चाहिये। इसके पेज 119 पर जो लिखा है, वह मैं दो लाइनें पढ़कर सुनाता हूं:-

[अनुवाद]

> "...कई स्थितियों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने हेतु...राज्य में राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति में राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की।"

[हिन्दी]

जब अस्थिरता की स्थिति बनती है, उसका विकल्प तलाशने की बात की जाती है। एक एक्सरसाइज होती है, जिससे सरकार बनाने में मदद मिले। सरकारिया कमीशन ने साफ-साफ कहा है कि यदि बड़ा दल सरकार बनाने में विफल हो जाता है, तो चुनाव पूर्व गठित सब से बड़े गठबंधन की बात की जाती है। नम्बर दो, चुनाव पूर्व गठबंधन यदि विफल हो जाता है, तब चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा गठबंधन होगा, उसे सरकार बनाने का मौका मिलेगा। यदि वह भी विफल हो जाये, फिर अन्य दलों को मौका मिलेगा, जो अन्य दल मोर्चा बनाकर कोशिश करेंगे, तो सरकार बनाने की संभावना तलाशने का पूरा-पूरा प्रयास होगा। लेकिन इसमें कहां अन्य की भूमिका आती है। मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। महोदय, चूंकि आपका भी नियमन होगा कि जो प्रयास में कमी रही है, कोताही की गई है, क्या सरकार बनाने की एक्सरसाइज बिहार में नहीं हो सकती थी - यह बात एक यक्ष प्रश्न के रूप में आज हमारे सामने खड़ी है। इसलिए मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वहां प्रयास नहीं किया गया। हमें फ्लोर पर बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया गया। हमारा सबसे बड़ा दल था, हमारे 75 एम.एल.ए. निर्वाचित हुए थे। बोम्बई केस में इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। वहां आर.जे.डी. को सबसे ज्यादा 25 प्रतिशत मत मिले हैं, अन्य किसी भी दल को 25 प्रतिशत मत नहीं मिले हैं। चाहे कैसे भी इसे मापा जाए, जो भी परम्परा लगानी हो, लगाई जाए, लेकिन एक्सरसाइज तो इस देश में होती रही है। बड़े दलों को इससे पूर्व सरकार बनाने

का मौका दिया गया है, ऐसे उदाहरण पूर्व में हैं, कितनी बार बड़े दलों को मौका दिया गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी बुलाया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं। संसदीय लोकतंत्र में ऐसा पहले हुआ है।...*(व्यवधान)* सबसे बड़ी पार्टी को भी बुलाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, नीतीश जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से जवाब दिया है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। कितनी बुद्धिमता और चतुराई से उनका जवाब आया है। नीतीश जी, आपने प्रयास किया - क्या यही कहकर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई कि 67 लाओ और 55 ले जाओ। कोई रास्ता तो निकाल दीजिए। पहले आपने एक दिन कहा था, मैं सदन में उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, आपने कहा था कि मैं हाथ नहीं डालूंगा और आप हाथ डालने का प्रयास भी कर रहे हैं - आप यह क्या कर रहे हैं। सरकार बनाने के लिए आप कौन सी भूमिका अदा करना चाहते हैं, यह भी आपको स्पष्ट करना होगा। आपने बहुत स्पष्टीकरण मांगे हैं, आपसे भी देश की जनता यह जानना चाहेगी कि 67 लाओ और 55 ले जाओ आपने क्यों कहा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको किसी अन्य व्यक्ति को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: बी.जे.पी. को छोड़ने की बात इन्होंने नहीं कही। आपने बड़ी बुद्धि का खेल खेला है। बी.जे.पी. का नाम नहीं लिया...*(व्यवधान)* इन्होंने बी.जे.पी. का जिक्र ही नहीं किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने भाषण समाप्त नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: यह काम लाठी का थोड़े ही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सीखना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता था कि नीतीश जी कोई फार्मूला निकालेंगे। हम लोग इतने उदार हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन के हक में नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो उन्होंने चाहा उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हम लोग वहां राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं हैं। आर.जे.डी. नैतिक, सैद्धांतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार में राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं है। वहां घोर अन्याय हुआ है। इसलिए मैं नीतीश भाई से कह रहा था कि यदि आप भी राज्यपाल महोदय को संभावना तलाशने में मदद करते, तो उनका समाधान हो जाता और आज बिहार में राष्ट्रपति शासन की नौबत नहीं आती। आपने थोड़ी कटौती करके प्रयास किया है। आपने पूरी बुद्धि से काम नहीं लिया है।...*(व्यवधान)* मैं खुलेआम कह रहा हूं कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर मत दीजिए। ये मात्र बाधा डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, जब भी यह बहस होगी, यह प्रश्न एक यक्ष प्रश्न के रूप में सामने खड़ा रहेगा। बिहार एक नमूना है, बिहार एक नई एक्सरसाइज करने की प्रयोगशाला बन गया है।...*(व्यवधान)* मैं अपने सुप्रीमों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे याद दिलाया है कि हम लोग देहातों से आते हैं। नीतीश भाई ने भी कहा कि लाठी नहीं चलेगी। गांव, गरीब, किसान के बीच में एक कहावत है - 'तोको न मोको और चूल्हे में झोंको' वहां सरकार को चूल्हे में झोंकने का काम किया गया है और इसके लिए भी हमारे देहातों में एक कहावत है - 'न हम बनने देंगे और न बनेंगे'। पहले सरकार बनने की संभावना थी और अभी भी है, लेकिन इन लोगों का उद्देश्य है कि किसी प्रकार वहां सरकार न बने। इसके लिए वे सब लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिहार में लोकप्रिय

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

सरकार और जनतांत्रिक सरकार का गठन नहीं होने दिया। उन लोगों ने 'तोको न मोको, चूल्हे में झोंको' वाला काम किया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूं। मुझे नियम के बारे में मालूम है कि आपको ऐड्रेस करके ही बोलना है।

अध्यक्ष महोदय, आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय का जो स्तंभ था, जो धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय का कंपार्टमैंट था, उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की करोड़ों जनता उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, जो लोग इस तरह से जनादेश का अपमान करते हैं। मैं इस बात को प्रोसीडिंग्स के माध्यम से इतिहास में दर्ज कराना चाहता हूं। चुनावों के बाद जनता की आकांक्षा होती है कि सरकार का गठन हो, लोकप्रिय सरकार बने, जनतांत्रिक सरकार बने। आज वहां एम.एल.ए. की स्थिति ऐसी हो गई है और ये इतने घबराए हुए हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी उनको पता नहीं चल रहा है कि एम.एल.ए. हुए या नहीं। वहां पिछली विधान सभा तो भंग हो गई, मगर नई विधान सभा का गठन नहीं हुआ, केवल इलैक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन हुआ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया टीका-टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, जो भूतपूर्व विधायक हैं, उन्हें तो सुविधाएं मिलती है, पैंशन मिलती है, लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात खत्म करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता, जो नीतीश जी ने कही कि सन् 2000 में क्या हुआ था। जब इन लोगों को सरकारिया कमेटी सूट करती है, तो अपने पक्ष में दलील दे देते हैं और जब-जब सूट करता है, उस तर्क को सदन में रख देते हैं। उस समय नीतीश जी कह रहे थे कि ये बहुमत के करीब थे और एक प्रयोग के तौर पर ही उन्हें बहुमत साबित करने का मौका दिया गया था। अपने लिए नए सिद्धांत गढ़ लिये जाते हैं। अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके के दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा में कोई समाचार पत्र न पढ़ा जाए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी। हमारा यही निवेदन है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। हम किसी भी तरह से आम जनता की आकांक्षा पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। आम जनता की आकांक्षा है कि लोकप्रिय सरकार बने, जनतांत्रिक सरकार बने। मैं सभी दलों के नेताओं से कहता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार नहीं बनना करोड़ों जनता का अपमान है, जिन्होंने जनादेश दिया है। सरकार नहीं बनने देना उनकी आकांक्षाओं पर कुठाराघात करना है। इसलिए हम लोग राष्ट्रपति शासन के घोर विरोधी हैं। आर.जे.डी. किसी भी हालत में न राजनैतिक तौर पर, न सैद्धांतिक तौर पर और न नैतिक रूप से राष्ट्रपति शासन की हिमायत करती है। हम इसके पक्ष में कतई नहीं हो सकते। हम इस पर अपनी असहमति जाहिर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी और जन आकांक्षा के अनुरूप लोकप्रिय सरकार के गठन की संभावना को तलाश कर उसे अंजाम देने का प्रयत्न किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मेरे पास दो और सदस्यों के नाम हैं, जो वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। मेरा विचार है हमें समयानुसार चलना चाहिए। हम भोजनावकाश के दौरान

कार्यवाही कर सकते हैं ताकि कार्यवाही शीघ्र समाप्त हो जाए। इसलिए, कोई भी, जो जाना चाहे, जा सकता है तथा रेल अथवा हवाई जहाज पकड़ सकता है। मेरा विचार है कि इस पर सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे।

धन्यवाद, अब श्री रामजीलाल सुमन।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को नहीं बुलाएंगे? बिहार का मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नीतीश जी अपने दल तथा मुख्य प्रतिपक्षी दल के लिए भी बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमारी पार्टी से अभी कहां बोले हैं?

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): प्रभुनाथ जी, हमें तो बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय: अभी उसके बारे में तय करेंगे। आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रामजीलाल सुमन की स्पीच के अलावा और कुछ रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

अपराह्न 1.00 बजे

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, बिहार में राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन पर यह सदन चर्चा कर रहा है। एक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए बिहार में चुनाव हुए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि जो घटक थे, जो सहयोगी दल थे, वे आपस में मिलने के बाद भी कोई सरकार नहीं बना सके और मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन के अलावा अन्य कोई विकल्प बिहार में नहीं था। हम लोग इस पक्ष में हैं कि एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो और राष्ट्रपति शासन की उम्र ज्यादा न हो। ऐसा सभी लोग चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथी श्री डी.पी. यादव जी ने जो सवाल उठाए, खास तौर से किन-किन राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया, किन राजनीतिक पार्टियों ने यह कहा कि हम न ही एन.डी.ए. को और न ही आर.जे.डी. को समर्थन देंगे। समाजवादी पार्टी ने एक पत्र लिखा था कि वह इस हक में हैं कि न आर.जे.डी. और न ही एन.डी.ए. की सरकार बने। मैं पूछना चाहता हूं कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, मेहरबानी करके आप अपने आपको देख सकते हैं। आर.जे.डी. और श्री पासवान जी की एल.जे.पी., यू.पी.ए. के घटक दल हैं। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग और श्री लालू प्रसाद तथा श्री पासवान जी साथ-साथ बैठे हैं और मंत्री बने हैं। बिहार में यू.पी.ए. की शक्ल दूसरी हो जाएगी। श्री देवेन्द्र जी आप किस पर आरोप लगा रहे हैं "गैर तकलीफ अब न फरमाएं, दोस्त काफी हैं दुश्मनी के लिए"। अगर आप लोगों में कोई तालमेल होता श्री लालू प्रसाद व श्री पासवान कांग्रेस पार्टी के साथ बिहार में एका कर लेते तो बिहार में सरकार बनने से कौन रोक सकता था। इसलिए मेहरबानी करके दूसरों पर दोषारोपण करने से बेहतर है कि अपने आप से पूछें। दिल्ली में यू.पी.ए. की शक्ल अलग है और बिहार में यू.पी.ए. की शक्ल दूसरी है। दोहरा आचरण न अपनाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि बिहार में कोई लोकप्रिय सरकार नहीं बन पाई है तो उसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, श्री लालू प्रसाद और श्री पासवान की है। इसलिए मेहरबानी करके इन सब बातों के कहने का कोई अर्थ नहीं है। किसने आपकी सरकार बनने से रोका है। यह गलत सवाल है और मुझे इतना ही निवेदन करना था कि बिहार का हित इसमें है कि जो सैक्यूलर लोग है जो यू.पी.ए. के घटक दल दिल्ली की सरकार चला रहे हैं वह मेहरबानी करके बैठ जाएं तो बिहार में कल सरकार बन सकती है। मैं अपने दल की तरफ से स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिहार में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन खत्म किया जाए, ऐसा हम चाहते हैं।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, बिहार में जो कुछ हो रहा है वह काबिले अफसोसनाक है। बिहार की आवाम पर राष्ट्रपति शासन लगना अफसोसनाक बात है। पहले हमें इस पर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। इसकी जड़ें 9 महीने पहले लोकसभा के चुनावों में छिपी हुई हैं। लोकसभा

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री इलियास आजमी]

चुनाव में कांग्रेस को मात्र 5 सीटें ज्यादा मिल गईं। लेकिन कांग्रेस के लोगों के दिमाग में आ गया कि जैसे श्री नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी का जमाना वापिस आ गया है। इन्होंने एकदम अधिनायकवादी रास्ता अपना लिया। खुद अपने घटकों को संतुष्ट नहीं रख सके और यह समझ लिया कि जैसे पूरी लहर उनकी है।

महोदय, उन्होंने बिहार और झारखंड को अपनी करतूतों से, अपने लालच के वश होकर, एन.डी.ए. के हवाले किया। बहुजन समाजवादी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, भले ही हमारे थोड़े से ही मैम्बर जीते हों, हमने वहां सरकार बनाने के लिए पहल की और हमने आर.जे.डी. को खुला समर्थन दिया। जैसे हम केन्द्र में यू.पी.ए. सरकार को बिना कुछ मांगे, बिना यह देखे समर्थन दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हमारे जायज काम भी कर रहे हैं या नहीं, उसी तरह हमने आर.जे.डी. को खुला समर्थन दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि वहां राष्ट्रपति शासन नागुजीर हो गया। अब मेरी सभी लोगों से और खासतौर से यू.पी.ए. सरकार से दर्ख्वास्त है कि बिहार की जनता को नौकरशाही के शासन से मुक्त करा कर, लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करानी चाहिए।

महोदय, इसके लिए मैं एकमात्र जिम्मेदार कांग्रेस लीडरशिप को, सोनिया गांधी जी को और मनमोहन सिंह जी को मानता हूं। मैं उनसे दर्ख्वास्त करना चाहता हूं कि वे अपने घटकों को बैठाएं और अपना यह रवैया छोड़ दें और अपने दिमाग से यह बात निकाल दें कि इंदिरा जी और नेहरू जी का जमाना वापस आ गया है। न लैफ्ट फ्रंट कोई चीज है, न बहुजन समाजवादी पार्टी कोई चीज है और न आर.जे.डी. कोई चीज है, अकेले कांग्रेस वह पार्टी है जो अपने घटक दलों के साथ मिलकर वहां सरकार बना सकती है। उत्तर प्रदेश में जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आधे से कम, 70 मैम्बर यू.पी.ए. को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां सिर्फ 10 को मानते हैं। 10 मैम्बर हैं, जो कांग्रेस के हैं। बाकी कोई कुछ नहीं है। यह रवैया यदि नहीं छोड़ा, तो न लोक सभा का भविष्य सुरक्षित रहेगा और न इस सरकार का भविष्य सुरक्षित रहेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 1.07 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह दर्ख्वास्त करूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपने रवैये में तब्दीली लाए। आज बदकिस्मती से यहां सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी मौजूद नहीं हैं, लेकिन मेरी आवाज अगर उनके कानों तक पहुंच सके, तो मैं कहूंगा कि वक्त की रफ्तार और नब्ज को पहचानिए। यह मत समझिए कि कोई तबका हमेशा बेवकूफ बनता रहेगा। बिहार के मुसलमानों को मैं मुबारकवाद देता हूं कि उन्होंने दिन-रात सैकुलरिज्म का नारा लगाने वालों के चेहरे को पहचाना और उनकी औकात बता दी कि तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी सी है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी इस इच्छा को व्यक्त करते हुए, अपनी बात समाप्त करूंगा कि अभी वक्त हाथ से नहीं निकला है। सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी, अभी वक्त आपके हाथ में है। आप पौरन हरकत में आइए, पहले तो अपनी पार्टी को दुरुस्त कीजिए और नेहरू और इंदिरा के जमाने को भूल जाइए और मौजूदा जमाने में लौटकर आइए तथा अपने सहयोगियों को आप संभालिए, उनको एकजुट कीजिए। आप पांच साल पहले के एन.डी.ए. से ही सबक ले लीजिए। एन.डी.ए. से सबक लेना कोई बुरी बात नहीं है। एन.डी.ए. के नक्शे कदम पर चलना, मेरे नजदीक, गलत हो सकता है, लेकिन उसकी अच्छाइयों से सबक लेना कोई बुरी बात नहीं है। उसने कैसे छोटी-छोटी पार्टियों को, दो-दो सदस्यों की पार्टियों को पांच साल तक अपने साथ रखकर किस प्रकार से संसद चलाई, उससे ही सबक ले लीजिए। तानाशाही का रवैया छोड़िए और तानाशाही के रवैये को छोड़कर बिहार और झारखंड में जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका अहतराम करते हुए, बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनः बहाल कीजिए।

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष जी, मैं इस डिबेट में भाग नहीं लेना चाहता था क्योंकि मेरी राय सबको मालूम है। जो कोई काम मैं करता हूं, किसी का विरोध या सपोर्ट करता हूं, तो मैं किसी की पीठ में छुरा नहीं भोंकता, मैं उन लोगों में से हूं। मैं सीधा चलता हूं और सीधा बोलता हूं किसी को पसन्द आए या न आए, वह अलग बात है।

महोदय, मैं आज सरकार की तरफ से खड़ा हुआ हूं और सरकार की ओर से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में जो प्रस्ताव लाया गया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं राज्यपाल महोदय के कदम का समर्थन करने के लिए ही खड़ा हुआ हूं। अतः मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के सामने दूसरा कोई चारा नहीं था। आप यदि वहां की पॉलीटिकल पार्टियों की स्थिति को देखें, तो पाएंगे कि एन.डी.ए., जिसमें जनता दल और भारतीय जनता पार्टी है, दोनों के मिलाकर 92

सदस्य हैं। राष्ट्रीय जनता दल के 75 सदस्य हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के 29 सदस्य हैं, सी.पी.एम.एल. के सात, सी.पी.आई. के तीन, समाजवादी पार्टी के चार, एन.सी.पी. के तीन, बहुजन समाज पार्टी के दो, सी.पी.आई.एम. का एक सदस्य और 17 इन्डिपेंडेंट हैं। इन्हें आप किसी भी हिसाब से देख लीजिए। जब तक दो मेजर पार्टी एक साथ नहीं आती हैं तो चाहे इन्डिपेंडेंट या कोई भी हो, उससे समाधान नहीं होता। इसलिए या तो एन.डी.ए., आर.जे.डी. और लोक जनशक्ति पार्टी में से कोई दो पार्टियां एक साथ मिलें तो सरकार बनने की संभावना होती है। यह बात साफ है, इसमें हमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। मैंने चुनाव के दरम्यान ही साफ तौर पर कहा था, जब कि बहुत कम नेता चुनाव के दरम्यान इस तरह बोलते हैं। मैंने उस समय कहा था कि बिहार का वरडिक्ट राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। मैंने चुनाव के दरम्यान ही तीन बातें कही थी, पहला यह कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम फेस में होगा और यह होना भी जरूरी है। दूसरा, मैंने कहा था कि हमारी पार्टी आर.जे.डी. या बी.जे.पी. के साथ नहीं जाएगी, तीसरा मैंने कहा था कि मैं मुख्य मंत्री नहीं बनूंगा, मुख्य मंत्री कोई मुसलमान बनना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैंने चुनाव के दरम्यान ही ये बातें कही थीं। नीतीश जी ने कहा कि पासवान जी मैदान छोड़ कर भाग गए, यह हो गया, वह हो गया। मैंने उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया। चुनाव का जब रिजल्ट निकला, उसके बाद जो परिस्थिति हुई, उस परिस्थिति में राज्यपाल महोदय को दोष देना या केन्द्र सरकार को दोष देना, मैं समझता हूं कि सही चीज नहीं है। आज भी कोई बता दे कि किस हिसाब से वहां सरकार बनने वाली है। भविष्य में क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज की परिस्थिति में किस हिसाब के जरिए आप कहते हैं कि वहां सरकार बनने वाली है और राज्यपाल महोदय सरकार नहीं बनने देते। जब तक तीनों धूरी में से दो धूरी एक साथ नहीं मिलती है तब तक सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। अब कैसे नई सरकार बने? नीतीश जी ने नाम लिया कि 55 आदमी तैयार हैं, पासवान जी 67 आदमियों को लेकर आते हैं। नीतीश जी, अगर 55 आदमी तैयार हैं तो क्या आप 92 में से 55 अलग हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें इस प्रकार जनता के सामने खड़ा करते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन पासवान जी तैयार नहीं हैं। हम आपको निमंत्रण देते हैं, आप वहां से छोड़ कर यहां आ जाइए, हम कल सरकार बना देंगे।

मैं दावे के साथ कहता हूं, आप 67 कहते हैं, मैं आपको 75 लाकर दे दूंगा, आप आइए। क्या आप छोड़ने को तैयार हैं? आप हमें क्यों कह रहे हैं, अगर आप छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हमारी पार्टी का जो स्टैंड है उसे अगर मैं साफ न करूं तो यह हमारे लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अकेला राम विलास पासवान राष्ट्रपति शासन के फेवर में है। उसका जो खामियाजा होगा, माइनस प्वाइंट होगा, उसे भी हम झेलने को तैयार हैं और राष्ट्रपति शासन के दौरान जो अच्छा काम होगा उसे भी हम बोर्न करने को तैयार हैं। बिहार के लोगों को भी इतने दिनों में पता चलने लगा है कि राष्ट्रपति शासन अच्छा है या बुरा है। ठीक है कि कुछ एम.एल.एज और लीडर्स को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बिहार की जनता को अभी खुशी है, बाद में क्या होगा, मैं कहना नहीं चाहता हूं।

महोदय, हम राष्ट्रपति शासन के परमानेंट पक्ष में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि वहां सरकार बने, लेकिन हमारी पार्टी की जो राय है, वह हमारी पार्टी की निश्चित राय है और उस राय को हमने छिपा कर नहीं रखा है। उसके बाद कोई रास्ता निकले और वह रास्ता निकलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इन सारे मामलों में किसी भी तरीके से राज्यपाल महोदय का कोई आचरण ऐसा नहीं है, जो असंवैधानिक आचरण है। उनकी कोई गलती नहीं है और केन्द्र सरकार की भी कोई गलती नहीं है, परिस्थित ऐसी है कि आज की परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है।

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार में राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज से सात साल पहले भी बिहार में एक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तब यह 25 दिनों के लिए लगा था, जब बिहार में 22 दलितों की हत्या हुई थी, लेकिन उस समय के राष्ट्रपति शासन में और आज के राष्ट्रपति शासन में दो-तीन अन्तर हैं।

पहला अन्तर तो यह है कि उस समय केन्द्र की सरकार ने वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया था और इस बार बिहार की जनता ने वहां की सरकार को बर्खास्त करने का काम किया है। दूसरा अन्तर यह है कि उस समय एन.डी.ए. की सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था और राजद के लोगों ने विरोध किया था, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया था, इसलिए राष्ट्रपति शासन वापस लेना पड़ा था, लेकिन आज कैसी विडम्बना है कि वही कांग्रेस, जो उस समय राष्ट्रपति

[श्री सुशील कुमार मोदी]

शासन का विरोध कर रही थी, जो राजद विरोध कर रहा था, रेल मंत्री के यू.पी.ए. में रहने के बावजूद उनकी ही सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया है।

बिहार में राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगा, यह आपके सामने है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से इराक में लोगों ने सद्दाम हुसैन के पतन के बाद खुशियां मनाईं, उसी प्रकार से आज लोग बिहार के अन्दर राष्ट्रपति शासन के कारण खुशियां नहीं मना रहे हैं, राजद सरकार के पतन के कारण बिहार में लोग इराक जैसी खुशियां मना रहे हैं। अगर बिहार में सद्दाम हुसैन जैसी कोई मूर्ति होती...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: झा साहब, आप बैठ जाइये। कृपया आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री सुशील कमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, अगर बिहार में भी कोई इराक जैसी मूर्ति होती तो लोग वही हश्र करते, जो इराक में हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि लोग राष्ट्रपति शासन लगने पर खुश नहीं हैं, बल्कि खुश इसलिए हैं कि वहां पर 15 साल से जो एक सरकार थी, उस सरकार का पतन हुआ। आपात काल के बाद जैसे लोगों को दूसरी आजादी मिली और जैसा जश्न लोगों ने मनाया था, आज बिहार की जनता 15 वर्षों के बाद उसी प्रकार की आजादी का अनुभव कर रही है। उसी प्रकार का जश्न बिहार के अन्दर लोगों ने मनाया है।...*(व्यवधान)* मैं एक बात इस सदन में साफ करना चाहूंगा, हमारे भाई देवेन्द्र जी भाषण कर रहे थे, जनादेश किसी को नहीं मिला है, खंडित जनादेश मिला है, लेकिन अगर किसी को जनादेश नहीं मिला है तो एक बात भी सदन के अन्दर साफ होनी चाहिए कि यह जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ है। इनके 75 लोग जीतकर आये हैं और 243 में से जो बाकी 150 लोग हैं, उनको राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जनादेश प्राप्त हुआ है। बिहार में जनादेश भले ही खंडित जनादेश होगा, खंडित जनादेश का मतलब किसी एक दल को समर्थन नहीं मिला होगा...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**....

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, जनादेश खंडित इस अर्थ में है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, परन्तु परिवर्तन इस मामले में है कि बिहार का जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के 15 साल के शासन के खिलाफ है और इसलिए सैकुलरिज्म के नाम पर जो लोग कहते हैं कि सैकुलरिज्म को जनादेश मिला है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2000 के चुनाव में आप 165 से घटकर 115 पर पहुंच गये हैं और 2005 में आप 115 से घटकर 75 पर पहुंच गये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सन् 2000 के चुनाव में जहां आपको 32 प्रतिशत वोट मिला था अब वहां घटकर 25 प्रतिशत वोट पर चले गए। फिर भी आप कहते हैं कि जनादेश हमको मिला है। सरकार हम बनाएंगे। सरकार बनाने का निमन्त्रण हमको मिलना चाहिए। बिहार के अंदर जनादेश केवल आर.जे.डी. के खिलाफ ही नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ भी जनादेश है। कांग्रेस 12 से घटकर 10 प्रतिशत पर पहुंच गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में मत बोलिए। आप पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं बोल सकते।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: कांग्रेस का भी वोट प्रतिशत आठ-साढ़े आठ प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत पर पहुंच गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रामजतन सिन्हा 51 हजार वोट से हार गए, उनकी जमानत जब्त हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, बक्सर की सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 3774 वोट मिले और वहां पर कांग्रेस सातवें स्थान पर चली गई। मधुबनी की सीट पर कांग्रेस को दस हजार वोट मिले और कांग्रेस चौथे स्थान पर चली गई। भागलपुर में कांग्रेस

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

22000 वोटों से चुनाव हार गई। इन चार सीटों के नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि यहां पर श्रीमती सोनिया गांधी भाषण देने गई थीं और श्रीमती सोनिया गांधी पटना, बक्सर, मधुबनी, भागलपुर इन पांच जगहों पर भाषण देने गई थीं और चार जगह इनकी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुशील कुमार मोदी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के विधायक दल के नेता श्री विजयशंकर दूबे तीसरे स्थान पर चले गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस-आर.जे.डी. का शासन था। कांग्रेस को जनता ने मैनडेट दिया है यह राजद और कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। वह एंटी आर.जे.डी. मैनडेट है। इस बात को श्री लालू जी सुन लीजिए और समझ लीजिए। अगर हमको और श्री नीतीश कुमार जी को जनादेश नहीं मिला, लेकिन जनादेश आपके खिलाफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, गोधरा का भूत खड़ा किया गया। बिहार के अंदर गोधरा की चाल चली गई। गोधरा की रिपोर्ट ठीक विधानसभा चुनाव के समय पेश की गई। सीडी बांटी गईं, पोस्टर लगाए गए और गोधरा का भूत उठाने, जगाने के बाद भी 75 सीटें ही इन्हें मिल पाई। मुझे इस बात पर गर्व है कि श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी का एक मुसलमान भी जीत कर नहीं आया लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जे.डी.यू. गठबंधन के चार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चुनाव जीत कर आए हैं। वे कोई साधारण वोट से चुनाव जीतकर नहीं आए हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ जी जब भी आप बोले हैं, आपकी स्पीच के अंदर किसी को बीच में बोलने नहीं दिया गया है।

*(व्यवधान)**...

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, तस्लीमुद्दीन साहब के जो लड़के चुनाव लड़ रहे थे 51 हजार वोट से चुनाव हार गए और एन.डी.ए. गठबंधन का उम्मीदवार श्री मंजरआलम 24 हजार वोट से चुनाव जीत गए। आप कहते हैं कि बिहार के चुनाव में कोई सांप्रदायिकता का मुद्दा था। मुंगेर के चुनाव में एन.डी.ए. के उम्मीदवार मुनाजिर हसन 40 हजार वोटों से जीत कर आए हैं। सैय्यद अली खां 4 हजार वोट से जीते हैं। श्री अब्दुल्ला 6 हजार वोट से जीत कर आए हैं। अगर भाजपा के साथ रहने से मुसलमान वोट नहीं देते तो एन.डी.ए. के गठबंधन के एक उम्मीदवार को जीत कर नहीं आना था लेकिन बिहार के अक्लियत के लोगों में गोधरा मुद्दा नहीं था। वहां पानी, बिजली, सड़क का मुद्दा था और इसलिए बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिया।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अब्दुल्ला कौन था? एन.डी.टी.वी. वाला था क्या...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया पीठासीन अधिकारी को संबोधित कीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सच्चाई को स्वीकार करें, बीच में क्यों बोलते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह बात ठीक नहीं है कि जब औपोजीशन पार्टी की तरफ से कोई सदस्य बोलता है तो आप शोर करना शुरू कर देते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपको बीच में जरूर बोलना है? आप मेरी बात सुनिए। जब आपके किसी लीडर की बोलने की बारी आएगी, उस समय आप करैक्ट कर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़ा दल थे, इसलिए हमें आमंत्रित करना चाहिए। ये जिस सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुशील कुमार मोदी]

का हवाला दे रहे हैं, राज्यपाल महोदय ने अपनी रिपोर्ट में सरकारिया कमीशन का हवाला देते हुए कहा है:-

[अनुवाद]

"सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्यपाल चयन प्रक्रिया अपनाते समय, एक ऐसा नेता का चयन करें, जिसे, उनके विवेकानुसार विधान सभा में बहुमत प्राप्त हो सकेगा।"

सरकारिया कमीशन कहती है कि वैसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुलाया जायेगा जिसे उनके निर्णय में विधान सभा में बहुमत प्राप्त हो सकेगा। श्री वी.एन. शुक्ला द्वारा लिखित 'भारत का संविधान' पुस्तक में अनुच्छेद 75 और 164 के संबंध में लिखा है:-

"सामान्य हालातों में राज्यपाल को इस बारे कोई शंका नहीं होती है कि नियुक्ति हेतु उपयुक्त व्यक्ति कौन है; यह विधान सभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है, लेकिन, ऐसे हालात हो सकते हैं जब यह संदिग्ध होता है कि वह नेता कौन है और राज्यपाल को मुख्यमंत्री का चयन करने में स्वयं ही निर्णय लेना होता है। संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जिसे विधायिका का विश्वास हासिल हो, वही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, ये राज्यपाल महोदय से मिलने गए। इनके पास कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन का पत्र नहीं था। इनके पास केवल 91 विधायकों के समर्थन का पत्र था और डेढ़ सौ विधायकों से जुड़े दलों ने मिलकर राज्यपाल महोदय से कहा कि चूंकि मैनडेट आर.जे.डी. के खिलाफ है, इसलिए किसी भी हालत में आर.जे.डी. को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। जब सदन के डेढ़ सौ विधायक कह रहे हैं कि हम आर.जे.डी. को समर्थन नहीं करेंगे, वैसी स्थिति में राज्यपाल महोदय ने अगर इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया तो कौन सा असंवैधानिक काम किया।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: झारखंड में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: हमने राज्यपाल से कहा कि अगर आप 91 संख्या वाले आर.जे.डी. गठबंधन को आमंत्रित करेंगे तो 92 की संख्या हमारे पास है।...*(व्यवधान)* अगर ये हल्ला करेंगे तो लालू जी, जब आप बोलने के लिए खड़े होंगे तो मैं आपको एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको नियंत्रित कीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री सुशील कुमार मोदी: आप उकसाइए नहीं।...*(व्यवधान)* अभी तो बिहार की जनता ने आपको कूड़े में फेंका है, अगले चुनाव में आप कहां चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)* बाहर भाषण देंगे, बाहर बहुत भाषण दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी की अभ्युक्तियां कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: हम राज्यपाल महोदय से मिलने गए थे और उन्हें कहा कि अगर आपने 91 संख्या वाले आर.जे.डी. गठबंधन को आमंत्रित किया तो हमारे गठबंधन के पास 92 की संख्या है। आपको 92 संख्या वाले गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

लालू जी, आपको जितना बोलना हो, बोलिए। हम आपका वाक-आउट नहीं करेंगे, आज आपको बोलने के लिए छोड़ देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हम लोगों ने राज्यपाल से कहा कि अगर 91 की संख्या वाले गठबंधन को आप आमंत्रित

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करते हैं तो हमारे पास 92 की संख्या है। हमारे पास बहुमत नहीं है लेकिन संख्या आपसे ज्यादा है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी हमें समर्थन देने के लिए तैयार हैं इसलिए आपको हमें आमंत्रित करने का मौका देना चाहिए। लेकिन बिहार में जो परिस्थितियां पैदा हुईं, उन परिस्थितियों में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप कन्कलूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझे टोका, क्या वह टाइम आप मुझे नहीं देंगे?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप कन्कलूड कीजिए।

श्री सुशील कुमार मोदी: इसलिए बिहार के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने का जो निर्णय किया है, वह तात्कालिक परिस्थिति में उचित है, लेकिन जैसा नीतीश जी ने कहा कि यह कोई अनन्त काल तक चलने वाली व्यवस्था नहीं है। मुझे इस बात का दुख है, मैंने जीरो ऑवर में भी इस मामले को उठाया था कि आज बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे हुए 10 दिन से ज्यादा हो गये हैं, बिहार में सलाहकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां एक भी सलाहकार नहीं है। क्या अकेले राज्यपाल बिहार का शासन चला पायेंगे? प्रणब बाबू, क्या केन्द्र की सरकार इतनी कमजोर और अक्षम हो गयी है कि वह दो मंत्रियों के वर्चस्व की लड़ाई में, तीन दलों के वर्चस्व की लड़ाई में एक भी सलाहकार नियुक्त नहीं कर पायी है।...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि मोदी जी कह रहे हैं कि दो केन्द्रीय मंत्रियों के झगड़े की वजह से एडवाइजर नहीं बन पा रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। वहां एडवाइजर बने या न बने, बूटा सिंह जी को एडवाइजर की जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग खैनी बनाकर खिलाने वाले, पीकदान उठाने वाले लोगों को सलाहकार बनाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि आज 10 दिन बीत गये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जयसवाल): इस तरह का बयान यहां नहीं होना चाहिए।

*(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लोकप्रिय सरकार का विकल्प है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि सात दिनों में उनकी खुशी क्यों काफूर हो गयी। आज बिहार के अखबारों में समाचार आया है कि सूबे में सात की हत्या, एक ट्रेन पर हमला और दूसरी लूटी गयी। ...*(व्यवधान)* पटना में ताबड़-तोड़ लूट की तीन वारदातें और मोकामा में गोलीबारी, दो की हत्या की आशंका। रिमांड होम से पांच बालक फरार। राजद और लोजपा में दुश्मनी बढ़ी, संघर्ष में अनेक घायल। ये समाचार वहां के 'हिन्दुस्तान' अखबार की सुर्खियां हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग सपने में मत रहिये कि आप यहां प्रॉक्सी रूल चलायेंगे। आप राष्ट्रपति शासन के माध्यम से अपना राज वहां चलायेंगे। अगर वहां लोकप्रिय सरकार न बनी तो लॉ एंड आर्डर, विकास की स्थिति को कोई भी राष्ट्रपति या राज्यपाल सुधार नहीं सकता। हम चाहते हैं कि वहां पर एक लोकप्रिय सरकार बने।...*(व्यवधान)*

लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि लॉकर की एक चाबी श्री राम विलास पासवान जी के हाथ में है और लॉकर की दूसरी चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और कोई लॉकर दोनों चाबी के बिना नहीं खुलता। श्री राम विलास पासवान जी, अगर आप बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं तो एक चाबी आपको लगानी पड़ेगी और दूसरी चाबी जब तक भाजपा के 37 विधायकों की नहीं लगेगी तब तक बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकती। *(व्यवधान)**...

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि बिहार में जल्द से जल्द लोकप्रिय सरकार बने। सी.पी.एम. के लोग चाहते हैं कि चुनाव हो जाये। लालू जी भी चाहते हैं कि वहां चुनाव हो जाये। यह उनकी मांग भी है लेकिन हम बिहार में चुनाव नहीं चाहते। लेकिन मैं अपने बड़े भाई राम विलास पासवान जी से कहना चाहूंगा कि आपको जो यह वोट मिला है, आपके जो 29 विधायक चुनाव जीतकर आए हैं, उसमें 24 लोक एंटी आर.जे.डी. मेनडेट पर चुनाव जीतकर आये हैं और 29 में से 24 लोगों ने आर.जे.डी. को चुनाव में हराने का काम किया है। आपका एक भी मुसलिम समुदाय का व्यक्ति चुनाव जीतकर नहीं आ पाया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं तो आप भाजपा-जदयू गठबंधन के साथ लो.ज.पा. को लाइए और बी.जे.पी.-जदयू कोई भी कुर्बानी करने के लिए तैयार है और अगर आप बाहर से समर्थन देने के लिए कहेंगे तो हम बिहार के व्यापक हित में बाहर से समर्थन देने के लिए भी विचार कर सकते हैं। कौन मुख्य मंत्री होगा, यह कोई महत्व का विषय नहीं है। यह बात हम दो मिनट में बैठकर सुलझा लेंगे लेकिन नीतीश कुमार जी से बेहतर आज बिहार में और कोई दूसरा मुख्य मंत्री नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है,...*(व्यवधान)* लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसका भी हल निकाल सकते हैं। उसमें मैं राम विलास जी से कहना चाहूंगा कि आप एल.जे.पी. और बी.जे.पी.-जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाइए नहीं तो आपके विधायकों को तोड़ने में लालू जी लगे हुए हैं।...*(व्यवधान)* आपके दल को तोड़कर वह कुछ भी कर सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिहार में एक लोकप्रिय सरकार चाहिए और भाजपा-जदयू गठबंधन राष्ट्रपति शासन बिल्कुल नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि दो महीने के भीतर राष्ट्रपति शासन समाप्त हो और बिहार में भाजपा-जदयू-लो.ज.पा. की लोकप्रिय सरकार बने। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर लालू जी इस धोखे में हैं,...*(व्यवधान)* बिहार में अगर लालू जी चुनाव चाहते हैं तो इस धोखे में मत रहिए। अगर बिहार में चुनाव होगा तो आप 75 से घटकर 20 पर पहुंच जाएंगे। आपको वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। राम विलास पासवान जी, आप भी धोखे में मत रहिए। आपके 29 से घटकर 10 पर विधायक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि बिहार का मेनडेट राजद गठबंधन के खिलाफ है और बिहार के अंदर एंटी-आर.जे.डी. पर जीतने वाले लोगों को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए।

श्री लालू प्रसाद: माननीय मोदी जी का सुझाव मुझे स्वीकार है। हमारा दल चुनाव नहीं चाहता है। हमको मेनडेट मिला है, हम विपक्ष में बैठेंगे। ये जल्दी दोनों चाबी लगाकर तीनों आदमी बैठकर सरकार बनाने का काम करें।...*(व्यवधान)* लेकिन हमारा केवल इतना ही कहना है कि इतने ज्यादा दिन तक बिहार की जनता को कंफ्यूजन में मत रखिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष जी, इन्होंने बार-बार मेरे नाम का उल्लेख किया है। हमें बड़ा अफसोस लगता है और हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी आप चाहते क्या हैं? एक तरफ तो आप राष्ट्रपति शासन का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी बार-बार बुराई भी निकाल रहे हैं। तीसरी तरफ आप बार-बार चाबी का जिक्र कर रहे हैं। हम तो शुरू से ही वही बात कह रहे हैं जो अभी लालू जी ने कहा कि हम 29 विधायक से मुंगेर लाल का जो सपना होता है, यह सपना हम नहीं देख रहे हैं। मैंने चुनाव के बीच में ही कहा था कि मुझको अपोजीशन में बैठने का मैनडेट मिलेगा तो मैं अपोजीशन में बैठूंगा। राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प है। राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक रहेगा, मैं नहीं जानता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि सी.पी.आई.एम.एल. के 7 एम.एल.ए. ने साफ तौर पर लिखकर दे दिया है कि न हम आर.जे.डी. के साथ में हैं और न बी.जे.पी. के साथ में हैं। समाजवादी पार्टी के 4 विधायकों ने लिखकर दे दिया है। अभी सी.पी.आई. के लोगों ने किसी को लिखकर नहीं दिया है। 29 हम हैं। इस प्रकार से 29 और 7 मिलकर 36 और 4 मिलकर 40 होते हैं तथा 3 और जोड़कर 43 इस मत के पक्के हैं, जो यह कहते हैं कि न हम आर.जे.डी. के साथ जाएंगे और न बी.जे.पी. के साथ जाएंगे। इसलिए बार-बार इस बात को कहने से कोई फायदा नहीं है। सरकार बनेगी। जो सरकार बनेगी तो वह सरकार के तरीके से सरकार चलेगी। वह सरकार इस तरीके से नहीं चलेगी कि हम कहते हैं कि कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं

होता है। एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन का आपको समर्थन करना है तो समर्थन करिए और विरोध करना है तो विरोध करिए। अभी सीधी सी बात है, जो मैंने शुरू में ही कही थी कि राष्ट्रपति जी के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के और इसीलिए राष्ट्रपति जी ने, केन्द्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया है जिसका खुले दिल से समर्थन कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रणब बाबू ने नीतीश जी के भाषण के बाद हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। लालू प्रसाद जी ने कैबिनेट के निर्णय का विरोध किया है, कैबिनेट के निर्णय का वॉयलेशन किया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है और मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम मंत्री साहिबान सदन को डिस्टर्ब न करें। अगर मंत्रीगण ही हाउस में ऐसा करेंगे तो काम कैसे चलेगा। मैं चाहता हूं कि सदन व्यवस्थित रूप से चले।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गमांग (कोरापुट): उपाध्यक्ष महोदय, देश में यह एक रोचक स्थिति पैदा हुई है। सन् 1950 से अभी तक विभिन्न राज्यों में 100 से भी अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। बिहार में विधान सभा को निलंबित रखने हेतु दूसरी बार राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी की गई है। पहली बार यह वर्ष 1999 में जारी की गई थी। चुनाव के पश्चात् इस बार भी वहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दोनों दावेदारों के पास 92-92 सदस्य हैं। किसी के पास भी दूसरे से एक भी सदस्य अधिक नहीं है जिससे कि वह सरकार बना सके। इसलिए राज्यपाल द्वारा किया गया निर्णय न्यायोचित है। लेकिन विधान सभा के गठन से पूर्व निर्वाचित विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन अब वे विधान सभा के सदस्य नहीं हैं। इसलिए वहां विधान सभा का विघटन नहीं किया गया है। वहां एक अलग प्रकार की सरकार बनाई जानी चाहिए थी। लेकिन दलीय स्थिति ऐसी है कि सरकार बनाना बहुत कठिन था।

समय आ गया है कि देश इस प्रश्न पर विचार करे। आजकल राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर बहुदलीय सरकारें हैं, बहुदलीय विपक्ष है। स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार या दो तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार या अकेले सबसे बड़े दल की सरकार, जो स्थायी सरकार दे सकती थी, के दिन बीत गए हैं। चाहे राज्य हों या केन्द्र, अब यही स्थिति है। इसलिए, आज हमारे देश में मिली-जुली सरकार है या समर्थित सरकार है या दूसरे दल पर निर्भर सरकार है। गठबंधन सरकार अभी नहीं बनी है। अल्पमत या बहुमत की सरकार नहीं है। इसलिए, खंडित जनादेश के आधार पर राज्यपाल को निर्मय लेना बहुत कठिन होता है।

इस समय राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी सरकार बनी है। अतीत में कांग्रेस सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर सकी और उसकी छोड़कर गैर कांग्रेसी सरकारें अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं। इसलिए, हमें चुनाव का सामना पांच वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बजाय कार्यकाल के आधे या चौथाई समय में ही करना पड़ता है। ऐसा समय आ रहा है कि शायद राज्यों में ऐसी सरकारें बिल्कुल नहीं बन पाएंगी जो अपना कार्यकाल पूरा कर सकेंगी और हमें बार-बार चुनावों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह उपयुक्त समय है जब हमें यह देखना होगा कि चाहे सरकार हो या न हो किन्तु राज्यों में विधायक और इस सभा के सदस्य संसद सदस्य के

[श्री गिरिधर गमांग]

रूप में सदस्य बने रहें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सभा का विघटन नहीं किया जाएगा। सरकार बनाई जाएगी और वह पराजित होगी और जब वह सभा के विघटन की सिफारिश करेगी तो सभा का विघटन किया जाएगा। इसलिए, चाहे लोक सभा हो या विधान सभा, हमें यह देखना होगा कि चुनाव के बाद यह पांच वर्ष के कार्यकाल को पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं तो आज राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त स्थिति के कारण सरकार की अनिश्चितता बनी रहेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अस्थिर होगी।

महोदय निश्चित तौर पर बिहार में चुनाव सरकार बनाने के लिए ही हुए थे। लेकिन वे इसलिए सरकार नहीं बना पाए कि उनके पास सरकार बनाने के लिए अपेक्षित संख्या नहीं थी। वहां निश्चित रूप से सरकार बनेगी क्योंकि सरकार न बनने पर वहां पुनः चुनाव होंगे। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि यह राज्य या राष्ट्र के लिए अच्छा है। इसलिए वहां जो भी राजनैतिक दल हैं, वे निश्चित तौर पर सरकार बनाने में सफल होंगे। समय ही बतायेगा कि क्या राज्य सरकार कुशल, स्थिर या सक्षम है या नहीं। लेकिन बिहार में कोई सरकार तो होनी ही चाहिए। यह निर्णय दलों को लेना है कि वे किस तरह सरकार बनाना चाहते हैं।

महोदय, निर्दलीय सदस्यों की भूमिका क्या होगी और दल-बदल विरोधी कानून का क्या होगा? क्या यह आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है? महोदय, संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार, दल-बदल तो निर्दलीय सदस्यों और उन सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर होता है जो दल के द्वारा चुने गए हैं।

महोदय, मैं थोड़ा समय और लूंगा। मैं वर्ष 1996 में इस सभा का सदस्य था। उस समय, मैंने मत का प्रयोग किया था। यह सरकार के विरुद्ध नहीं था; यह दल के पक्ष में था।

महोदय, यह विश्वास मत था। उस समय जब सत्तारूढ़ दल ने तत्कालीन सरकार का समर्थन कर रहे गठबंधन के दलों का समर्थन खो दिया तो उसे सभा में बहुमत सिद्ध करना चाहिए था। वे अपने पक्ष में एक सदस्य का समर्थन नहीं जुटा पाए जिससे वे सभा में हार गये। वे एक सदस्य का समर्थन नहीं जुटा पाए। यह वह गिरिधर गमांग नहीं था जो मुख्यमंत्री था और जिसने उसी समय सभा में प्रवेश किया था और मत दिया था। यह संविधान के उपबंधों के आधार पर किया गया था। यह इसलिए किया गया था क्योंकि मैं उस समय सदस्य था और मैंने सभा की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया था। मैं उस समय उड़ीसा का मुख्यमंत्री भी था।

महोदय, यदि यह अविश्वास प्रस्ताव होता तो मैंने सरकार के विरुद्ध मत दिया होता, किन्तु यह विश्वास मत था। उस समय सत्तारूढ़ दल को यह दर्शाने के लिए अपेक्षित संख्या जुटानी चाहिए थी कि वह सरकार में बने रहने में सक्षम है। परन्तु वे एक सदस्य का भी समर्थन नहीं जुटा पाए इसीलिए वे हार गए; और उन्होंने मेरे एक मत के कारण मुझे दोष दिया। फिर देश में चुनाव हुए। सत्तारूढ़ दल ने यह माना कि मानो उसने पांच वर्ष पूरे कर लिए हों...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, कोई व्यवधान नहीं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बिक्रम केशरी देव, कृपया बैठ जाइये।

श्री गिरिधर गमांग: महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बिक्रम केशरी देव। कृपया, बैठ जाइये।

श्री गिरिधर गमांग: महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं उत्तर दूंगा। जब संविधान के संशोधन के पश्चात् दल-बदल विरोधी अधिनियम था तब क्या विचार था? चुनाव के समाप्त होने के पश्चात् और एक सदस्य का चुनाव हो जाता है और यदि वह दल बदलता है तब दल-बदल होता है। मैं "नहीं" कहूंगा। यहां पर दो प्रावधान हैं - दल के दिशानिर्देशों के अनुसार वोट देने से परहेज करना अथवा वोट न देना। यह दल-बदल के अन्तर्गत आयेगा।

महोदय, मैं विनम्रता से यह कहूंगा कि मैं नौ क्रमिक अवधियों के लिये इस सभा में चुना गया हूं। इस सभा में यह मेरी नौवां कार्यकाल है। इसीलिये, मैं अपने अन्तःकरण को जानता हूं। एक सदस्य के अन्तःकरण को दल-बदल अधिनियम द्वारा नहीं समझा जा सकता है। दल का एक निर्वाचित सदस्य अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र नहीं है। मैं पार्टी का दल बदलू नहीं हूं। मैं किस प्रकार से स्वतंत्र निर्णय ले सकता

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं जब दल ने सभा में आने और वोट देने के दिशानिर्देश दिये थे? महोदय, मैंने अपने दल के लिये वोट दिया था। यह सरकार के विरुद्ध नहीं था। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): दल ने अभी तक आपको इसका प्रतिफल नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य के भाषण के अतिरिक्त कोई भी अंश कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जायेगा।

*(व्यवधान)**...

श्री गिरिधर गमांग: महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। आप सत्ता में रहने के लिये एक सदस्य को नहीं ला सके और तब आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? महोदय, मैंने कोरापुट से लोक सभा सदस्य के रूप में वोट दिया था। यदि मैंने वोट देने से परहेज किया होता तब यह दल बदल के अन्तर्गत आ जायेगा। मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिये वोट नहीं दिया था चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य था...*(व्यवधान)* संविधान की दसवीं अनुसूची में क्या कहा गया है? संविधान की दसवीं अनुसूची में यह कहा गया है कि यदि एक सदस्य ऐसी सभा में वोट देता है अथवा वोट देने से परहेज करता है जो राजनैतिक दल जिससे वह संबंधित है द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश के विरुद्ध है तब वह सदस्य दल बदल के तहत आता है। महोदय, उस समय मैं निचले सदन का सदस्य था और मैंने अपने दल के लिये वोट दिया था न कि सरकार के लिये वोट दिया था।

इसीलिये, मुझ पर आरोप लगाते गए यह कहकर कि मैंने सरकार को हरा दिया जिसके कारण लोक सभा भंग हो गई, सही नहीं है। उस समय सत्तारूढ़ दल द्वारा लोक सभा को भंग करने की सिफारिश की गई थी। भारत के माननीय राष्ट्रपति अपने आप सभा को भंग नहीं कर सकते हैं।

बिहार में भी ऐसी ही स्थिति है जहां दो बड़े गठबंधनों को विधानसभा के सदस्यों की लगभग समान संख्या का समर्थन प्राप्त है परन्तु वहां पर भी कोई भी व्यक्ति सरकार नहीं बना सका चूंकि उनके पास अपेक्षित बहुमत नहीं है। बिहार में आज यह संकटपूर्ण स्थिति है। इसीलिये, एक गठबंधन अथवा अन्य द्वारा विधान सभा के सदस्यों के अपेक्षित समर्थन के आधार पर सरकार के गठन के संबंध में सोच विचार करने का उचित समय है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिला कि मैं सरकार की हार और उस समय देश में लोक सभा के भंग होने और चुनाव के लिये जिम्मेदार नहीं था। मैंने कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैं दल बदलू नहीं था। इसीलिये, मैंने अपनी पार्टी के लिये वोट दिया न कि सरकार के विरुद्ध वोट दिया था।

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): उपाध्यक्ष जी, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा केन्द्र सरकार के पास और कोई चारा नहीं था। बिहार के चुनाव के रिजल्ट से साफ है कि वहां सरकार बनाने की जिम्मेदारी सभी राजनैतिक दलों की है और यह उनका कर्तव्य है कि वहां सरकार बने। हमारे देश में जनतंत्र चल रहा है और हमें उस जनतंत्र से सबक लेना चाहिए। यू.पी.ए. इधर सरकार में है और उसमें आर.जे.डी., रामविलास जी और कांग्रेस शामिल हैं। बिहार में उनको सरकार बनाने में क्या तकलीफ है? राममनोहर लोहिया जी ने बताया था कि देश में सामाजिक स्तर में अनटचेबिल्टी को लेकर जैसे अंतर है वह राजनैतिक स्तर में भी अब संक्रमित हुआ है। कोई सेक्यूलर है, कोई नॉन-सेक्यूलर है। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में जो पार्टी का कर्तव्य होता है, यू.पी.ए. बिहार में उसके खिलाफ जा रहा है। लोगों ने आपको चुना है तो सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं। आपको सरकार में रहने का नैतिक अधिकार है। राष्ट्रपति शासन जब कैबिनेट में रिकमेंड हुआ तब लालू जी और पासवान जी अनुपस्थित थे।

श्री लालू प्रसाद: हमारी तबियत खराब थी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यू.पी.ए. बिहार में सरकार नहीं बनाता है तो ऐसा लगता है कि वह संसदीय व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। यूरोप के जिन देशों में बहुदलीय संसदीय जनतंत्र चल रहा है उनसे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम मानते हैं कि कॉलिशन-ईरा देश में आ गया है और वर्ष 1990 से यह हमारे देश में शुरू हो गया है। इसलिए हमें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में राष्ट्रपति शासन है और इसके लिए कोई भी दल जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। राष्ट्रपति शासन में क्या होगा? अगर यह राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो क्या होगा, उसका प्रबंध अभी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। इसके बारे में हम सभी को सोचना पड़ेगा। आने वाले दिनों में पार्लियामेंटरी सिस्टम कैसे चलेगा? कॉएलिशन एरा जो देश में आ गया है,

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

भविष्य में कैसे होगा, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यदि बिहार जैसी स्थिति किसी प्रदेश में आ जाएगी, कोई सरकार बन नहीं पाएगी, पॉलिटिकल अनटचेबिल्टी आएगी, कोई किसी के साथ मिलना नहीं चाहेंगे, सरकार बनाना नहीं चाहेंगे ऐसे समय में सरकार कैसे बनेगी? मैं यह प्रश्न सरकार से पूछना चाहता हूं। जो यू.पी.ए. के पार्टनर है मैं उनसे भी यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमें इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। भविष्य में ऐसी स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर पैदा होने पर हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे? देश में राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। यह स्थिति 1990 से शुरू हुई है। वाजपेयी जी, जो एन.डी.ए. के नेता थे, उन्होंने 6 साल तक कॉएलिशन गवर्नमैंट चलायी। यू.पी.ए. की सरकार कितने दिन चलेगी, मुझे पता नहीं। वह अगर पांच साल तक सत्ता में रहेगी तो अच्छी बात है। वह 5 साल तक नहीं रहेगी तो आपको सोचना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाये।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: संविधान में संशोधन करने की जो जरूरत है, ऐसा तर्क देश में अब शुरू हो गया है। इस पर संसद में चर्चा करने की जरूरत है। हम भविष्य में ऐसी परिस्थिति का कैसे समाधान करेंगे? आपको बिहार में सरकार बनाने में क्या तकलीफ है? आप पासवान जी के सुझाव को स्वीकार कर लीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी का मुख्यमंत्री बना दीजिए। इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। आप सैकुलर है इसलिए पासवान जी के सुझाव को मान लीजिए। माइनॉरिटी को बता दीजिए आप कैसे सैकुलर हैं?...*(व्यवधान)* आप माइनॉरिटी के किसी आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठाएंगे। आप पासवान जी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया कोई टीका-टिप्पणी नहीं कीजिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। कृपया बैठ जाइये।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सैकुलर कहने से सैकुलर नहीं होते हैं। सैकुलरिज्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* आपकी पार्टी में एम.एल.एज माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। इसमें राम विलास जी का समर्थन लीजिए और समस्या का समाधान कीजिए। राष्ट्रपति शासन देश के लिए कभी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सरकार रहनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिये न कि किसी सदस्य विशेष को।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं खत्म कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि बिहार में सरकार बननी चाहिए। अगर ये सरकार बना नहीं पाते हैं तो एन.डी.ए. को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए।...*(व्यवधान)* आप सरकार बना पाएंगे तो बनाइए। कोई मना नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं कि हमें मैंडेट प्राप्त हुआ है। आपको सैकुलर वोट मिले हैं। आप सरकार बना लीजिए। कौन मना कर रहा है? राम विलास जी के सुझाव के अनुसार काम करिए। माइनॉरिटी का चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। इसमें राम विलास जी का समर्थन लीजिए। आप सैकुलरिज्म का जो नारा देते हैं, वह भी इससे पूरा हो जाएगा।

राष्ट्रपति शासन देश के लिए कभी ठीक नहीं है। यह शासन ज्यादा दिन तक चलना उचित नहीं है। बिहार से आदरणीय लालू जी हैं। उन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। उन्हें बैठ कर इस पर सोचना चाहिए कि कैसे बिहार में लोकप्रिय सरकार बनेगी?

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में अभी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कांग्रेस की अब

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तक नीति रही है कि जहां उनकी सरकार बन नहीं पायी वहां उसने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया।

श्री लालू प्रसाद: बिहार के बारे में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री मोहन रावले: मैं आपके बारे में ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं। राज्यपाल ने बोल दिया है। मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। कांग्रेस ने आपका साथ नहीं दिया है। आदरणीय लालू जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन ध्यान रखिए, कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि हम लालू के दबाव में हैं और आपको दबाव में लाने के लिए चाल चली और इलैक्शन लड़ाया। उनका षड्यंत्र था लेकिन वह हार गए। यह काम हमने नहीं किया। ऐसा काम आपके दोस्त लोगों ने किया है।

अपराह्न 2.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिये न कि किसी सदस्य विशेष को।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: बिहार में जब इलैक्शन होता है तो श्री लालू जी, आपके नाम पर इलैक्शन होता है, चाहे आपकी तरफ से होना हो या आपके विरोध में होना हो। दगा तो उन लोगों ने दिया, उसके बारे में आप सोचिए। उनको लगा था कि हम सत्ता में आएंगे तो लालू जी को दबाव में रख सकते हैं। लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। उनकी हालत तो पता है। कांग्रेस जहां नहीं होती वहां वह सरकार बरखास्त करती है। इसलिए सरकार बरखास्त करती है कि कहीं दबाव में लेकर राष्ट्रपति शासन लगाए। अभी राष्ट्रपति शासन के दौरान कांग्रेस राज चलाना चाहती है। अभी श्री शिवराज पाटिल जी यहां नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले ने जो कहा है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उन्होंने सुझाव दिया था कि श्री नरसिंहराव जी के समय कि राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिए। उनकी पार्टी की तरफ से क्रिटिसाइज हुआ। श्री जार्ज फर्नान्डिस ने भी सुझाव दिया था कि क्या राष्ट्रीय सरकार बनाएंगे या क्या आप कांग्रेस के दबाव में रहेंगे? तो आप सोच लीजिए, मैं आपसे यह विनती करता हूं। श्री वसुदेव आचार्य जी यहां नहीं हैं, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष की बात की..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आजमी जी, आप सीनियर मैम्बर हैं।

श्री मोहन रावले: यहां सी.पी.एम. का कोई नहीं है। उन्होंने कहा है अनुच्छेद 356 का समर्थन नहीं हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक साथ चार सरकारों को गिराने के लिए बाबरी मस्जिद के कारण उनके द्वारा समर्थन किया। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं - कहां राजस्थान और कहां उत्तर प्रदेश। बाबरी मस्जिद का ढांचा उत्तर प्रदेश में गिरा। उसका क्या संबंध था राजस्थान से, उसका क्या संबंध था मध्य प्रदेश सरकार से, उसका क्या संबंध था हिमाचल प्रदेश से? लेकिन सरकार गिराई तो लोगों को बहुत खुशी हुई। मैं आपको अकबर और बीरबल का एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार अकबर बादशाह ने ऐलान किया कि मेरे यहां तालाब में बहुत ठंडा पानी रहता है, अगर कोई रात भर उसमें रहेगा तो मैं उसे सौ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। एक बेचारा था, वह चला गया और रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा। जैसे ही वह बाहर आया, एक सिपाही ने अकबर बादशाह के कान भरे और कहा कि बाजू में खिचड़ी पक रही थी, उससे ऊर्जा मिली होगी। उसके बाद वह आदमी बीरबल के पास चला गया। बीरबल ने खिचड़ी पकाने के लिए दो हांड़ियां ली। एक को उसने अंगार के पास रखा और दूसरी अंगार से बहुत ऊपर रखी। जैसे ही अकबर ने सुना वह वहां चला गया। अकबर ने कहा कि यह क्या पागलपन है। बीरबल ने कहा अगर यहां नीचे से ऊर्जा नहीं मिल सकती तो वह बेचार जो ठंडे पानी में खड़ा था उसे ऊर्जा कैसे मिलेगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद ढांचा उत्तर प्रदेश में गिरा था लेकिन उसकी सजा चार राज्यों में क्यों दी गई? कांग्रेस की यही नीति है कि अनुच्छेद 356 का समर्थन करे। मैं पार्लियामेंट में पांच बार चुनकर आया हूं। मैंने सुना है उन्होंने अनुच्छेद 356 का विरोध किया है। अपनी सरकार बचाने के लिए...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र में दंगा हुआ, 338 लोग मारे गए। उस वक्त गुजरात में दंगा हुआ, 300 के आसपास लोग मारे गए। बंगाल में दंगा हुआ और 78 लोग मारे गए। उनको पता था कि हमारी सरकार बरखास्त होगी...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): दंगा नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: मैं आपको आंकड़े बताता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिये।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अगर दंगा नहीं हुआ होगा, लोग नहीं मरे होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप इस्तीफा देंगे? मैंने आंकड़े पढ़कर बताए हैं। आंकड़े थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन लोग मारे गए थे। उनको डर लगा कि उनकी सरकार बरखास्त होगी इसलिए उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। धर्मनिरपेक्षता के बारे में समय आएगा, तो मैं बोलूंगा।

मैं राज्यपाल महोदय के बारे में क्या कहूं? अभी गृह मंत्री जी यहां नहीं बैठे हुये हैं। उन्होंने चार राज्यपालों को हटाया। उसका कारण यह था कि वे उनकी विचारधारा के नहीं थे, इसलिये उन्हें हटा दिया गया। क्या झारखंड का राज्यपाल उनकी विचारधारा का नहीं था लेकिन उन्हें वहां जबरन रखा हुआ है। झारखंड में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, यह सब को पता है। जब इस देश में राजग की सरकार थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे तो राज्यपालों की नियुक्ति के समय सब को विश्वास में लेते थे। उन राज्यपालों में अकाली भी थे, समता पार्टी के भी थे। सब को विश्वास में लेने का काम किया करते थे लेकिन यहां लालू जी बैठे हुये हैं, एन.सी.पी. के लोग बैठे हुये हैं, वे उन्हें कभी विश्वास में नहीं लेते हैं...*(व्यवधान)* अभी पता नहीं इन लोगों का गठबंधन कहां है? इनका किसी पर विश्वास नहीं है। उपाध्यक्ष जी, दो दिन पहले लोक सभा के सभी सांसदों का फोटोग्राफ हुआ। यह कार्य लोक सभा की अवधि समाप्त होने के समय होता रहा है। यह आज तक की परम्परा रही है लेकिन लगता है कि सरकार का विश्वास नहीं रह गया है, इसलिये यह फोटो सेशन पहले करा लिया गया है। इनका अपनी सहयोगी पार्टियों पर विश्वास नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृतांत में शामिल न किया जाये।

*(व्यवधान)**...

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष जी, जब एक पार्टी को जनादेश नहीं मिला तो वह कैसे सरकार बनाने का दावा कर रही है। लोकतांत्रिक भावनाओं के द्वारा सरकार चलनी चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह सरकार जल्दी से जल्दी बने। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचुर): हम बिहार में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा पर चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो बिहार में उभरी है। हमें बिहार से सीख लेनी चाहिए। पिछले आम चुनावों में यह ही एक ऐसा राज्य था जहां धर्मनिरपेक्ष ताकतें एकजुट हो कर खड़ी रही तथा विजयी हुई। लेकिन पुन: अब जब विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो वहां धर्मनिरपेक्ष ताकतों में कुटतापूर्ण चर्चा तथा मतभेद का वातायरण तैयार हो गया था। आज, हमें उसका परिणाम मिल गया है जिसमें सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों की हार हुई। पुन: मैं बिहार के लोगों को सलाम करूंगा। यहां तक की इस स्थिति में, जो भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों को सत्तारूढ़ होने के लिए बहुत अनुकूल थी, लोगों ने फिर भी उन्हें वोट नहीं दिया। उन्हें भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों को नकार दिया। हमें इससे सबक लेना चाहिए यदि देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतें एकजुट हो कर चुनाव जीत सकती हैं - अगर किसी अनावश्यक मुद्दे पर अलग-थलग हो जाती हैं, तो सम्भवत: इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। यदि यह सीख ले ली जाए तो सम्भवत: आने वाले दिन बिहार के लिए अच्छे होंगे। सम्भवत: बिहार राज्यपाल के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था चूंकि कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई है। सामान्यत: हमने राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु राज्यपाल की सिफारिश का समर्थन नहीं किया होता, परन्तु उस राज्य में प्याप्त स्थिति के मद्देनजर हमारे पास और कोई विकल्प शेष नहीं था।

इस संबंध में, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। राष्ट्रपति शासन कोई समाधान नहीं है। यदि धर्मनिरपेक्ष दल एकजुट हो कर सरकार बनाते हैं तो यह संभव होगा। लेकिन, जैसी आज बिहार की स्थिति है, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई संभावना है। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लम्बे समय तक नहीं लगाया जाना चाहिए। एक यही रास्ता है, जिसमें जनता के पास जाकर उसका फैसला लिया जाए।

यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संभवतः वहां हालात काफी बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैं बिहार में धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एकजुट होने तथा सरकार बनाने का अनुरोध करता हूं अथवा चुनाव के लिए जाएं जहां वह सफलतापूर्वक विजयी होकर लौटेंगे। बिहार की स्थिति के लिए केवल यह एक संभावना शेष है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने को अपना समर्थन देने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा के चुनाव के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है और उसी के फलस्वरूप यह प्रस्ताव गवर्नर साहब ने यहां भेजा है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महोदय, जहां कहीं भी चुनाव होता है, वह राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए नहीं होता है। लेकिन बिहार में चुनाव के समय जो एक माहौल था, जनता का सत्ता के प्रति जो गुस्सा था, उसके कारण मत भी खंडित हुआ और जनादेश भी खंडित मिला। खंडित जनादेश मिलने के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय को गठबंधन का विकल्प ढूंढना था। यह बात सही है कि सत्ता के विपक्ष में जो प्रमुख गठबंधन था, उसे बहुमत नहीं मिला। गठबंधन को 92 स्थानों पर विजय हासिल हुई थी। जबकि सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की आवश्यकता थी। हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे। लेकिन महामहिम राज्यपाल को वहां विकल्प ढूंढना चाहिए था। राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार के लिए दावा किया था, लेकिन उनकी भी संख्या पर्याप्त नहीं थी। आर.जे.डी. पार्टी तथा अन्य पार्टियों के लोग राज्यपाल महोदय से मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहे। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करने से पहले विधान सभा का सत्र बुलाकर विधान सभा में बहुमत दल के नेता का चुनाव कराना चाहिए था। यह विकल्प खुला हुआ था। लेकिन इसकी अनदेखी की गई और राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा की गई। हम जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि वहां इस विकल्प की अनदेखी कर दी गई।

लालू जी लगता है आप कमजोर हो गये हैं। आप कमजोर नहीं थे। आप कोई बात नहीं समझते, ऐसा भी नहीं है, आप सब बात समझते हैं। आपका यह इंतजाम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं टी.वी. पर आपका एक कार्यक्रम देख रहा था जिसमें आप हाथ में घड़ी लिये हुए थे और एक दल के नेताओं के बीच में टिप्पणी करते हुए आप लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के विषय में बता रहे थे कि वह एक पेंडुलम है। यह दोनों तरफ झूल रहा है। बहुत देर तक आप पेंडुलम को दिखाते रहे। लेकिन हम एक बात बताते हैं कि वह पेंडुलम नहीं है, वह कांग्रेस की गठपुतली है। हम लोग बचपन में मेले में कठपुतली का नाच देखते थे, जिसमें एक छोटी सी मूर्ति होती थी, उसे पीछे से डोर खींचकर नचाया जाता था। कांग्रेस के हाथ में भी वह डोर है और उस कठपुतली को इसलिए नचाया जा रहा है कि आपका भी इंतजाम हो और आपके साथ-साथ हम लोगों का भी इंतजाम हो। आप इस बात को समझते हुए भी क्यों कमजोर पड़ गये हैं। आप बड़े दल के रूप में तो उभरे हैं। लालू जी हम यह चाहेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, रामविलास पासवान जी कह रहे थे कि हम जो बोलते हैं, बड़ा साफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हमने कहा था कि एक मुसलमान को वहां मुख्य मंत्री होना चाहिए। उनकी पार्टी में मात्र 29 विधायक हैं। किसी मुस्लिम का खाता भी नहीं खुला है, वह कहां से और कैसे किसी मुस्लिम को मुख्य मंत्री बनायेंगे? यह बात हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन वह एक बात भूल गये कि जिस समय वह कह रहे थे कि हमारे गठबंधन को बहुमत मिलेगा।

यह बात उन्होंने नहीं कही और जब तीसरे चरण का चुनाव करीब आ गया, तब उन्होंने जनादेश का अंदाजा कर लिया कि बाहर की जनता ने उनको रिजैक्ट कर दिया है तो उन्होंने कहा कि बिहार राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। आज वे बिहार में राष्ट्रपति शासन की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। कोई भी चुनाव जनता के शासन के लिए होता है। राष्ट्रपति का शासन कभी भी जनता का शासन नहीं होता है, वह नौकरशाही का शासन होता है। हालांकि बिहार में जो राज्यपाल हैं, आदरणीय श्री बूटा सिंह जी, मैं उनकी व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसा करता हूं। वे कांग्रेस में रहे हैं और हमारी सरकार में भी कुछ दिनों के लिए मंत्री रहे थे। कभी-कभी आमना-सामने भी लोक सभा में हो जाया करता था, लेकिन उनसे हमारे व्यक्तिगत रिश्ते उन दिनों में अच्छे रहे हैं। मैं जानता हूं कि वे बहुत अच्छे आदमी हैं। लालू जी ने ठीक कहा कि चूंकि वे राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें कभी सलाहकार की जरूरत नहीं है। हम आपकी

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

इस बात से सहमत हैं। लेकिन सलाहकार की नियुक्ति जान-बूझकर नहीं की जा रही है। उसमें भी लालू जी और राम विलास जी दोनों का इंतजाम किया जा रहा है। हमें जो जानकारी मिली है, पता नहीं यह कितनी सही है, मैं उस पर दावा नहीं करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिये। उन्हें परेशान न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमें जानकारी मिली है कि जिस नाम का सुझाव लालू जी की तरफ से दिया गया, वह राम विलास जी को बुलाकर दिखाया गया कि यह नाम कैसा है, लालू जी ने दिया है। राम विलास जी ने कहा कि यह गड़बड़ है, ठीक नहीं है। फिर राम विलास जी से नाम लिया गया और आपको भी दिखाया गया होगा।

श्री लालू प्रसाद: नहीं दिखाया।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपको और इनको दिखाते-दिखाते कोई तीसरा आ जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप दोनों का इंतजाम किया जा रहा है। राम विलास जी चले गए। उन्होंने कहा था कि 67 के बदले 75 देंगे और मुस्लिम नेता का चुनाव वह करना चाहते हैं और उनके दल में कोई मुस्लिम नेता नहीं है। मुस्लिम नेता तो फिर जनता दल यूनाइटेड का ही होगा।

श्री लालू प्रसाद: शाहनवाज हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम बताते हैं। अगर वह नेता जनता दल यूनाइटेड का होगा तो आप दूसरे दल के नेता का चुनाव कैसे कर सकते हैं? पहले अपनी पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय कर लें। वह सम्मानित नेता हैं। उनको नेता का चुनाव करने का अधिकार होगा। आप जिस मुसलमान को कहेंगे, उसको जनता दल यूनाइटेड मुख्य मंत्री के रूप में मान लेगा। उनको अधिकृत कर दिया जाएगा। आप अपनी पार्टी का विलय करें। जहां तक 67 और 55 का सवाल है उन्होंने कहा कि 75 की संख्या हम पूरी कर देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाए।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: वह कहते हैं कि 75 की संख्या पूरी कर देंगे। तो आज कांग्रेस पार्टी ने सदन में घोषणा कर दी कि उनके जो दस विधायक हैं, उनका समर्थन जदयू को है। वह कहते हैं कि पहले हम भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें। जब हम कहते हैं कि आप 75 का शपथ-पत्र राज्यपाल को दे दें, हम राम विलास जी को दावे से कहते हैं कि हमारी पार्टी जब कह रही है कि 55 का समर्थन देंगे तो इसमें तय है कि हम भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे और आपको समर्थन देंगे। लेकिन आप 75 का शपथ-पत्र तो दीजिए। आप 75 का शपथ-पत्र नहीं दे पाएंगे क्योंकि संख्या नहीं है। बाजार में इतना सौदा नहीं है कि ग्राहक जहां-तहां खरीदने जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में मत बोलिए।

श्री लालू प्रसाद की टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जाएंगी।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद जो मत मिला है, वह बिल्कुल साफ-सुथरा मत है। सारे लोग सत्ता के विरोध में लड़ रहे थे। वहां लालू यादव जी की सत्ता थी और कांग्रेस भी सत्ता के विरोध में लड़ रही थी। चुनाव के समय सोनिया गांधी जी के कई भाषण बिहार की सत्ता के खिलाफ आए,...* के खिलाफ आए।...*(व्यवधान)**...जैसी बात करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि राम विलास जी के भाषण भी सत्ता के विरोध में होते थे, हमने भी जो भाषण दिये, उनमें सत्ता की कमियों को उजागर करने का काम किया।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लालू प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, इस टिप्पणी को रिकार्ड से निकलवा दीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: वह हम मुंह इधर करके बोल रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय: वह डिलीट कर दें। जो लालू जी ने कहा है, वह हम मान लेते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हम कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन कभी भी जनता का शासन नहीं होता। राम विलास जी बड़े जोर-ेर से कह रहे थे कि यह ठीक हो रहा है, वह ठीक हो रहा है।

चुनाव जिस समय चल रहा था उस समय आचार संहिता लागू थी और भारत सरकार की बहुत-सी योजनाएं परियोजनाएं शुरू होने वाली थीं। राज्य सरकार की भी योजनाएं-परियोजनाएं थीं जो स्वीकृत थीं और राशि का आवंटन हो गया था। आचार संहिता की वजह से वह काम रुका हुआ था। आचार संहिता समाप्त हो गयी, तो वह काम अपने आप शुरू हो जाएगा। उस काम को लेकर राष्ट्रपति शासन की दुहाई दी जाती है कि बड़ा काम हो रहा है। राष्ट्रपति शासनकाल में विधि व्यवस्था की स्थिति श्री लालू प्रसाद के शासनकाल से भी बदतर हो गयी है। आज की तारीख में पटना के अंदर डाक्टर से पचास लाख रुपए की फिरौती मांगी गयी है। छपरा में नीरज नाम के व्यक्ति को सुबह पांच बजे ए.एस.पी. आवास के करीब मार दिया गया। थोक भाव में हत्या और अपहरण की घटनाएं घट रही हैं। मैं यह निवेदन करूंगा, खास तौर से कांग्रेस के लोगों से कि आप महसूस करते हैं कि इधर की पार्टी के लोग अछूत हैं तो श्री पासवान जी की पार्टी के लोगों को मिला लिया जाए और एक सरकार, जनता की सरकार बनाई जाए। यहां जनता की सरकार पसन्द करने वाले लोग हैं हम आपको बताते हैं कि हमें हर दल के विधायकों के टेलीफोन आ रहे हैं कोई दल बचा नहीं है। टेलीफोन पर वे लोग रो रहे हैं। वे कहते हैं कि हम विधायक हो गए हैं हमें क्या काम करना चाहिए। उनको कोई सुविधा साधन नहीं है। विधायक की भूमिका करने से रह गए हैं। विधायक की भूमिका सदन में होती है। विधायकों के अंदर पासवान जी के लिए गुस्सा और रोष है। इसलिए पासवानी जी उनके लिए भारत दर्शन का एक कार्यक्रम बनाए हुए हैं। भारत भ्रमण और भारत दर्शन की बात मत कहिए। पहले विधायकों को विधानसभा का दर्शन तो करा दीजिए। भारत दर्शन तो अपने आप हो जाएगा। कमेटी के माध्यम से वे भारत दर्शन कर लेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वक्ता की बात को छोड़कर और किसी की बात को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम पासवान जी से अनुरोध करते हैं कि विधायकों को भारत दर्शन मत कराइए नहीं तो ऐसी स्थिति बनने वाली है कि उनके विधायक कूद कर इधर या उधर जाने वाले हैं। सिर्फ लालू जी ही उनके पीछे नहीं लगे हुए हैं हम भी उनके पीछे लगे हुए हैं। विधायक हमारे सम्पर्क में हैं। विधायक परेशान हैं, बेचैन हैं। कुछ खर्चे का इंतजाम भी पासवान जी ने भी कराया है, लेकिन ये विधायक की भूमिका चाहते हैं। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से अनुरोध करता हूं कि बिहार में जनता की सरकार बनवाएं और विधायकों को भारत दर्शन मत कराएं उन्हें विधानसभा का दर्शन करवाएं।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत की गई उद्घोषणा के अनुमोदन में सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं जबकि मेरा दल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विरुद्ध है।

बिहार के चुनावों में कोई स्पष्ट जनादेश नहीं है। किसी एक पार्टी अथवा दलों के समूह को आधी से अधिक सीटें प्राप्त नहीं हुई हैं। इसलिए वे सरकार नहीं बना पाए हैं। वर्तमान परिदृश्य में राज्यपाल के पास राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

पिछले छह वर्षों से रा.ज.ग. सत्तारूढ़ थी। लोक सभा के भंग होने के पश्चात् राजग ने संपूर्ण भारत के प्रत्येक राज्य में एकजुट होकर चुनाव लड़ा। कोई विरोध नहीं थे न ही कोई वैचारिक मतभेद था। अब, कांग्रेस की अगवाई वाली यू.पी.ए. सरकार देश में शासन कर रही है। कांग्रेस की अगुवाई वाली इस सरकार में राजद तथा लोक जनशक्ति पार्टी दोनों ही दल भागीदार हैं। यहां तक की बिहार में जनादेश यू.पी.ए. - कांग्रेस, राजद तथा लोक जनशक्ति के पक्ष में है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

तब भी, उन्होंने सरकार नहीं बनाई। इससे स्पष्ट होता है कि यू.पी.ए. घटकों में मतभेद तथा विरोध हैं। वे देश को एक अच्छी सरकार किस प्रकार दे सकते हैं जबकि जनादेश उनके पक्ष में है और उन्होंने सरकार नहीं बनाई? इसलिए यहां एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना होनी चाहिए। बिहार में चुनाव राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए नहीं हुए बल्कि लोकप्रिय सरकार की स्थापना के लिए हुए थे।

संपूर्ण विश्व में, बहु-दलीय प्रणाली है। इसलिए कई देशों में कई दल एक साथ सरकार चला रहे हैं। यहां तक की हमारे देश में, सरकार एक मिली-जुली सरकार है। पहले भी, राजद तथा यूनाईटेड फ्रंट की गठबंधन सरकारें रही हैं। यहां तक की कुछ देशों में भी, गठबंधन सरकारें हैं। इसलिए, मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन न लागू किया जाए तथा शीघ्रातिशीघ्र बिहार में एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जाए। चूंकि राज्यपाल के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। इसलिए मेरा दल इस संकल्प का समर्थन करता है।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, मेरी पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का घोर विरोध करते हैं लेकिन मेरा विचार है कि, बिहार में वास्तव में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। उस संकटपूर्ण स्थिति में, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, लेकिन हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। इसके बावजूद, चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उस विकट स्थिति में, हम राष्ट्रपति शासन का शीघ्रतापूर्वक अंत चाहते हैं।

महोदय, हमारे देश में प्रजातंत्र का कोई विकल्प नहीं है। हमारे देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। संसदीय प्रजातंत्र का मुख्य कार्य लोकप्रिय सरकार का गठन करना है। इसलिए, लोकप्रिय सरकार का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, हम चाहते हैं कि सभी धर्मनिरपेक्ष दल एकजुट हों ताकि वहां एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो सके। चुनाव पूर्व, वहां धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक दलों में मतभेद व्याप्त था। यदि यह सभी धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक दल एकजुट हो गए होते तो यह स्थिति न आती। हालांकि, चुनाव पश्चात् भी धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक दलों की एकजुटता के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद था, परन्तु यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन सभी धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक दलों के एक दूसरे के साथ वाद-विवाद तथा मतभेद थे। इसलिए बिहार के लोग किसी लोकप्रिय सरकार का अभाव में कष्ट झेल रहे हैं।

महोदय, बिहार एक गौरव पूर्ण स्थान है। प्राचीण काल से ही बिहार का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। जबकि बिहार एक ऐतिसाहिक स्थान है, हमें स्मरण होना चाहिए कि बिहार बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा समृद्ध इतिहास का उत्तराधिकारी रहा है तथा भारत सरकार की लापरवाही के कारण, बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है। बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत - उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार भी आर्थिक रूप से पिछड़ गया है। किसी समय हम देश में आर्थिक रूप से अग्रणी थे। लेकिन, मेरा विचार है कि वास्तव में यह भारत सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति थी जिसके कारण पूर्वी भारत पिछड़ गया है।

इस महत्वपूर्ण मोड़ पर राष्ट्रपति शासन का समर्थन करते हुए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बिहार के उत्थान के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। बिहार सरकार काफी समय से एक लाख करोड़ रुपये के विशेष पेकेज की मांग कर रही थी क्योंकि बिहार के विभाजन का कोई औचित्य नहीं था। अथाह प्राकृतिक संसाधनों का भी बंटवारा हो गया है। बिहार की दुर्दशा का यही कारण है। हमारी मांग है कि सरकार बिहार के उत्थान में सहयोग करे। यदि बिहार का विकास होता है तो समस्त पूर्वी भारत का भी विकास होगा, क्योंकि उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल को सरकार से अधिक सहायता की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। यही नहीं, उत्पाद शुल्क में छूट आदि के रूप में उन्हें कुछ करावकाश भी दिया जा रहा है।

ऐसा उन राज्यों के लिए भी आवश्यक है। परन्तु पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार सहित पूर्वी भारत को उत्पाद शुल्क में छूट की सुविधा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस सुविधा से इन राज्यों में भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मैं भारत सरकार से समुचित उपाय करने का अनुरोध करूंगा जिससे कि सभी निवेशकों को उत्पाद शुल्क, करावकाश आदि में कुछ राहत मिल सके। ऐसा करने से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और पूर्वी भारत में आर्थिक विकास हो सकेगा। यदि ऐसा होता है और भारत सरकार पूर्वी भारत को वास्तव में पूर्ण सहायता देती है तो कानून व्यवस्था में सुधार होगा और विद्रोह आदि की संभावना समाप्त हो जाएगी।

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

अपराह्न 2.31 बजे

हमारे देश में विद्रोह क्यों हो रहा है? देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा क्यों हो रही है? इसका कारण गरीबी, पिछड़ापन आदि है। इसलिए भारत सरकार को क्षेत्रीय और आर्थिक विषमताएं समाप्त करने हेतु आवश्यक उपाय करने चाहिए। ऐसा करने से हम विद्रोह, दंगों आदि पर नियंत्रण कर सकेंगे।

पश्चिम बंगाल में अनेक कठिनाइयों के बावजूद वहां वामपंथी शासन काल में कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। हमने कभी भी सांप्रदायिक दंगों, सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक कट्टरपंथ का समर्थन नहीं किया। इसीलिए, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद भी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण सेठ: बिहार और उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। परन्तु भारत सरकार की लापरवाही के कारण पूर्वी भारत आर्थिक विकास के मामले में पिछड़ रहा है। इसलिए हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाए।

इसी के साथ मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिहार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए जिससे कि बिहार और पश्चिम बंगाल का भी वास्तविक रूप से विकास हो सके। यदि बिहार का विकास होगा तो साथ-साथ ही उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का भी विकास होगा। अत: इस मांग पर विचार किया जाए।

मेरे विचार से सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को वहां सरकार बनाने के प्रयास करना चाहिए। इसकी प्रयाप्त संभावनाएं हैं और इस उद्देश्य हेतु सभी को प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो मैं अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रपति शासन समाप्त करके चुनाव की घोषणा करनी चाहिए जिससे कि वहां एक लोकप्रिय सरकार का गठन शीघ्रातिशीघ्र किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): सभापति महोदय, बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, यह बिहार में कोई पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले भी कई बार कांग्रेस शासन काल में बिहार में ऐसा हुआ है। मुझे पूर्ण रूप से याद है कि 1974-75 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया था। इस समय जो बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, उसके लिए मुख्य दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो, निश्चित रूप से उनके मन में यह है कि मैं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी का सफाया करूं और वहां अपना वर्चस्व बनाऊं।

सभापति महोदय, अगर आज बिहार में कांग्रेस की चाल से राष्ट्रपति शासन लग गया है, लेकिन निश्चित रूप से कल बिहार में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनेगी। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ लोग नहीं चाहते कि वहां कभी सरकार बने...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): आप क्या कह रहे हैं, कौन नहीं चाहता?

श्री सुकदेव पासवान: शकील साहब, मैंने यही कहा है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि राष्ट्रीय जनता दल की या लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बने...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद: आप गलत बोल रहे हैं।

श्री सुकदेव पासवान: मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। शकील साहब, हम लोगों का तो अनुभव है कि जब इमरजेंसी काल में राष्ट्रपति शासन लगा था, इनमें से जितने लोग लोक जनशक्ति पार्टी हैं, राष्ट्रीय जनता दल में हैं, जनता दल (यू) में हैं और बी.जे.पी. में हैं, हम लोग 17-18 महीने जेल में रहे हैं, इसलिए वह बिहार में चाहती है कि वह किसी तरह सरकार बनाये ...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद: आप तो इधर भी थे।...*(व्यवधान)*

श्री सुकदेव पासवान: हम उधर थे, लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, हम जनता दल (यू) के साथ थे, लेकिन मैं कभी कांग्रेस में नहीं गया हूं। शकील साहब, मैं शुरू से कांग्रेस के खिलाफ रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सही मायने में बिहार की जो दुर्दशा है, जो स्थिति बनी हुई है, उसकी सबसे प्रमुख दोषी कांग्रेस है, उसके लिए कोई दूसरा दल दोषी है।

बिहार में अभी कोई गारण्टी नहीं है कि राष्ट्रपति शासन दो महीने रहता है या 6 महीने रहता है या कितने दिन रहता

[श्री सुकदेव पासवान]

है। इसीलिए हम आपके माध्यम से यू.पी.ए. सरकार को बताना चाहते हैं कि बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, मुझे स्मरण है कि 25-30 साल से वहां एक भी नया प्राथमिक विद्यालय सैंक्शन नहीं हुआ है, 25-30 साल पहले जो प्राथमिक विद्यालय थे, वही अभी भी हैं, जबकि जनसंख्या वृद्धि में दिन दोगुनी रात चोगुनी वृद्धि हो रही है। बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं है। राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत हम चाहते हैं कि अविलम्ब प्रत्येक ब्लाक पंचायत के प्रत्येक बोर्ड पर एक प्राथमिक विद्यालय सैंक्शन किया जाये और अविलम्ब प्रत्येक पंचायत एवं बोर्ड में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया जाये।

दूसरे, बिहार में शिक्षकों की कमी है। चुनाव से पूर्व निकाला गया था कि 75 हजार शिक्षकों की बहाली करेंगे। अब आप स्वयं सक्षम हैं, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुई है, आप अविलम्ब 75 हजार शिक्षकों की अविलम्ब नियुक्ति कीजिए। ग्रामीण इलाकों में सही मायने में स्कूल की कमी रहने से, शिक्षकों की कमी रहने से छात्र स्कूल में नहीं जा पाते हैं। जो छात्र स्कूल में जाते हैं, उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती है। हम चाहेंगे कि इस बजट के माध्यम से भवन निर्माण का काम हो, स्कूल निर्माण का काम हो ताकि यह काम आगे बढ़ सके।

अभी कुछ दिन पहले गेहूं की बुवाई हुई, बिहार में उस वक्त खाद की कीमत 500 रुपये थी, लेकिन खाद बिहार में 700-800 रुपये में नहीं मिलता था, ऐसी स्थिति बिहार में बनी हुई थी। वहां डाक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की कमी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोग शुरू से आवाज उठाते रहे हैं कि बिहार की बदहाली का कारण जो नेपाल से नदियां आती हैं, वे नदियां उत्तरी बिहार के 18 जिले पूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत जो नेपाल से नदियां बाढ़ लाती हैं, उसके नियंत्रण के लिए ऐसी कोई योजना बनायें कि बिहार में बाढ़ से कम से कम बचाव हो सके, उसका निदान हो सके।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अक्लियत और पिछड़े वर्ग के लोगों को लिए निश्चित रूप से ऐसी कोई योजना बने, जिससे वहां के लोग पलायन न करें। रघुवंश बाबू यहां पर हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्री बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा था कि दो अक्तूबर को बिहार के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम प्रारम्भ करवाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र सरकार की पांच एजेंसियों को नियुक्त किया गया तो बिहार में इंजीनियरों को किडनैप कर लिया गया। सारे देश में विकास का काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सरकार के द्वारा किया जायेगा, इसलिए बिहार में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम शुरू किया जाये ताकि यातायात की कमी दूर की जा सके।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): सभापति महोदय, मैं बिहार में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संबंधी सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

महोदय, यद्यपि, बिहार के लोगों ने कांग्रेस पार्टी, आर.जे.डी., एस.पी., एन.सी.पी, एल.जे.पी. और बी.एस.पी. जैसे दलों को स्पष्ट बहुमत दिया है परन्तु हमारी आपसी असहमति के कारण बिहार में राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

बिहार अशोक की भूमि है। कालिंग युद्ध की विभीषिका को देखने के पश्चात् अशोक शांति और बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। हमें उस भूमि पर गर्व है। बिहार ज्ञान का भंडार है जिसने सर्वाधिक आई.ए.एस. और आई.पी.एस. दिए हैं। बिहार में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बिहार में गंगा बहती है जो राज्य को दो भागों में विभाजित करती है और इसके कारण अत्यधिक भूमि कटाव भी होता है। हालांकि, बिहार देश का सर्वाधिक संपन्न राज्य है जहां, इस्पात, कोयला जैसे विशाल खनिज भंडार हैं। परन्तु इसके बावजूद यहां के लोग गरीबी में रह रहे हैं। ऐसा क्यों है? मुझे कहने में संकोच नहीं है कि ऐसा घृणा की राजनीति के कारण, पीड़ित लोगों को, पिछड़े वर्गों और दलितों को समान सामाजिक अवसर और सामाजिक न्याय न दे पाने के कारण है। हम ऐसा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। बिहार की प्रगति के बिना हम भारत को महान नहीं कह सकते हैं। बिहार को पीछे छोड़कर मेरा भारत महान कैसे हो सकता है?

बिहार, सीता की भूमि से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हांलाकि राम को पता था कि सीता सर्वाधिक पवित्र नारी थी परन्तु रामायण में उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। महिलाओं के साथ हमेशा ही ऐसा क्यों होता है? आज ऐसा हमारी नेता सोनिया जी के साथ हो रहा है। यद्यपि देश को उनकी प्रतिबद्धता, ईमानदारी, देशभक्ति पर कोई शक नहीं है, फिर भी 2004 के चुनावों में उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, एन.डी.ए. ने भी उनके विदेशी मूल को मुद्दा बनाया था, महिलाओं

का अपमान करना भारत की संस्कृति नहीं है। मेरी संस्कृति नहीं है। एन.डी.ए. ने सोनिया जी के विदेशी मूल को चुनावी मुद्दा बना दिया था। अपने मतदान के जरिए स्पष्ट विजय दिलाने के लिए मैं भारत के लोगों का अभिनंदन करती हूं। मेरा कहना है कि हमें ऐसी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए।

हाल में मुझे उस कार्यक्रम का आमंत्रण मिला जो सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह पुरस्कार माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी, राज्य सभा में विपक्ष के माननीय नेता जसवंत सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी और माननीय अर्जुन सिंह जी को दिया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये सभी संसद के निष्ठावान और निर्भीक सदस्य हैं। मैं यहां उनसे सीखने आई हूं। वे हमारे आदर्श होने चाहिए। तथापि, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दौरान, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयुक्त शब्द 'अदृश्य प्रधानमंत्री' सुनकर दंग हो गई थी। उनका इरादा हमारे प्रधानमंत्री को निशाना बनाना नहीं था। बल्कि उनका निशाना स्पष्ट रूप से दृश्यमान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। उन्होंने आक्रमण किया ...*(व्यवधान)* मेरे भाई मुझे बोलने दीजिए। मुझे बोलने का अवसर मिला है। आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे अपनी बात सुनने के लिए अपील करती हूं।

हम कब तक घृणा की राजनीति करते रहेंगे? मैं सहमत हूं कि हम बिहार में सामंजस्य सुनिश्चित करने में असमर्थ रहे। कौरवों को पराजित करने, अधर्म को पराजित करने में पाण्डव सदैव साथ रहे। मैं इस बात से सहमत हूं कि आज लालू जी और पासवान जी में मतभेद है। मुझे आशा है कि हम शीघ्र इस मुद्दे को सुलझा लेंगे।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप बिहार के संबंध में काफी अच्छा बोल रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर आपने कुछ नहीं कहा है।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: महोदय, मैं उसी मुद्दे पर आ रही हूं। कौरवों को पराजित करने के लिए, धर्म-निरपेक्ष विरोधी शक्तियों को पराजित करने के लिए, भीम और अर्जुन की तरह हमारे लालूजी और पासवानजी एक-दूसरे का साथ देंगे। यह गर्व की बात है। जब बाह्य शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन हाथ मिला सकते हैं, तो देश के लोकतांत्रिक चुनावों में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ना कोई अपराध नहीं है। लेकिन, इसके बावजूद, मुझे यू.पी.ए. में पूर्ण विश्वास है और यू.पी.ए. में मेरे बंधु इस बात को समझेंगे। मेरे मन में लालूजी, पासवान जी जैसे नेताओं और अपने वामपंथी नेताओं के लिए बेहद सम्मान है। ये हमारे आदर्श हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: सभापति महोदय, माननीय सदस्या से कहें कि वे बिहार के ईशू पर बोलें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: महोदय, मैं आपकी पौत्रीवत् हूं। आपको मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए। हालांकि श्रीमती राबड़ी देवी को रोकने की विपक्ष ने बहुत कोशिशें की परन्तु सोनियाजी ने ही उन्हें समर्थन दिया। यह भूल जाइये कि श्रीमती राबड़ी देवी लालूजी की पत्नी हैं। वह इस देश की एक साधारण महिला हैं। इसके लिए हमें उन पर नाज है। साधारण लोगों को भी इस देश में राज करने का अवसर मिलना चाहिए। जब न्यायालय का निर्णय लालूजी के विरुद्ध था, जब सी.बी.आई. उनके विरुद्ध था, हम भी उनके विरुद्ध लड़े। हमारे मित्र दल भी लालूजी के विरुद्ध लड़े। लेकिन बिहार के लोगों ने राजद को स्पष्ट विजय दिलाई और लालूजी तथा श्रीमती राबड़ी देवी का दल अकेला सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। हमें जनमत का सम्मान करना चाहिए, बिहार के लोगों का सम्मान करना चाहिए। आज हम महिला को 'सती' बनाने में नहीं, महिला को 'शक्ति' बनाने में विश्वास करते हैं। मुझे यह बात सुनकर दुःख हुआ जो कि उस पक्ष की हमारी एक माननीय बहन ने हमारी नेता के बारे में कहा था। मैं उनकी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करूंगी। मैं उसका समर्थन नहीं करूंगी। उन्हें मुख्य मंत्री के पद से हटा दिया गया था। वह पिछड़े वर्ग की हैं। लेकिन फिर भी हमारी नेता ने उन महिला मुख्यमंत्री के प्रति सहानुभूति दिखाई। सिर्फ इसलिए कि वह महिला मुख्यमंत्री विशेषरूप से पिछड़ी जाति की हैं। इसलिए, लालूजी प्रथम नेता हैं, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए सोनियाजी का समर्थन किया। यही कारण है कि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। वह प्रधानमंत्री बने अथवा नहीं, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। उन्होंने महिलाओं का समर्थन किया है, उन्होंने हमेशा महिलाओं का समर्थन किया है। दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को अवसर दिए बिना तर्क करने का कोई औचित्य नहीं है।

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

जहां तक रामविलास पासवान जी का संबंध है, उनका प्रभामंडल देखिए, उनकी प्रतिभा देखिए। संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान वे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा के सहायक और उनके मार्गदर्शक थे। हमें दलित नेताओं को एक मौका देना चाहिए। उन्हें मौका दिए बिना और पिछड़े लोगों को सामाजिक न्याय दिए बिना भाषण देने का कोई अर्थ नहीं है। हम अपने एन.डी.ए. के बंधुओं से उनकी हिंदुत्व नीति की वजह से नफरत करते हैं। आप दलितों को अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वे हिन्दुओं का अंश नहीं हैं? वे बिल्कुल हिन्दुओं का ही अंश हैं...*(व्यवधान)* हम अस्पृशंयता के विरुद्ध हैं। यद्यपि सोनिया जी इटली की रहने वाली हैं। जो एक सभ्य देश है, लेकिन अपने काम से वह 'गांधी' हो गई। सोनिया जी इस देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण 'गांधी' हुई हैं। नाम से गांधी नहीं होता, काम से गांधी होता है। एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। इस देश में हमें प्रजातंत्र सुनिश्चित रखना है। मैं आपको मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिहार में राष्ट्रपति शासन की घोषणा पर अनुमोदन चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश बिल्कुल मिले हुए हैं, पड़ोसी राज्य हैं। इसलिए चाहे यू.पी. की बयार बहे, चाहे बिहार की बयार बहे, उससे थोड़ा-बहुत फर्क पड़ता है। हमने इस विषय पर पोड़ोसी राज्य होने के नाते बोलना जरूरी समझा।

माननीय सभापति महोदय, 15 वर्ष तक वहां राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। आठ बार वहां शेष परिस्थितियों में वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अभी दोनों तरफ के तमाम सम्मानित सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगे। कैबिनेट की बैठक में जब इस पर विचार किया जा रहा था कि वहां राष्ट्रपति शासन लगे या न लगे, उस वक्त श्री लालू प्रसाद यादव उस कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गये। उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन न लगे, इसका भरपूर विरोध किया। उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी तथा शिवराज पाटिल जी से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर विरोध जताया कि वहां राष्ट्रपति शासन न लगे और सबसे बड़ा दल होने के नाते हमें सरकार बनाने के लिए मौका दिया जाये। लेकिन सोनिया जी और पाटिल जी ने कहा कि वहां के हालात ऐसे नहीं हैं, वहां बहुमत की स्थिति नहीं बन पा रही है इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी हो गया है। दूसरी तरफ श्री रघुवंश प्रसाद जी, जो यहां बैठे है, आप विरोध स्वरूप कैबिनेट मीटिंग में नहीं गये, यह सबको पता है। अभी पासवान जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम कैबिनेट में नहीं गये, वह दूसरी बात है। लेकिन वह कहते है कि हमने चुनाव के वक्त भी कहा था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन की स्थिति आ रही है। उन्होंने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की।

मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के इतिहास के बारे में बी.जे.पी. के कई सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात यहां रखी। वर्ष 1998-99 में, 12वीं लोकसभा में मैं चुनकर आया था। मुझे याद है कि उस समय वहां श्री सुन्दर सिंह भंडारी जी राज्यपाल थे। उन्होंने वहां कानून व्यवस्था के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगाया। लेकिन राज्य सभा में बहुमत न होने के कारण राबड़ी सरकार वहां पुनः बहाल हुई और उन्होंने वहां पर शासन किया। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे दल के उप नेता आदरणीय श्री रामजी लाल सुमन ने एक बात कही, यह बात सत्य है कि आज यहां केन्द्र में गठबंधन की सरकार है। लेकिन गठबंधन का धर्म कोई भी पार्टी नहीं निभा पा रहा है। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से पहले चूंकि महामहिम राज्यपाल जी को जो चिट्ठी प्रस्तुत की गयी है, तमाम दल वहां से चुनकर आये हैं चाहे वे छोटे दल हों या बड़े दल हों, सबने अपनी स्थिति महामहिम राज्यपाल को लिखित रूप में स्पष्ट की है। मैं कहना चाहूंगा कि 122 विधायकों का गठजोड़ बने चाहें एक पार्टी उसको पूरा करे, दो, तीन या चार पार्टीज मिलकर उसे पूरा करें तभी वहां पर सरकार बन सकती है।

प्रजातंत्र और लोकतंत्र में जैसा सम्मानित सदस्यों ने कहा, जो चुनाव हुआ है, वह राष्ट्रपति शासन के लिए चुनाव नहीं हुआ है। वहां पर जो भी चुनाव हुआ है, वह एक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए हुआ है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन अच्छी बात नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ सम्मानित नेताओं के भी कई बयान आये हैं कि जिस प्रकार से बिहार की राजनीति की अनिश्चितता बनती जा रही है और यू.पी.ए. गठबंधन में वरिष्ठ मंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव या श्री राम विलास पासवान जी में आपस में झगड़ा चल रहा है, उससे यू.पी.ए. के गठबंधन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर एक लोकप्रिय सरकार का गठबंधन होना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी इस सोच में है कि जिस प्रकार से बिहार में राजनीति की अनिश्चितता बन रही है, उसी प्रकार से लोक सभा के साथ-साथ बिहार में भी मध्यावधि चुनाव के आसार नजदीक हैं। अभी जो फोटो की बात की गयी है, वह मजाक है या सही है, लेकिन 12वीं लोक सभा में हम लोग चुनकर आये थे, उस समय ग्रुपिंग फोटो नहीं हो पायी थी। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि चाहे केन्द्र सरकार हो या सम्मानित दल हो, ये गठबंधन का धर्म समझते हुए एक लोकप्रिय सरकार बनाने में बिहार में पहल करें। अभी श्री सुकदेव पासवान जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। यह चिन्ता सबमें है। राज्यपाल के सलाहकार के रूप में वहां पर अभी तक कई विभेद हैं। राज्यपाल जी के सलाहकार के रूप में वहां बनाने की बात चल रही है। रोज पेपर में पढ़ने में आ रहा है, जैसे अभी प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि कभी राम विलास पासवान जी से सरकार बनाने के लिए पूछा जाता है और कभी लालू जी से पूछा जाता है। मेरे ख्याल से जो घमासान है, वह राज्यपाल जी के सलाहकार को लेकर है। उससे भी अनिश्चितता है जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति वहां बहुत जर्जर और दयनीय है तथा विकास में भी वह बात आड़े आ रही है। तमाम नव-निर्वाचित सदस्य जो विधान सभा में चुनकर आये हैं, उनकी चिंता जायज है। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है और वे भी चाहते हैं कि सदन में बैठकर हम लोकप्रिय सरकार के अंग बनकर या विपक्ष में बैठकर अपने धर्म का पालन करें। लेकिन यह भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि चाहे जो भी संविधान में परिवर्तन करना पड़े, वहां नव-निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीतकर आये हैं, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे सदन में बैठकर ये लोकप्रिय सरकार या विपक्ष में बैठकर अपने धर्म को निभा सकें।

हमारे साथी माननीय श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी चिट्ठी पलट-पलटकर पढ़ रहे थे कि स.पा. ने क्या किया और लो.ज.पा. ने क्या किया। तमाम पत्रों का उन्होंने उल्लेख किया कि लो.ज.पा. ने क्या किया। उसमें राज्यपाल के पास इन लोगों ने कैसे समर्थन दिया या कैसे समर्थन न देने की बात कही। वह वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं लेकिन आज बसपा के चाहे दो विधायक हों या सपा के 4 विधायक हों या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, ये उस वक्त जीतकर आए हैं जब राष्ट्रीय जनता दल का जो मैनडेट है, उसका विरोध हो रहा है, तब ये लोग जीतकर आए हैं और उन्होंने राज्यपाल से चिट्ठी लिखकर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यू.पी.ए. के गठबंधन के जो भी लोग बैठे हैं, वे इस पर गंभीरता से विचार करें कि राष्ट्रपति शासन वहां नहीं रहना चाहिए। लोकप्रिय सरकार वहां रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय कृष्ण (बाढ़): सभापति महोदय, बिहार में जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उससे पूरे बिहार की जनता हतप्रभ है। पूरे बिहार में जो गरीब, दलित या सोशल जस्टिस में विश्वास रखने वाले या अकलियत के लोग या राजनीति करने वाले हैं, उन सब पर सबकी नजर है और पूरे बिहार में एक ऐसा वातायरण है जिसमें गरीब जनता बहुत दुखी है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। कई अवसर ऐसे आए हैं जब राष्ट्रपति शासन विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है या जब सरकार बनाने की स्थिति नहीं होती है तब एक विकल्प की तलाश के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। लेकिन बिहार में जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जिसे सबसे अधिक मत मिले हैं, एक बड़े दल के रूप में उसके 75 विधायक चुनकर आये हैं और प्री पौल एलाएंस 92 तथा 2 बसपा के भी विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है और ऐसे में कोई सरकार बनाने के लिए दावा नहीं करें या किसी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया बल्कि सरकार रोकने की बात करें और जिसने दावा किया, उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिले तो यह स्थिति बहुत गंभीर है। इस दल के माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि 1989 में इसी तरह की स्थिति संसद में उपस्थित हुई थी जब आदरणीय राजीव गांधी जी को एक बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते उस वक्त निमंत्रण दिया गया था और जब उन्होंने इंकार किया तब श्री वी.पी. सिंह जी की सरकार बनी थी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: कोई नयी बात हो तो वह बताइए। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय कृष्ण: जो परिस्थिति पैदा हुई थी, अटल जी को भी मौका मिला और उनको अवसर दिया गया। जो लम्बी-चौड़ी बातें नीतीश कुमार जी कर रहे थे, 7 दिन के लिए उनको सरकार बनाने का मौका दिया गया। नामी-नामी लोगों को अटल जी ने अपनी पीठ के पीछे खड़ा किया था।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, इन्होंने बेइमानी से सरकार बनाई थी और आप कुख्यात और नामी अपराधियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। सात दिनों का समय दिए जाने पर भी सात सदस्यों तक का समर्थन नहीं जुटा सके और सरकार चली गयी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए, अन्य किसी को संबोधित न करें।

[हिन्दी]

* **श्री विजय कृष्ण:** महोदय, आपने उनको सरकार बनाने का मौका दिया था। जब लालू प्रसाद यादव जी ने सरकार चलाई तो उन्होंने किसी अपराधी के साथ फोटो नहीं खिंचवायी थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मुझे खेद है। श्री विजय कृष्ण के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण: इन लोगों ने नामी-नामी अपराधिक तत्वों के साथ फोटो खिंचवाई, अपराधियों को पैरोल पर छोड़ा गया और सात दिन तक मेहनत की, फिर भी अपनी सरकार को बचा नहीं सके। सभापति महोदय, यह सब बातें की गयीं और आज वही लोग सिद्धान्त की बातें कर रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल के माध्यम से मेम्बर नॉमिनेट करवाना चाहा और जब झारखण्ड में वही बात आई तो नॉमिनेशन रोक दिया गया। राजनीति में यह जो दोहरा चरित्र चलता रहता है, इसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने सरकार बनाने का दावा किया, उसको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, भाजपा के लोगों ने बार-बार सरकारिया आयोग की सिफारिशों का जिक्र किया है। इस आयोग की रिपोर्ट के केन्द्र-राज्य सम्बंध भाग-एक में कहा गया है:

[अनुवाद]

"विधान सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाले दल के नेता को राज्यपाल द्वारा निरपवाद रूप से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यह सरकार की बनाने की अतिप्राचीन परम्परा है। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। तथापि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब दो राय होती हैं कि ऐसे व्यक्ति की पहचान के लिए जो सरकार बना सकता है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए।"

[हिन्दी]

दूसरी बात जिसकी चर्चा माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने की कि विधानसभा को मौका दिया जाए कि वह अपने नेता का चुनाव करे, लेकिन यह मौका भी नहीं दिया गया। ये सारी बातें आप लोगों ने की और आज भाजपा जिसका बिहार में वोट प्रतिशत घट रहा है, जिसके एम.एल.ए. घट रहे हैं, उसको इस तरह की बातें करने का अधिकार नहीं है। मैंने अभी श्री नीतिश कुमार और श्री राम विलास पासवान, दोनों लोगों की राजनीति में 55 और 67 के अवैध सम्बन्ध वाली बात को सुना। वह रहेंगे यू.पी.ए. में और काम करेंगे उधर, वह रहेंगे एन.डी.ए. में और काम करेंगे इधर। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजनीति में इस तरह के बेमेल सम्बन्धों को कब तक चलाया जाएगा। जिन लोगों के साथ आपने फोटो खिंचवाई...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री विजय कृष्ण के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यावाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण: सभापति महोदय, लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट कहा था कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे और ऐसा ही किया। इसके साथ ही मैं कांग्रेस के अपने मित्रों को भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब मोरार जी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण: उन्होंने समझ लिया था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की तरह से उनका राज आ गया है। उन्होंने मनमानीपूर्वक राजदूतों और राज्यपालों को बर्खास्त करके नई नियुक्तियां कीं।

राम नरेश यादव जी को मुख्य मंत्री बनाया गया और हटाया गया। इसी तरह से उस समय कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को भी हटाया गया। इस तरह से श्री मोरारजी देसाई के जाने का दिन तय हो गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रविन्द्र नायक के भाषण के अलावा और कुछ कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आगे के लिए आप दलित और गरीब विरोधी नीतियां जारी रखना चाहते हैं तो यह सही नहीं होगा। आपके साथ कम्युनिस्ट पार्टी वाले साथी बैठे हैं, वे इस बारे में क्या सोचेंगे, यह आप समझ सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि अगर वह यह समझती है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी को हटाकर खुद वहां आए और बिहार में राम विलास पासवान जी की मार्फत लालू प्रसाद जी को हटा देगी तो यह सम्भव नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृतांत में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा। श्री नायक, आप बोल सकते हैं। केवल आपका भाषण ही कार्यवाही-वृतांत में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया, बिहार में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा तक ही अपना वक्तव्य सीमित रखिये।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रविन्दर नाइक धारावत: मैं अपने को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव तक ही सीमित रखूंगा। मैं अपनी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दुनिया में हिन्दुस्तान सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। हमें आजाद हुए करीब 57 साल हो गए हैं। इस अवधि में हमने देखा है कि कई बार इस लार्जेस्ट डैमोक्रेसी की खिल्ली उड़ाई गई, जिसे हमने कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के रूप में भी देखा है। राज्यपाल की व्यवस्था आज हमारे संविधान के तहत, हमारे कानून के तहत और लोकतंत्र के तहत बनी है। दुर्भाग्य की बात है कि उसी व्यवस्था की हम खिल्ली उड़ाते रहे हैं। जब हम विधायक थे, तो हमने देखा है कि गांवों में सरपंच चुनकर आते थे, तो वार्ड मेम्बर्स उठाकर ले जाते थे और कई बार हमने वहां विधायकों को उठाकर ले जाते भी देखा है। मेरी अपनी राय है कि यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है।

बिहार में जो स्थिति है, उसे सब जानते हैं। केन्द्र ने आज सोनिया जी नेतृत्व में यू.पी.ए. की सरकार चल रही है। बिहार में यू.पी.ए. के पार्टनर्स के बीच भले ही मनमुटाव रहा हो, लेकिन वहां जो मेनडेट मिला, वह एन.डी.ए. के खिलाफ है और यू.पी.ए. के हक में जाता है। इसलिए यू.पी.ए. के पार्टनर्स आपस में बैठकर अगर चुनावों से पहले कोई समझौता कर लेते तो शायद यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मैं पिछड़े हुए क्षेत्र तेलंगाना से आता हूं। वहां पर हमने, तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ने, पहले विधान सभा चुनाव और फिर लोक सभा चुनावों में कांग्रेस के साथ समझौता किया। इससे हमें अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी चन्द्र बाबू नायडू की पार्टी को हराने में सफलता मिली। वही परिस्थिति लोक सभा के चुनावों के समय हमें झारखंड और बिहार में भी देखने को मिली थी। लेकिन जब हम कुछ सांसद और विधायक इन दोनों राज्यों के विधान सभा चुनावों के दौरान गए तो हमने देखा कि वहां की जनता कम्युनल फोर्सेज को हराने के लिए सेक्युलर फोर्सेज का साथ देने का मन बना चुकी है। लेकिन वहां यू.पी.ए. के पार्टनर्स में समझौता नहीं हुआ और यह गलती हो गई, जिसे हम सब जानते हैं।

हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 356 की, राज्यपालों की जो व्यवस्था है और सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसके ऊपर बिहार को मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ करना चाहिए। जब तक आप व्यवस्था पर टोका-टाकी करते रहेंगे,

[श्री रविन्दर नाइक धारावत]

उसको नजरअंदाज करेंगे, तो उसका फायदा नहीं होगा। राज्यपाल का रोल महज यह नहीं है कि वह किसी मुख्य मंत्री को शपथ दिलाए या किसी मुख्य मंत्री को हटाए। संविधान में राज्यपाल का काम, अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देने का भी है। इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राज्यपाल की व्यवस्था को हर बार कई लोक एबॉलिश करने की बात करते हैं। अबोलिश करने के टाइम पर आप उसे कीजिएगा। लेकिन आज देश में जो अशांति बनी हुई है, यह अशांति, पहाड़ों और जंगलों में, जहां आदिवासी रहते हैं, जिन्हें दबाया और कुचला गया, वहां से शुरू हुई है। वहां हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसको हम लॉ एंड आर्डर की समस्या समझ लेते हैं।...*(व्यवधान)* राज्यपालों के ऊपर जो टीका-टिप्पणी होती है, जो सरकार के करने के लिए सही काम हैं, जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के प्रोटैक्शन के काम, संविधान के द्वारा उनको दिये हुए हैं, जब वे उनको नजर-अंदाज करती हैं, वहां राज्यपाल संविधान के पांचवें और छठे शैड्यूल्ड के अंदर जाकर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आज कोई भी राज्यपाल उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

मैं माननीय राष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि पिछले राष्ट्रपति माननीय नारायणन जी ने पूरे राज्यपालों को बुलाकर एक कमेटी बनाई और कई चीजों के बारे में कहा। उनको अमल में लाने और गवर्नर की प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश कीजिए। केवल बनाने या हटाने के लिए ऐसा मत कीजिए क्योंकि आज भी पीने के पानी के लिए लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इन समस्याओं पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। इस संदर्भ में मैं इस प्रस्ताव का और गवर्नर व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपनी पार्टी की ओर से इसका समर्थन करता हूं।

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): सभापति महोदय, चुनाव के उपरांत, बिहार में जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई और राष्ट्रपति शासन लगा, उसके अनुमोदन के लिए आज सदन में यह प्रस्ताव आया है और उस पर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए यहां खड़ा हूं। बिहार उपेक्षा का शिकार रहा है। लेकिन बिहार का अपना गौरवमयी इतिहास रहा है। बिहार की समृद्धि और वैभवशाली संस्कृति को दुनिया इज्जत की नजर से देखती है और हम बिहारियों को भी गर्व है कि हमारा इतिहास स्वर्णिम रहा है, सुखद रहा है। बीते दिन बिहार में चुनाव हुए और जनादेश आया। यह जानदेश वहां की आर.जे.डी. सरकार के खिलाफ था। आप चाहे इसे सेक्युलर ग्रुप कहें या कोई और गठबंधन कहें, यह सब लोगों की जानकारी में है कि बीते 15 वर्षों से वहां जो आर.जे.डी. की सरकार थी, सब लोग उससे ऊब गये थे और लोग सरकार बदलना चाहते थे, लेकिन जनता ने जनादेश किसी एक पार्टी को नहीं दिया। हमारा प्री-पोल एलाइंस का गठबंधन सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा, लेकिन हम लोगों ने भी सरकार बनाने की मांग नहीं की। आर.जे.डी. बड़ा दल जरूर है लेकिन उसने सरकार बनाने की मांग कर दी। आखिर आप सरकार कैसे बना सकते हैं? आपके कौन समर्थक हैं। अलबत्ता राम विलास पासवान जी बहुत दिन तक हमारे साथ रहे हैं और अभी भी हम आशा करते हैं कि वे हमारा साथ देंगे। उनके हाथ में कुंजी है। चाहे इधर की सरकार बना दें या उधर की सरकार बना दें। लेकिन हम चाहेंगे कि हम लोगों की सरकार बना दें तो पांच साल के लिए बिहार का भला हो जाएगा।...*(व्यवधान)* मैं निवेदन कर रहा था कि बिहार की दुर्दशा क्यों हुई? माननीय लालू जी यहां बैठे हुए हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कुछ दिन पूर्व राबड़ी जी भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री थीं, लेकिन फिर भी बिहार इतना पीछे क्यों चला गया? यहां बैठे तमाम बिहार के सांसदों को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या वजह है कि यहां के नौजवान और मजदूर पलायन कर रहे हैं? वहां किसानों की हालत बदत्तर है।...*(व्यवधान)* 15 साल पहले बिहार से इतने लोगों ने पलायन नहीं किया था। वहां इंडस्ट्री थी, बिजली ठीक थी। मैं जानता हूं कि बिहार के बगल में बंगाल है लेकिन बंगाल में 24 घंटे बिजली देखने को मिलती है। बिहार में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा की हालत ठीक नहीं है, व्यापार की हालत ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* रघुनाथ बाबू, आप हमारे साथ थे। अभी पाला बदला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी: आप उस समय एन.डी.ए. की सरकार की प्रशंसा करते चूकते नहीं थे। आज आप खिलाफ में खड़े होकर बात कर रहे हैं। यह शोभा नहीं देता।...*(व्यवधान)* शाहबुद्दीन जी, दिल खोल कर बात होनी चाहिए। मैं यहां लालू जी को अपमानित करने के लिए बातें नहीं कर रहा हूं। यह रेल मंत्री बने। इन्होंने यहां के किसानों की साग सब्जी ले जाने के लिए एअरकंडिशन्ड डिब्बे का इंतजाम किया। आज उनकी

क्या हालत है? क्या आज इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है?...*(व्यवधान)* वहां सड़क बन नहीं रही है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा पड़ा है। जो एन.डी.ए. के समय खर्च हुआ,...*(व्यवधान)* रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री हैं। वहां अभी तक एक इंच भी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क नहीं बनी है। यह दोष किस का है? वहां कैसे किसान सम्पन्न होगा? वह कैसे अपनी सब्जी गांव से लाकर स्टैंड और स्टेशन तक पहुंचा सकेगा।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं कभी-कभी बोलता हूं। मैं बिहार को अपमानित करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता है। वहां जनता द्वारा चुनी सरकार बननी चाहिए चाहे आप उसे बनाएं। आप 75 की संख्या लेकर 91 तक के गठबंधन पर पहुंचे हैं। हम राम विलास जी को अपनी तरफ लाना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग बांटने में लगे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: आप उन्हें ले जाएं।

श्री निखिल कुमार चौधरी: हम राम विलास जी से बात करेंगे। हमारे राम विलास जी के साथ अच्छे रिश्ते थे और लालू जी आपसे भी रिश्ते खराब नहीं हैं। मैं आपसे कह रहा था कि वहां शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान की स्थिति ठीक नहीं है, अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बिहार को बनाने के लिए राष्ट्रपति शासन विकल्प नहीं हो सकता। यहां गृह मंत्री बैठे हैं। राष्ट्रपति शासन क्षणिक काल के लिए लगा है। आप गृह मंत्री भी हैं। आपकी पार्टी वहां सत्ता में शामिल है। भले ही चुनाव में उनके खिलाफ लड़े थे। आज वहां गठबंधन में शामिल हो गए हैं। राजद को साथ लेना चाहते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विकल्प ढूंढिए। वहां प्रजातांत्रिक सरकार का गठन कीजिए। बिहार को चुनाव नहीं चाहिए चाहे आप सरकार बना लीजिए, चाहे हमारी तरफ की सरकार बनने दें, चाहे उसमें हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हों या राम विलास जी हों कोई हर्ज नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया, अब अपना भाषण समाप्त कीजिये। मैंने अगले वक्ता को बोलने के लिए उनका नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

सभापति महोदय: कृपया अब बात पूरी कीजिये। हमें इस बहस को समय पर पूरा करना है।

श्री निखिल कुमार चौधरी: महोदय, मैंने अधिक समय नहीं लिया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने आपको आवंटित समय से अधिक समय दिया है। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिये।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी: बिहार को बनाने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* बिहार में एम्स की तरह का जो अस्पताल खुलना था, उसका क्या हुआ? आपकी सरकार वहां क्यों नहीं बन रही है? आज सारे बिहार के मरीज लोग एम.पीज के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उन्हें रहने की जगह नहीं मिल रही है। वे किस दुर्दशा में हैं? हम बिहार को बनाना चाहते हैं। हम सब बिहार को बनाने के लिए मिल कर राष्ट्रपति शासन को अल्पकाल के लिए जारी रखते हुए फिर प्रजातांत्रिक सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े।

श्री राम कृपाल यादव जी की आवाज के सामने मेरी आवाज दब जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ हूं। आप और हम मिलकर बिहार की खुशहाली के लिए काम करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री भर्तृहरि महताब, यदि आप स्वयं को बिहार में राष्ट्रपति शासन तक ही सीमित रखें तो बेहतर होगा क्योंकि सभा में इसी पर चर्चा हो रही है। चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य वहां पर राष्ट्रपति शासन ही है, असंगत मामलों पर चर्चा नहीं होगी।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, माननीय गृह मंत्री को अपराह्न 3.30 बजे तक अपना उत्तर देना है। अत: मैं मुझे दिये गए समय तक ही सीमित रहूंगा। मुझे बताया गया है कि मैं इस विषय पर बोलने वाला अन्तिम वक्ता हूं।

बिहार केवल बिहार में रहने वाले लोगों के लिए ही चिन्ता का विषय नहीं है। इस समय, दलीय विचारधारा और

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री भर्तृहरि महताब]

राज्यवाद से ऊपर उठकर बहुत से सदस्य अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत दिनांक 7 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा की गई घोषणा पर उठी इस बहस में भाग ले रहे हैं। विगत 57 वर्षों में इस बात पर काफी चर्चा हो चुकी है कि क्या अनुच्छेद 356 को रखा जाए या नहीं। अनुच्छेद 356 को बनाए रखना 1977 में भी चर्चा का प्रश्न था और यहां तक 1980 में भी इस पर पुनः चर्चा हुई क्योंकि इस अनुच्छेद का दुरुपयोग हुआ था। राजग सरकार के पिछले 6 वर्ष के शासनकाल के दौरान, अनुच्छेद 356 को बनाए रखने पर चर्चा की जा रही थी। कतिपय राजनैतिक दलों, जो इस सभा में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, को इस पर घोर आपत्ति है। उनका कहना है कि इसे हटाया जाए। हमारा दल इस विचार से सहमत नहीं है जबकि हमारा दल एक क्षेत्रीय दल है। उड़ीसा अनुच्छेद 356 का कई बार शिकार हुआ है। मुझे द्रमुक या राजद या अकाली दल या फिर तेलगू देशम का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ हद तक बहुत से क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों ने अनुच्छेद 356 को लागू करने के संबंध में आपत्ति दर्ज की है। लेकिन मेरा विचार है कि इसे संविधान में बनाए रखना चाहिए और इसे अन्तिम उपाय के रूप में ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

बिहार के महामहिम राज्यपाल का जो पत्र महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया था, उसमें भी कतिपय उद्धाहरण और कुछ आंकड़े भी दिये गए है। मुझे विश्वास है कि श्री नीतीश कुमार मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि प्रथम पृष्ठ पर राजद के गठबंधन को दर्शाया गया है। यहां, यह उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दस विधायक हैं तथा भाकपा को भी उसमें शामिल किया गया है, हालांकि, इसे कोष्ठक में इस तरह दर्शाया गया है 'समर्थन पत्र प्राप्त नहीं हुआ'। योग 92 बनता है। इस पत्र के दूसरे पृष्ठ में राजग गठबंधन को दर्शाया गया है जिसमें जद(यू) और भाजपा शामिल हैं, जिनका योग 92 है। ये आंकड़े क्यों दिये गए हैं? यह सही नहीं है। हमें इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। निःसंदेह, यह वही पत्र है जो महामहिम राज्यपाल द्वारा भेजा गया है। कांग्रेस ने नौ सीटें जीती हैं और एक विधायक जो निर्दलीय के रूप में निर्वाचित हुआ है वह चिन्ह प्राप्त नहीं कर सका था। यह कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण है। वह चुनाव के दौरान चिन्ह प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए, तकनीकी रूप से, वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है। लेकिन, इसमें यह बताया गया है कि कांग्रेस के दस सदस्य हैं जबकि वह तकनीकी रूप से कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है। भाकपा ने लिखित समर्थन पत्र नहीं दिया है। लेकिन राजद और इसके गठबंधन की संख्या तब भी 92 दर्शाई गई है।

अब मैं अपने दूसरे मुद्दे पर आता हूं। मैं राजग का हिस्सा हूं। राजग प्रसन्न है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राजग इसलिए भी प्रसन्न है क्योंकि राजद का शासन समाप्त हो गया है। मैं सोचता हूं कि यह इस बात को व्यक्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। लेकिन राजग भी इस स्थिति से अप्रसन्न है क्योंकि बिहार में अब अप्रत्यक्ष रूप से यू.पी.ए. का शासन है। राजद भी इस स्थिति से अप्रसन्न है। मुझे इसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे बहुत से सदस्यों ने पहले ही विस्तार से बताया है। मुझे विश्वास है कि जब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन है राजद की ही चलेगी।

यहां मैं पटना स्थित एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा. प्रहलाद पी. घोष का मत उद्घृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा:-

> "यदि राष्ट्रपति शासन थोड़े समय के लिए लगाया जाता है, तो यह बिहार के लिए इसलिए अच्छा होगा कि इससे राजनैतिक प्रक्रिया को स्थिरता मिलेगी।"

"लेकिन क्या कोई बिहार में राजनैतिक प्रक्रिया को स्थिर होने देना चाहेगा?" उन्होंने भी यह आशंका व्यक्त की है कि यह प्रक्रिया दीर्घकालिक होगी। मैंने बहुत से माननीय सदस्यों की बात ध्यान से सुनी है। बहुत से माननीय सदस्यों ने यही आशंका व्यक्त की है। यह राष्ट्रपति शासन कब तक जारी रहेगा? क्या यह छः सप्ताह, दो माह या छः माह तक जारी रहेगा? क्या यह छः माह के बाद पुनः लागू किया जायेगा तथा फिर नये चुनाव हों, जैसा कि इससे पूर्व बहुत से अन्य राज्यों के मामले में हुआ है? यहां मेरा डर यू.पी.ए. सरकार की मंशा को लेकर है। राज्यपाल महोदय ने बार-बार उल्लेख किया है कि उन्होंने क्यों राष्ट्रपति शासन की सिफारिश का निर्णय लिया है।

अपराह्न 3.28 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

मेरा सुझाव यह है कि इस देश में और बहुत से अन्य देशों में जहां बहुदलीय पद्धति विद्यमान है, वहां अल्पमत दलों को भी तब तक सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए जब खण्डित जनादेश हो। निःसंदेह, हमें सदैव लोकप्रिय सरकार

के लिए ही प्रयास करना चाहिए। जैसा कि यहां एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि 1989 में जब कोई राजनैतिक दल या गठबंधन बहुमत में नहीं था, केन्द्र में एक अल्पमत सरकार का गठन हुआ था।

बिहार में चुनाव सरकार बनाने के लिए हुए थे। चुनाव राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए नहीं कराए गए थे। यदि कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता, तो एक अल्पमत सरकार बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सर्वप्रथम वरीयता सबसे बड़े चुनावपूर्व गठबंधन को दी जानी चाहिए। दूसरी वरीयता सबसे बड़े राजनैतिक दल को दी जानी चाहिए। यह सब प्रावधान पहले से है। विगत दस-पन्द्रह वर्षों के दौरान इस देश में राजनैतिक प्रक्रिया का ऐसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। अत: मेरा मत है कि जो राजनैतिक शून्यता को भरना चाहते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि वे अपना प्राधिकार निर्वाचित सरकार की भांति अनिश्चित काल के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति शासन अपक्षपातपूर्ण नहीं होगा। मैं सदैव एक निर्वाचित सरकार को वरीयता दूंगा चाहे वह थोड़े दिनों के लिए ही चले।

[हिन्दी]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): महोतरम शुक्रिया, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक जम्हूरियत में, रियासत में इलैक्शन हो जाने के बाद, अवाम अपना फैसला जम्हूरी अंदाज में जब दे चुकी, उसके बाद आज इस ऐवान की रियासत के सदरराज को नाफिज करे की करादाद को पेश करना जम्हूरियत के लिए मैं समजता हूं कि निहायत ही तशवीशनाक बात है। खास तौर पर तमाम को मुहासबा करना पड़ेगा कि क्या हम वाकई में बिहार की अवाम के फैसले के पाबंद हैं, उसे ऑनर कर रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं अभी हमारे फाजिल दोस्तों की तकारिर को सुन रहा था, जितना ज्यादा बिहार को बदनाम एन.डी.ए. के लोगों ने किया और किसी ने नहीं किया है। क्योंकि बिहार के इलैक्शन में हमें जाने का मौका मिला है। लालू प्रसाद जी या आर.जे.डी. के बुलावे पर हम नहीं गये, बल्कि हिंदुस्तान के 14 करोड़ मुसलमानों की तड़प थी, एक आवाज थी कि बिहार में एक सेक्युलर गवर्नमैन्ट बने और उस सेक्युलर गवर्नमैन्ट की कयादत आर.जे.डी. करे। आज जिस करादाद को पेश किया है, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के हजारों-करोड़ों मुसलमानों में गुस्सा है, गम है कि एक जमात को, जो 75 सीटें जीत कर आई है, उसे मदु नहीं किया, दावत नहीं दी गयी। इसकी कई नजीरें हैं, कई मिसालें हैं कि सबसे बड़ी जमात हो, उसे मौका दिया जाना चाहिए था और फ्लोर ऑफ दि असैम्बली के बीच मौका दिया जाना चाहिए। जिस तरह से जे.डी.यू. के काईद को मौका दिया गया था, लेकिन वह अपनी मैज्योरिटी प्रूव नहीं कर सके। आज वही मौका आर.जे.डी. को मिलना चाहिए था।

मगर मोहतरम एक बात खुलकर सामने आ गई कि बिहार का जो इलैक्शन था, इसमें हमें मुहासबा करना पड़ेगा। खास तौर से मैं चाहूंगा कि हमारे वजीरे दाखिला जब जवाब दें तो वह हमें इन तमाम बातों पर एनलाइटन करे कि जिस तरीके से बिहार में इलैक्शन हुआ, खास तौर से मुस्लिम अक्लियतों के इलाकों में, हजारों की तादाद में बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स को रख दिया गया, एक मुनज्जम के तहत, एक साजिश के तहत अक्लियतों के वोटिंग तनासुब को गिराया गया, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बिहार जाकर आया हूं। मैंने देखा है कि पोलिंग के वक्त तो नहीं था, लेकिन पोलिंग से पहले जो खौफ का माहौल बनाया गया, इस ऐवान को सोचना पड़ेगा कि अगर इस ऐवान का एक मुंतखिबशुदा नुमाइंदा अगर अपने इलाके में नहीं जा सकता तो क्या यह जम्हूरियत है? जो लोक सभा का इलैक्शन जीत कर आता है, उसे कहते हैं कि आप इस इलाके में नहीं जा सकते। मैं चाहूंगा कि हमारे वजीरे दाखिला इस पर भी नजर सानी करें, अपने जवाब में बतलायें।

मोहतरम, आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि यहां पर सवाल यह नहीं है कि बिहार में कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। मुस्लिम क्या चाहते हैं कि उनके जान और माल का ताहफुज हो, मसाजिद का तहाफुज हो। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार एक वाहिद रियासत है, उत्तर प्रदेश भी एक रियासत है, जहां मुसलमानों का बैकवर्ड क्लास और दलितों से इत्तेहाद कायम हुआ। दिलों को जोड़ने का काम लालू प्रसाद ने नहीं किया। पचास साल की तारीख में हमें बताइये कि हजारों की तादाद में कत्लेआम हुआ, किसका नुकसान हुआ, किसका घर जला, किसकी मस्जिद शहीद की गई। इस शख्स में बुराइयां होंगी, गलतियां होंगी, मगर इस शख्स ने कही भी कम्युनलिज्म पर या इसकी जमात से कम्प्रोमाइज हरगिज नहीं किया।

मोहतरम, 90 की दहाई में जब एक फिरकापरस्ती की लहर सारे मुल्क में दौड़ रही थी, तब कौन था, जिसने रथ यात्रा को रोका - यही शख्स था। उसमें बुराइयां होंगी, कमजोरियां होंगी, मगर सेक्युलरिज्म को मजबूत किसने किया, वह काम

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

आर.जे.डी. ने किया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी मुसलमान के चीफ मिनिस्टर बन जाने से मुसलमानों के बुनियादी मसाइल हल नहीं होते। आज हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रोजगार हमें सही तरीके से मिले, वह काम बिहार में हुआ है कि वहां मुसलमानों को बाअख्तियार किया गया, उन्हें ताकत दी गई। सियासी तौर पर वे जीत कर आये, उसकी मिसाल हमारे सामने है। आज अगर हम चाहते हैं कि बिहार की सही तरक्की हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो गलती हो गई है, वह हो गई है। माजी में आर.जे.डी. को अक्सरियत साबित करने का मौका मिलेगा।

आखिर में इस बात को भी कहना चाहूंगा कि आज हमने बड़ी-बड़ी बातें यहां पर सुनी हैं। आज की तमाम तकारीर सुनकर और बिहार का इलैक्शन देखकर एक बात सामने आई कि हरेक की कोशिश थी कि आर.जे.डी. और लालू को नीचा दिखाया जाए। मुझे वह बात याद आती है जब 1996 और 1998 में भी हमने ऐसी गलती बी.जे.पी. को दबाने के लिए की थी। उसका नतीजा क्या हुआ? मैं समझता हूं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और आर.जे.डी. को दबाया जा रहा है, इंशाअल्लाह-ओ-ताला, जब छः महीने बाद इलैक्शन होंगे तो यह शख्स 122 की मेजॉरिटी लेकर आएगा। यू.पी.ए. की भी मुहासबा करना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि यह चमन जो हजारों लाखों लोगों ने मिलकर जोड़ा है, खास तौर से हमारी यू.पी.ए. की चेयरमैन सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि यू.पी.ए. के चमन में तमाम फूलों को लगाकर एक जगह किया गया। हमें मुहासबा करना पड़ेगा। कायद तो वही है जो दूरंदेश हो, मुदब्बराना सलाइयत हो और वह माजी को देखे, मुस्तकबिल को देखे। अगर हम यहां पर गलती करेंगे तो जैसे एक शायर ने कहा है, लमहों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है।

मोहतरम, मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों को सामने आना चाहिए। ये चिलमन के पास बैठकर पर्दा करने का वक्त नहीं है। हमें आगे बढ़कर सैक्यूलर जमात को बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर सवाल अनानियत का आ चुका है कि मुझे यह शख्स पसंद नहीं है, इस शख्स का चेहरा मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ हुकूमत नहीं बनाना चाहता हूं। यहां पर शख्सियत का सवाल नहीं है, अनानियत का सवाल नहीं है। यहां पर सवाल यह है कि बिहार की अवाम को हुकूमत मिले। गवर्नर साहब छः महीने में अवाम का काम नहीं कर सकते। सियासतदान अवाम की नब्ज से वाकिफ होते हैं। यही कहते हुए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं अंतिम वक्ता को बुला रहा हूं- प्रो. रामदास।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, इस पर अवसर मुझे बोलने का मौका देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

एक व्यवहारिक और अनिवार्य उपाय के रूप में मैं पट्टाली मक्कल कटची की ओर से बिहार में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का समर्थन करता हूं। सैद्धांतिक रूप से मैं राष्ट्रपति शासन लगाने और भारत में कहीं भी धारा 356 का इस्तेमाल करने का समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि हमने राज्यपाल द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किए जाने की त्रासदी को देखा है जैसाकि धारा 356 का प्रयोग किए जाने पर होता है। तमिलनाडु में हमारे मुख्य सहयोगी दल द्रविड मुनेत्र कजगम को धारा 356 के प्रयोग का एक अपमानजनक अनुभव रहा है।

माननीय श्री रामविलास पासवान ने बड़े गौरव के साथ कहा है कि चुनाव से पहले उन्होंने जो कुछ कहा था वह सत्य साबित हुआ है। हम इसकी सराहना करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं कि वह एक राजनैतिक बुद्धिमत्ता और विवेक वाले व्यक्ति हैं जो इस बात की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं कि चुनाव के बाद क्या होगा। इस सीमा तक हम उन्हें बहुत श्रेय देते हैं। साथ ही मैं उन्हें स्मरण कराना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन, प्रजातन्त्र का विकल्प नहीं है। हम राष्ट्रपति शासन का समर्थन नहीं करते। राष्ट्रपति शासन वह विकल्प नहीं है जिसकी कल्पना डा. बी.आर. अम्बेडकर ने की थी जिनकी स्मृति यहां उपस्थित सभी राजनैतिज्ञों के मानस पटल में मौजूद है। अत: मैं यह महसूस करता हूं कि यथा शीघ्र राष्ट्रपति शासन हटाया जाए और हमें प्रजातान्त्रिक आधार पर कार्य करना चाहिए जिसके लिए लोगों ने हमें अपना मत दिया है।

हम सब जानते हैं कि बिहार की जनता ने धर्मनिरपेक्षता के लिए मतदान किया है। यह आर.जे.डी. के अथवा किसी अन्य के विरुद्ध मतदान नहीं है बल्कि वह धर्मनिरपेक्षता के लिए सकारात्मक मतदान है। अत: मैं माननीय रामविलास पासवान और श्री लालू जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने सभी मतभेदों को भूलकर एक साथ मिल जाएं और तत्काल बिहार में सरकार बनाएं ताकि वे जो सत्ता के लिए लालायित हो रहे हैं उन्हें शीघ्र बाहर का रास्ता दिखाया जा सके।

मैं भारत सरकार से भी शीघ्र राष्ट्रपति शासन समाप्त करने और सरकार बनाने के लिए स्थापित मानदंडों का प्रयोग करने का अनुरोध करता हूं। आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए और जब ऐसा संभव न हो तो हमें चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के सरकारिया आयोग के फार्मूले का प्रयोग करना चाहिए।

महोदय, हम सब यह जानते हैं कि आर.जे.डी. बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए, और उसे विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो हमें अन्य उपायों की तलाश करनी चाहिए। यह एक सवैधानिक प्रथा रही है। इस प्रथा की कभी अवहेलना नहीं की गई है, हालांकि संविधान में इस संबंध में विशेष तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 में इसका प्रावधान है जिसमें राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना अपेक्षित है। ब्रिटेन ने इस प्रथा का पालन किया है और हम उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरामन ने अपनी पुस्तक 'माई प्रेजिडेंशियल इयर्स' में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाना एक सर्वाधिक निष्पक्ष मानदंड है। एम.एन. वेंकटचलैया आयोग, जिसने भारतीय संविधान की समीक्षा की है, ने भी यह कहा है कि सरकार बनाने के लिए किसी स्वविवेक अथवा राज्यपाल को किसी प्रकार का निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए।

अत: महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर यथा समय अन्तर्राज्य परिषद की बैठक में चर्चा की जानी चाहिए और राज्यपाल को यथाशीघ्र इस निर्णय को रद्द करना चाहिए और एक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा है कि श्री लालू प्रसाद यादव को जनता ने सत्ता से हटाने के लिए मत दिया है। वे बिहार में मतदान के रुझानों के आंकड़े देख सकते हैं। सबको यह जानना चाहिए कि लोगों ने यह महसूस किया है कि अन्य के अतिरिक्त श्री लालू प्रसाद यादव बिहार में एक महत्वपूर्ण ताकत है। इस बार भी उन्हें कुल मतदान के 25.1 प्रतिशत वोट मिले हैं। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत? कुल हुए 46.5 प्रतिशत मतदान का 25.1 प्रतिशत भाग उनकी पार्टी को प्राप्त हुआ है। बिहार में मतदान का प्रतिशत 46.5 प्रतिशत रहा और उन्हें 25.1 प्रतिशत वोट मिले हैं। वर्ष 2000 में, 64.9 प्रतिशत कुल मतदान में से उनकी पार्टी को 33 प्रतिशत वोट मिले थे...*(व्यवधान)* मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। यदि आपके पास तथ्य हैं तो आप बताएं। किन्तु आप केवल साम्प्रदायिकता और राम राज्य की बात कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

प्रो. एम. रामदास: मैं आपको बता सकता हूं कि प्रजातान्त्रिक रूप से श्री लालू प्रसाद यादव एक महत्वपूर्ण ताकत हैं।

सभापति महोदय: कृपया टीका-टिप्पणी न कीजिए।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, श्री लालूजी ने देश में दलितों को पहचान दी है। उन्होंने मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने बिहार में निर्धन लोगों को सम्मान दिया है। अत: महोदय, उन्हें और श्री रामविलास पासवान को हाथ मिला लेना चाहिए। उन्हें एक व्यावहारिक समझौता करना चाहिए। यू.पी.ए. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए और यथा शीघ्र बिहार में सरकार बनानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, हम बिहार में राष्ट्रपति शासन के विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 3.43 बजे

(तत्पश्चात् श्री रामकृपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, बिहार में चुनाव हुए और मैं समझता हूं कि सदन में बैठे हुए सारे सदस्य कहेंगे कि बिहार के चुनाव शांतिपूर्ण रूप से हुए हैं। अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो यह उनका अपना मत है। बिहार के चुनाव के लिए पहले एक सवाल पूछा गया, और गृह मंत्री से पूछा गया कि इतनी पुलिस वहां पर क्यों गई। बिहार की सरकार से चुनाव आयोग की तरफ से पूछा गया कि चुनावों के लिए बिहार सरकार क्या इंतजाम कर सकती है। बिहार सरकार ने चुनाव आयोग को बताया और चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को बताया कि उनको ज्यादा पुलिस की जरूरत है और ज्यादा पुलिस दी गई। पुलिस को कहां तैनात करना है, वह चुनाव आयोग तय करता है।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

वह होम मिनिस्ट्री नहीं करती है, यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है। चुनाव हुए और बदकिस्मती से वहां किसी भी पक्ष को बहुमत नहीं मिला।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

अपराह्न 3.45. बजे

उपाध्यक्ष महोदय, वहां ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि कोई एक पक्ष, दो पक्ष या तीन पक्ष, एक जगह आकर, मिलकर सरकार नहीं बना सके। इसके लिए हमें खेद है। चुनाव होने के बाद सरकार बननी चाहिए और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, उस सरकार को, अपना दायित्व निभाना चाहिए। मगर वहां ऐसी परिस्थिति बनी कि कोई भी सरकार, नहीं बन सकी। इस संबंध में राज्यपाल महोदय ने अपना निवेदन और अपनी रिपोर्ट यहां भेज दी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का एक हेतु और भी था और वह था कि 31 मार्च, 2005 तक उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था करना जरूरी है। यदि वह व्यवस्था वहां नहीं हुई, तो उसकी व्यवस्था यहां से करना जरूरी होता है। यदि वहां नहीं हुई और यहां से भी हम नहीं कर पाए, तो वहां आर्थिक कठिनाई पैदा हो सकती थी और सांवैधानिक संकट पैदा हो सकता था। इसीलिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मगर हम आश्वस्त हैं कि इसके बाद जो समय मिला और आगे मिलेगा, उस समय का, चुनकर आए हुए सारे प्रतिनिधि, उपयोग करेंगे और सब मिलकर वहां सरकार बनाने में मदद करेंगे। अगर ऐसा हो गया, तो हमें बड़ी खुशी होगी और राष्ट्रपति शासन वहां ज्यादा दिन तक चलाने की जरूरत महसूस नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): क्या आपके सहयोगी श्री लालू प्रसाद ने सभा से बहिर्गमन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, उन्होंने बहिर्गमन नहीं किया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी खुशी होगी कि चुने हुए सदस्य और सारे लोग वहां मिलें और जितनी जल्दी हो सके, सरकार बनाएं। जितनी जल्दी वहां सरकार बनेगी, हमें उतनी ज्यादा खुशी होगी। हम यहां खड़े होकर, वहां के चुने हुए सारे सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि चुनाव होने के बाद, अगर उनके द्वारा सरकार बन सके, वे मिलकर सरकार बना सकें, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती और वैसा करने का वे वहां प्रयास करें।

महोदय, यहां एक सवाल उठाया गया कि क्या वहां मायनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बनाई जा सकती। यह बात सही है कि मायनॉरिटी गवर्नमेंट बनी है और कुछ दिन तक चली भी है। कभी-कभी मैजौरिटी के साथ बनी गवर्नमेंट भी मैजौरिटी में नहीं रहतीं, मायनॉरिटी में आ जाती हैं, लेकन तब भी सरकारें चली हैं।

महोदय, बिहार में क्या परिस्थिति है, उसे हम आंकड़ों से देख सकते हैं। उसे अगर ध्यान में रखें, तो हम पाएंगे कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाने से बेहतर कोई दूसरी स्थिति नहीं हो सकती थी। वहां की राजनीतिक स्थिति को देखकर राज्यपाल महोदय को आभास हुआ कि वहां संख्या में बहुत अन्तर है और उस अन्तर की वजह से सरकार नहीं बन सकेगी और यदि बनेगी, तो चल नहीं सकेगी। इसलिए वह रास्ता नहीं अपनाया गया और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी गई। अगर यह अन्तर कम हो जाए, तो शायद सरकार बन जाए। इसलिए अन्तर कम होना जरूरी है। अगर अन्तर बहुत बड़ा रहे, तो वहां सरकार बनाने में सुविधा होगी या नहीं, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मगर अन्तर कम नहीं हो रहा है। अगर अन्तर उतना ही बना रहता है, तो उस पर हमें गहराई में जाकर सोचना जरूरी है।

वहां अब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। यहां बार-बार पूछा गया कि यह कितने दिन चलेगा। हम चाहते हैं कि वहां जितने कम दिन राष्ट्रपति शासन रहे, उतना अच्छा है। राष्ट्रपति शासन और कितने दिन वहां रहना है, इसका निर्णय बिहार में होना जरूरी है और चुन कर आए हुए लोगों के द्वारा होना जरूरी है। वही यह निर्णय दे सकते हैं कि कितनी जल्दी खत्म होगा या कितनी देर तक चलेगा। हम आशा, अपेक्षा और प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां से राष्ट्रपति शासन चला जाए, इस प्रकार की परिस्थिति वे वहां निर्मित करें। गवर्नर या

राज्यपाल के दायित्व के बारे में भी यहां अलग-अलग ढंग से चर्चा हुई। इस पर कल भी काफी चर्चा हुई थी और आज भी हुई है। गवर्नर या राज्यपाल जो होते हैं, उन्हें यह देखना जरूरी होता है कि चुनाव के बाद कौन स्थाई सरकार बना सकता है। उसे उन्हें आमंत्रित करना होता है और उसके बाद जो भी मुख्य मंत्री बन जाता है, उनके कहने पर वहां मंत्री बनाने पड़ते हैं। ये काम वे करते हैं, मगर किसे आमंत्रित करना है, इसके लिए उन्हें ही निर्णय लेना पड़ता है और उन्होंने निर्णय लिए। दूसरा काम राज्यपाल महोदय को यह देखना पड़ता है कि संवैधानिक पद्धति से राज्य का कार्य चल रहा है या नहीं। अगर संवैधानिक पद्धति से नहीं चल रहा है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ तो उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इसके लिए वे खुद भी निर्णय कर सकते हैं और यहां की सरकार से भी चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हमारे संविधान के आर्टीकल 356 में व्याख्या है।

गवर्नर और राज्यपाल का पद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर बहुत चर्चा हुई है। सबसे पहले कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में, संविधान बनाने वाली सभा में चर्चा हुई है और उसके बाद बार-बार यहां चर्चा हुई है कि जो गवर्नर है, ये केन्द्र की सरकार और प्रांत की सरकार को जोड़ने वाला लिंक है। अगर परिस्थिति बिगड़ने के बाद, उसे सुधारने के लिए कोई व्यवस्था करनी है तो उसकी दवा आर्टीकल 356 के अंडर की जा सकती है। खुशी की बात यह है कि इसके बारे में अलग-अलग समय पर अलग-अलग विचार लोगों ने प्रकट किए हैं, मगर इस सबके बावजूद, अंत में वे एक ही तथ्य एवं विचार तक पहुंचे हैं गवर्नर का पद और आर्टीकल 356 रहना चाहिए। इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि दूसरा कोई विकल्प हो सकता है। जो यह कहेगा कि यह नहीं होना चाहिए, मगर इस तथ्य तक वे पहुंचे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: क्या माननीय मंत्री महोदय केन्द्र की ओर से संबंधित राज्यपालों को दिशानिर्देश जारी करना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जबकि सदन में किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले और जब खंडित जनादेश आया हो तब ये दिशानिर्देश हैं जिनके अंतर्गत राज्यपाल कार्य कर सकते हैं? क्या केन्द्र इस प्रकार के दिशानिर्देश जारी कर सकता है?

माननीय मंत्री महोदय सभी राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ एक आम सहमति बना सकते हैं। दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक विस्तृत चर्चा से आम सहमति बनाई जा सकती है क्योंकि गत 57 वर्षों से यह देश इस विषय पर चर्चा कर रहा है और यही एक मुख्य कारण है कि राज्यपाल के पद को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरे विचार से इस मुद्दे पर संविधान में स्पष्ट किया गया है तथा अनेक मामले न्यायालय में ले जाए गए थे और न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। इसके अलावा आयोग का गठन किया गया था और आयोग ने भी अपने विचार स्पष्ट किए। इन सब पर विचार किया जा सकता है।

पहली बात तो यह है कि एक कानून बनाया जाए। परन्तु कानून से सारी खामियों और परेशानियों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। संहिताकरण और दिशानिर्देश सदा सहायक सिद्ध नहीं होते हैं। परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं।

मानव का स्वभाव भिन्न-भिन्न होता है। इसी प्रकार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कानून, दिशानिर्देश या संहिता ऐसे मामलों में वास्तव में सहायक नहीं हो सकते हैं। इसलिए, राज्यपाल से किसी विशेष परिस्थिति में कोई विशेष कदम उठाने के लिए कहने पर बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता नहीं है कि भविष्य में स्थिति क्या होगी और भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों की किस प्रकार व्याख्या की जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में संविधान का ही सहारा लिया जा सकता है। इस बारे में नियम हैं। इस संबंध में निर्णय दिए गए हैं। आयोगों की रिपोर्ट हैं। संभव है ये इन सब बातों पर ध्यान देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इन मामलों पर विधि विशेषज्ञों, कानूनविदों और इस बारे में विशेष ज्ञान रखने वालों से परामर्श करके निर्णय लेंगे। परन्तु किसी प्रकार का दिशानिर्देश देने से पहले हमें अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ेगी।

महोदय, इस चर्चा के उत्तर में मुझे लंबा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। सौभाग्यवश लगभग सभी सदस्यों का यह निष्कर्ष है कि परिस्थिति के अनुसार आवश्यक उपाय किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति शासन अधिक समय तक जारी नहीं रहना चाहिए। मैं इस सभा में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम राष्ट्रपति शासन ज्यादा दिनों तक लागू किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति शासन समाप्त हो और एक निर्वाचित सरकार सत्ता में आए। जितना जल्दी ऐसा होगा उतना ही अच्छा होगा। परन्तु हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि ऐसा न होने पर क्या उपाय किए जाएंगे। हम देखेंगे कि भविष्य में क्या स्थिति होती है।

लगभग सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: संविधान की धारा 195 के अन्तर्गत विधायकों को जो सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन संविधान की धारा 195 को भी निलंबित कर दिया गया है इसलिए मेरा आग्रह है कि आप उसे विथड्रा करने के बारे में कोई निर्णय कीजिए ताकि विधायकों को वेतन और अन्य सुविधाएं मिल सकें। यू.पी. में आपने सस्पेंड नहीं किया था। आपको इस बारे में भी कुछ कहना चाहिए और सलाहकारों की नियुक्ति के बारे में भी बोलना चाहिए कि आप कब तक सलाहकार नियुक्त करेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील: ये दो मुद्दे हैं, जिनके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं जरूर अपनी राय यहां पर प्रकट करूंगा। पहला मुद्दा यह है कि आपके बिहार में जो रूल्स हैं और आपने जो कानून बनाया है, उस कानून में और दूसरे प्रान्तों में जो कानून बनाये गये हैं, उनमें अन्तर है। कुछ प्रान्तों में जो कानून बना है, उसके अंतर्गत जब सदस्य चुनकर आते हैं तो उसी दिन से उनको सदस्य माना जाता है और उसी दिन से उनकी तनख्वाह और दूसरी जो सुविधाएं हैं, वे उनको दी जाती हैं। शपथ लेने का जो काम है, जैसे संसद में आकर काम करने के लिए शपथ लेने का प्रावधान है, वैसा ही दूसरे राज्यों में है, मगर बिहार में ऐसा हुआ है क्योंकि आपके बनाये हुए नियम और कानून के मुताबिक, वहां शपथ लेने के बाद ही विधायकों को उनकी तनख्वाह और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। इस कानून के होते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप अध्यादेश जारी करवा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: जैसा आप बोल रहे हैं कि आर्डिनेंस जारी करवा सकते हैं या नहीं, मगर दूसरी मुश्किल यह है कि जब सदन बैठा हुआ है तो हम आर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: धारा 195 को जब आपने गजट नोटिफिकेशन से सस्पेंड किया है, उसी तरह आप आर्डिनेंस भी जारी नहीं कर सकते, इसलिए आपको दो कदम उठाने होंगे - एक तो अपने प्रोक्लेमेशन से धारा 195 को आपने सस्पेंड किया है, एम.एल.एज. के लिए, उसे विथड्रा करना पड़ेगा और तब आपको वहां के कानून में परिवर्तन के लिए आर्डिनेंस के रूट को फॉलो करना पड़ेगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: जितनी भी उसकी लेजिस्लेटिव एथॉरिटी है, उसके बारे में इस सदन को जो एथॉरिटी है या एथॉरिटी है या नहीं है, यह तो हम देखेंगे। जैसा आपने कहा है, उसको भी हम देखेंगे, मगर इसमें कानूनी मुश्किल है। हमारी कोशिश यह है कि जितनी भी इसके अन्दर मदद कर सकें, वह हम जरूर करेंगे।

जहां तक एडवाइजर्स का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एडवाइजर्स कितने होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कौन होने चाहिए, उस प्रान्त के होने चाहिए या बाहर के होने चाहिए, ये सारी चीजें ऐसी हैं, जिनका सन्दर्भ ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आज वहां जो सरकार चलती है, वहां की जो परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उनकी मदद से सरकार चलती है और गवर्नर उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

अगर हमने वहां किसी एक अधिकारी को आफिसर बना दिया तो आप कहेंगे यहां के हैं, वहां के हैं। अगर वहां का नहीं बनाया, तो बाहर से आने के बाद 5-6 महीने उनको समझाने में लग जाता है और राज्यपाल ऐसे हों, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा हो और वे चला सकते हैं और उनको लगता है कि हम चला सकेंगे। यह जरूरी भी नहीं है कि सभी केसों में एडवाइजर दें। जरूरी हुआ तो दे भी दें लेकिन यह एक कारण नहीं बनना चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): क्या कोई झगड़ा लालू जी और पासवान जी के बीच में है जिसकी वजह से एडवाइजर नहीं बना रहे है या आप सचमुच में इसकी जरूरत नहीं समझते हैं? अगर जरूरी नहीं समझते हैं तो तय कर दीजिए कि नहीं बनाना है।

श्री शिवराज वि. पाटील: हमारा हित यह है कि किसी की तरफ से भी झगड़ा पैदा न हो और जो भी जरूरी है उसके बारे में जरूर करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: यह आपको भी सूट नहीं करता है कि एडवाइजर मत रखिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: हमको वह परिस्थिति सूट करती है जिसमें आप झगड़ा न करें। आप झगड़ा करते हैं, वह परिस्थिति हमको सूट नहीं करती है।

श्री नीतीश कुमार: वह टोटल कांग्रेस रूल हो जाएगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: नहीं-नहीं, पूरा कांग्रेस रूल क्या है? यहां अगर हम लोग बैठे हुए हैं और एक महीने के अंदर यह घटना हुई है। एक महीने के अंदर आपको ध्यान में होगा। आप जैसे सदस्यों के ध्यान में जरूर आएगा कांग्रेस या विपक्ष को ध्यान में रख कर कोई निर्णय नहीं लिया गया है हमारी कोशिश क्या सही है, यह करने की रही है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: न केवल सदस्य परन्तु मंत्रियों ने भी सदन से बहिर्गमन किया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): आर.जे.डी. ने अपने सदस्यों सहित वाकआऊट किया है। यह रिकार्ड में जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: यह सदन झगड़ा करने के लिए नहीं है। यह झगड़ा समाप्त करने के लिए है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सुनने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, हम इसे दर्ज कराना चाहते हैं कि यह संयुक्त जबावदेही की जो प्रणाली है वह यू.पी.ए. में कोलेप्स कर चुकी है। कलैक्टिव रिसपांसिबीलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। यह दर्ज होना चाहिए। यह सरकार कितनी रिस्पोंसिबल है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं मंत्रियों ने वाकआऊट नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अगर गृह मंत्री जी को इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देना हो तो सदन को दे दें, अन्यथा ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि संयुक्त सरकार में एक प्रिंसिपल पार्टनर जो रहे हैं, वे सदन में नहीं रहें, जिस समय इतना महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है और उस प्रांत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वह दल कम से कम इस राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था के खिलाफ है। आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहें तो दीजिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

मुझे याद नहीं कि अब तक के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह अपेक्षा कर रहा था कि हमारी उम्र के लोग इस बात को समझेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: अगर ऐसा नहीं कि कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलटी का नियम कोलेप्स कर गया है, तो एक भी आर.जे.डी. के कैबिनेट मंत्री को ले आइए तब हम समझेंगे कि ऐसा नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: पहले सदस्य बोलें कि हम विरोध करते हैं और यह कहकर वाकआउट करके चले गए।

[अनुवाद]

अब स्थिति यह है। नेता समर्थकों के पीछे चल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आडवाणी जी बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: गृह मंत्री जी मूल प्रश्न से हट रहे हैं। कलैक्टिव रिस्पोंसिबिल्टी के बारे में बताइये।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: इस पर मैं बहुत ही संक्षेप में उत्तर दूंगा। मेरा कहना है...*(व्यवधान)* मेरा उत्तर यह है कि हमारे सहयोगी दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्वाचित सरकार का वहां गठन किया जाना चाहिए। यदि बिहार में निर्वाचित लोगों द्वारा सरकार नहीं बनती है तो यह स्वाभाविक है कि वहां के लोगों की ऐसी इच्छा हो। परन्तु उन्हें पता है इस संबंध में क्या किया जा रहा है और इस बारे में क्या कहा जा रहा है। यदि कुछ लोग यह समझते हैं कि इस सरकार के सहयोगी दलों में इस मुद्दे पर दरार पड़ रही है तो वे गलत समझ रहे हैं।

यदि वे ऐसा कहते है या ऐसी परेशानी पैदा करना चाहते हैं तो यह इस सदन की सदस्यता की गरीमा के अनुरूप नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सदन में आम राय स्थापित होनी चाहिए न कि मतभेद।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: मंत्री जी मूल प्रश्न से हट रहे हैं। यहां जो कलैक्टिव रिस्पोंसीबिलिटी कोलैप्स कर गई है, उसके बारे में बताएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सदस्य बिहार से हैं। मेरे विचार से इनके द्वारा ऐसा कहा जाना बिलकुल सही है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इसे निर्वाचित सदस्य के लिए अशोभनीय नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि इस बात को कहने का और कोई अन्य तरीका नहीं है।

इस पूरे सदन में किसी ने भी विरोध नहीं किया है। यदि इस बारे में विरोध होता, यदि हमारी पार्टी राष्ट्रपति शासन का विरोध करती तो हम मतविभाजन के लिए जोर देते। इसका मतलब यह होता कि ऐसा करने से आर.जे.डी. के ऐसे समस्त सदस्य सरकार के निर्णय के पक्ष में नहीं हैं परन्तु इस मत विभाजन की मांग नहीं कर रहे हैं। यह ध्वनि मत से पारित हो जाएगा और यह सर्वसम्मति से होगा। अत: हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अत: श्री नीतीश कुमार द्वारा यह इंगित किया जाना बिल्कुल सही था। मैं यह सब सिर्फ आपको स्पष्ट करने का अवसर देने के लिए बोल रहा हूं परन्तु स्पष्टीकरण देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मंत्रिमंडल की बैठक से जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया गया था। उनके मंत्री अनुपस्थित रहे। और आज जब संसद में आपके द्वारा प्रस्तुत संकल्प को स्वीकार किया जा रहा है तो वे सभी सदन में अनुपस्थित हैं। यह क्या दर्शाता है? यह नीतीश कुमार द्वारा व्यक्त की गई राय को दर्शाता है। यह सामूहिक जिम्मेदारी की भावना के विरुद्ध है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: हमें सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ जानना होगा। यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का अन्य द्वारा विरोध नहीं किया जाता है तो इसे सामूहिक जिम्मेदारी कहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: परन्तु वे अनुपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उन्होंने विरोध किया है और बहिष्कार किया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उनकी स्थिति यह है कि अपोज करते हुए भी सरकार नहीं छोड़ना चाहते, सरकार में बने रहना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है।

[अनुवाद]

इसको कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए इसमें कोई हर्ज नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: उनका प्रयास यह है कि कुछ लोग हमारी सरकार को धक्का देना चाहते हैं और वे उन्हें मदद नहीं करना चाहते। लेकिन उनके मन का जो दुख है, वह दुख प्रकट हो सकता है। साथ ही वे कलैक्टिव रिस्पौंसीबिलिटी के मायने अच्छी तरह से जानते हैं और उसका पालन कर रहे हैं। हम उनकी भावनाओं को समझते हैं और आपकी भावनाओं को भी समझ सकते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नीतीश जी, आपका प्वाइंट आ गया।

श्री नीतीश कुमार: कपिल सिब्बल जी वकालत के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मेरा नाम पीठासीन अधिकारी द्वारा पुकारा गया है। पीठासीन अधिकारी ने मुझे बोलने की अनुमति दी है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय नेता के कथन से थोड़ा निराश हूं। मैं यह जानता हूं कि यादें थोड़े समय के लिए होती हैं, लेकिन विपक्ष के माननीय नेता को याद होगा कि जब ये सत्ता में थे, तो बहुतसे कैबिनेट मंत्री कैबिनेट की बहुत-सी बैठकों से अनुपस्थित रहते थे। वास्तव में, यह संसदीय लोकतंत्र की खासियत का सबूत है कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो विपक्ष सरकार का समर्थन करता है; तथा हमारे मौलिक लोकतंत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी विचारधारा है लेकिन ये अपनी इन भावनाओं को सरेआम व्यक्त नहीं करते हैं।...*(व्यवधान)* आपको संसदीय लोकतंत्र की इसी खासियत को सुदृढ़ करना चाहिए न कि इसके विरोध में खड़े होकर नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए। मुझे यह खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस सभा में इस तरह का निरादर नहीं होना चाहिए...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: दो-तीन और मंत्रियों को आकर स्पष्ट करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: ये कमाल के वकील हैं।...*(व्यवधान)* इनके कानूनी ज्ञान से हम इनलाइटन हुए, लेकिन ये कलैक्टिव रिस्पौंसीबिलिटी की परिभाषा बता दें। कपिल सिब्बल जी को मना किया गया कि मत खड़े होइए। कैबिनेट मीटिंग से स्टे अवे करना अलग बात है, लेकिन यहां कलैक्टिव रिस्पौंसीबिलिटी का जो नमूना दिखाई पड़ा है, उसे सारा देश देख रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं इसके उत्तर में कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से यही लोकतंत्र की खासियत रही है। तब भी जब आप इस बयान से पूर्णत: सहमत नहीं होते, यदि बहुमत यही चाहता है, तो यही किया जाता है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा बिहार के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत दिनांक 7 मार्च, 2005 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.10 बजे

बिहार बजट 2005-2006 - सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (बिहार) 2005-2006

और

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (बिहार) 2004-2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 5 से 7 को एक साथ लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तंभ 1 में बिहार राज्य से संबंधित मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33 और 35 से 52 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां बिहार राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगें (बिहार)

संख्या और मांग का नाम		सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
01.	कृषि विभाग	1,00,98,37,942	–
02.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	37,91,28,547	–
03.	भवन निर्माण एवं आवास विभाग	41,89,85,412	53,99,18,363
04.	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	3,00,17,783	–
06.	निर्वाचन	12,94,64,583	–
07.	निगरानी	3,14,70,725	–

1	2	3	4
08.	नागरिक विमानन विभाग	2,08,67,310	41,66,667
09.	सहकारिता विभाग	15,25,15,896	5,19,71,667
10.	ऊर्जा विभाग	4,33,86,536	5,11,71,35,125
11.	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	7,16,75,916	–
12.	वित्त विभाग	1,94,75,86,636	4,62,96,042
15.	पेंशन	11,43,97,11,255	–
16.	राष्ट्रीय बचत	1,11,32,333	–
17.	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	12,27,58,918	2,08,33,333
18.	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	30,52,46,844	–
19.	पर्यावरण एवं वन विभाग	22,85,11,918	33,33,333
20.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3,33,16,50,255	4,16,66,667
21.	उच्च शिक्षा विभाग	2,54,30,10,518	–
22.	गृह विभाग	5,43,76,09,074	30,07,61,667
23.	उद्योग विभाग	14,31,28,413	4,36,41,250
24.	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	5,41,75,377	–
25.	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	90,02,925	–
26.	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	66,41,51,482	–
27.	विधि विभाग	73,09,01,795	–
29.	खनन एवं भूतत्व विभाग	3,41,37,672	–
30.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	91,26,730	1,46,95,833
31.	संसदीय कार्य विभाग	28,13,575	–
32.	विधान मंडल	15,53,59,413	–
33.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	7,30,77,650	4,16,66,667
35.	योजना एवं विकास विभाग	6,36,806,278	–
36.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	59,22,04,000	78,31,12,083
37.	राजभाषा विभाग	6,35,93,407	–
38.	निबंधन विभाग	10,94,16,233	–

1	2	3	4
39.	आपदा प्रबंधन विभाग	63,81,62,415	–
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1,06,64,49,418	1,32,29,167
41.	पथ निर्माण विभाग	1,13,43,77,682	2,28,40,83,333
42.	ग्रामीण विकास विभाग	4,76,80,31,986	1,99,04,67,917
43.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	9,35,61,500	45,83,333
44.	माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क, शिक्षा विभाग	15,94,81,46,575	38,32,917
45.	ईख विभाग	4,72,64,779	2,35,000
46.	पर्यटन विभाग	1,52,03,925	2,60,41,667
47.	परिवहन विभाग	3,74,88,258	4,16,667
48.	नगर विकास विभाग	51,43,21,783	6,84,02,917
49.	जल संसाधन विभाग	1,12,01,96,667	3,63,76,66,667
50.	लघु सिंचाई विभाग	1,19,13,66,292	29,57,43,375
51.	कल्याण विभाग	3,10,23,93,193	22,02,083
52.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	9,33,78,418	46,25,000
	योग	60,70,28,06,239	15,34,07,28,738

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तंभ में बिहार राज्य से संबंधित मांग संख्या 1 से 4, 9, 10, 12, 18, 20 से 24, 26, 27, 30, 33, 36 से 46 और 48 से 52 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां बिहार राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की पूरक मांगें (बिहार)

संख्या और मांग का नाम		सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
01	कृषि विभाग	32,79,700	–
02.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	3,92,220	–

1	2	3	4
03.	भवन निर्माण एवं आवास विभाग	5,00,00,000	1,02,35,580
04.	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	1,50,000	–
09.	सहकारिता विभाग	105,55,00,000	–
10.	ऊर्जा विभाग	4,43,818	112,36,46,010
12.	वित्त विभाग	75,000	–
18.	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	12,87,66,989	14,26,000
20.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3,56,49,570	13,38,07,000
21.	उच्च शिक्षा विभाग	59,26,932	–
22.	गृह विभाग	51,65,20,992	–
23.	उद्योग विभाग	3,72,00,000	9,11,92,417
24.	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	1,50,40,000	–
26.	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	63,58,35,935	–
27.	विधि विभाग	45,43,738	–
30.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4,00,000	–
33.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	2,21,54,900	12,50,00,000
36.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	71,00,000	5,32,70,000
37.	राजभाषा विभाग	64,98,808	–
38.	निबंधन विभाग	2,94,633	–
39.	आपदा प्रबंधन विभाग	10,00,00,000	–
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	3,73,10,358	–
41.	पथ निर्माण विभाग	15,47,673	66,92,16,000
42.	ग्रामीण विकास विभाग	95,09,42,091	2,69,15,000
43.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	13,87,92,188	1,00,00,000
44.	माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	82,32,10,000	–
45.	ईख विभाग	1,27,62,100	–
46.	पर्यटन विभाग	1,76,24,000	6,97,49,000
48.	नगर विकास विभाग	70,46,12,000	–

1	2	3	4
49.	जल संसाधन विभाग	5,00,06,769	5,00,00,000
50.	लघु सिंचाई विभाग	2,73,28,800	–
51.	कल्याण विभाग	23,85,57,757	5,00,00,000
52.	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	29,80,441	–
	योग	563,14,47,412	241,44,57,007

उपाध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (नालंदा): मैं दस मिनट में ही अपनी बात पूरी कर दूंगा।...*(व्यवधान)* यदि माननीय मंत्री कोई आश्वासन देते हैं, तो मैं इससे भी कम समय में अपनी बात पूरी कर सकता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में चूंकि राष्ट्रपति शासन लागू है, इसलिए विधान सभा की भूमिका लोक सभा को निभानी पड़ रही है। बिहार की आर्थिक स्थिति चिंतनीय है इसलिए उसमें सुधार लाना आवश्यक है। बिहार का जब पुनर्गठन हुआ, तो झारखंड का उदय हुआ। जब बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ, उस समय जो कानून बना, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसकी क्षतिपूर्ति के लिए विशेष प्रबन्ध किये जायेंगे। उस समय तीन राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तीन राज्यों–उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड का उदय हुआ था। बाकी दो पुनर्गठन विधेयकों में यह प्रावधान नहीं था, लेकिन बिहार पुनर्गठन विधेयक में इस बात का प्रावधान किया गया था कि बिहार की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, उसे सहायता देने के लिए, विशेष तौर पर व्यवस्था की जायेगी और इसके लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की देख-रेख में एक सेल बनेगा,. जो इस बात का निर्णय लेगा कि बिहार को और कितनी सहायता देनी है। उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग की गयी थी। बिहार के जितने सांसद थे, उन सबने मिलकर प्रधान मंत्री जी को 28, नवम्बर, 2000 को एक ज्ञापन दिया था।

[अनुवाद]

बिहार के विभाजन के पश्चात् इसके लिए आर्थिक पैकेज हेतु बिहार के संसद सदस्यों द्वारा माननीय प्रधान मंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

[हिन्दी]

यह ज्ञापन दिया गया था। कानून में भी व्यवस्था थी। हम लोगों ने इसका ज्ञापन दिया था। इसे बिहार के सभी दल के सांसदों ने मिलकर तैयार किया था। इसके बाद उस समय की सरकार ने कुछ निर्णय लिये। उन निर्णयों के आधार पर बिहार के लिए विशेष सहायता एन.डी.ए. सरकार ने देनी प्रारम्भ की। राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत यह तय किया गया कि एक हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दसवीं योजना में इस प्रकार सहायता प्रदान की जायेगी, यानी कुल मिलाकर चार साल के लिए चार हजार करोड़ रुपये दिये जायेंगे। जब यह प्रश्न पिछली लोक सभा में उठा था तो सदस्यों की मांग पर प्रधान मंत्री ने 17 दिसम्बर, 2003 को उसका उत्तर दिया था। उन्होंने बताया था कि इस प्रकार मदद दी जायेगी और इसके लिए एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया, जिसमें प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत 10वीं योजना के दौरान 2531.35 करोड़ रुपये लागत की अनेक परियोजनाओं का कार्यान्वयन हेतु चयन किया गया। इसमें 10 लाख सतही ट्यूबवैल्स कार्यक्रम, बिहार में सबट्रांसमीशन सिस्टम का सुदृढ़ीकरण, बिहार में राज्य राजमार्गों का विकास, पूर्वी गंडक नहर का पुनरुद्धार, बागवानी का विकास, एकीकृत वन प्रबंधन, एकीकृत जलाशय विकास, आदि इस प्रकार कुल सात अलग किस्म की स्कीमें बनीं और 2531.35 करोड़ रुपये का राशि स्वीकृत हुई।

यह उस समय की सरकार का निर्णय था जिसकी घोषणा की गई और यह ऐलान हुआ था कि 4 साल में 4000 करोड़

[श्री नीतीश कुमार]

रुपया मिलेगा। इसके बाद वह सरकार चली गई और नयी यू.पी.ए. की सरकार आ गई। यू.पी.ए. की सरकार ने अपना नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया जिसका बार-बार वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया। उसमें जिक्र आया कि बिहार को हम पैकेज देंगे। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ, उसमें इस बात का जिक्र हुआ कि बिहार को हम पैकेज देंगे। वित्त मंत्री जी का सन् 2004-05 के लिए जो भाषण हुआ, उसमें इस बात का जिक्र हुआ कि हम बिहार के लिए पैकेज दे रहे हैं। पिछली बार जब पैकेज का ऐलान किया तो उसके अगले ही दिन हम लोगों ने सवाल पूछा था कि यह एन.डी.ए. की सरकार ने जो घोषणा की है, उसी को आपने दोहराया है या अतिरिक्त पैकेज दिया है। वित्त मंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। दे भी नहीं सकते थे क्योंकि वही चीजें थीं जिनका निर्णय लिया जा चुका था और काम भी प्रारम्भ हो चुका था। इसकी वह सिर्फ घोषणा कर रहे थे और अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि सरकार बदली और बिहार को पैकेज मिल गया जबकि मिला कुछ नहीं है। जो पहले से मिला था, वही जारी है, अतिरिक्त एक पैसा नहीं मिला है। लेकिन फिर भी घोषणाएं होती रही हैं। इस बार के भी बजट में, अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री जी ने कहा कि:-

[अनुवाद]

> "राष्ट्रीय सम विकास योजना (एन.सी.एम.पी.) में बिहार, जम्मू और कश्मीर तथा पर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का उल्लेख है। अभी तक, बिहार को राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के माध्यम से विशेष सहायता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) के अन्तर्गत परिवर्तन व्यवस्थाएं वर्ष 2006-07 तक जारी रहेंगी। इस बीच, बिहार के पिछड़े जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से सहायता प्राप्त होने लगेगी। मैं यह भी बता दूं कि बिहार की जरूरतों को देखते हुए, बारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2005-10 की अवधि हेतु 7975 करोड़ रुपये की बड़ी अनुदान राशि स्वीकृत की है। बिहार के उन कुछ राज्यों में भी पहचान की गई है जिन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों हेतु विशेष अनुदान की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

यह उन्होंने कहा। पिछली बार भी इन्होंने घोषणा की थी। लेकिन इन्होंने इम्पलीमेंटेशन ऑफ बजट एनाउंसमेंट 2004-05 प्रस्तुत किया है, उसमें उस पुस्तिका के 18 पेज पर इन्होंने कहा है:-

[अनुवाद]

> "विद्युत, मार्ग संयोजन, सिंचाई, बागवानी, वानिकी और जलग्रहण क्षेत्रों का विकास जैसे क्षेत्रों में सुधार लाने हेतु शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए बिहार हेतु विशेष योजना बनाई गई थी। वास्तविक उपभोग की शर्त पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। जहां तक संभव होगा, परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय अभिकरण शामिल होंगे। दसवीं योजना के दौरान 2531.35 करोड़ रुपये की सात परियोजनाओं की कार्यान्वयन हेतु पहचान की गयी है। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु 621.56 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।"

[हिन्दी]

हम लोगों ने पिछली बार कहा था। एक पैसा नया नहीं है। जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया, उसी का इन्होंने दोबारा ऐलान किया और यही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तत्कालीन प्रधान मंत्री जी का संसद में दिया हुआ वक्तव्य है। ठीक उसी का इन्होंने अपने इम्पलीमेंटेशन ऑफ बजट एनाउंसमेंट 2004-05 में रिपीटीशन पेज 18 पर किया है। कोई नयी बात नहीं है। एक नया पैसा इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने चर्चा कर दी है, निर्णय ले लिया है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना को अब बंद करें। इन्होंने यहां यह कहा तो है कि ट्रांजीशन अरेंजमेंट किया जा रहा है। क्या ट्रांजीशन अरेंजमेंट होगा? राष्ट्रीय सम विकास योजना में जो स्थिति 2003 में थी, वही स्थिति आज 2005 में है। 2531 करोड़ रुपये के अलावा वादे के मुताबिक बाकी भी 1500 करोड़ रुपया बचा हुआ है। उसके लिए क्यों नहीं योजना बनाई गई है और उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया गया है? आपने नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ऐलान कर दिया और राष्ट्रपति जी के मुंह से कहलवा दिया और लगातार दो बार अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख आपने कर दिया लेकिन जो योजनाएं 2003 में स्वीकृत की गईं, उसके अलावा एक नयी योजना आपने स्वीकृत नहीं की। उसकी कुछ राशि रिलीज हुई है जो पहले से ही रिलीज हुई है।

651 करोड़ रुपये के करीब वह राशि रिलीज हुई है। उसके बाद राष्ट्रीय सम विकास योजना खत्म होने जा रही है। आपने कहा कि ट्रांजीशन अरेंजमेंट करेंगे। क्या ट्रांजीशन अरेंजमेंट आप करने जा रहे हैं? फिर आपने अपने बजट भाषण में कह दिया कि बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से बिहार को मदद मिलेगी।

क्या यह बिहार के लिए अलग से मदद है? बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड पूरे देश के लिए है। पूरे देश भर के सेलेक्टेड जिलों में बिहार के भी कुछ जिले शामिल हैं। इसमें बिहार को अलग से क्या मिला है? यह एक देशव्यापी योजना है, फिर कहां से बिहार का पैकेज हो गया? इसलिए बैकवर्ड रीजन फण्ड तो जिलों के लिए है। राष्ट्रीय समविकास योजना के अन्तर्गत बिहार के प्लान बनाने की बात आपने की। आपके एक्सपेंडिचर बजट को हमने देखा है। इसके पेज सं. 45 पर 3,225 करोड़ रुपए के बजट का जिक्र किया गया था, जिसे रिवाइज्ड इस्टीमेट में घटाकर 1969 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। इसमें बिहार को कुछ भी नहीं मिला है।

आपने 12वें वित्त आयोग की बात कही है। उसे गठित हुए काफी समय हो गया है। यह संविधान की एक व्यवस्था है, जो राज्यों के बीच सेन्ट्रल टैक्सेज का वितरण करने के लिए गठित किया जाता है। इसकी सिफारिशों में अन्य राज्यों की तरह, बिहार को भी केंद्रीय करों का हिस्सा दिया गया है। 12वें वित्त आयोग के सामने बिहार की सभी पार्टियों की ओर से जो मेमोरैण्डम दिया गया था, उसे आप देख लीजिए। यह बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिस पर सांसदों, विधायकों ने हस्ताक्षर किए थे। 12वें वित्त आयोग ने पांच साल में 7,900 करोड़ रुपए, अर्थात् 1,595 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से बिहार को दिए जाने की संस्तुति की थी। यह संवैधानिक व्यवस्था है कि वित्त आयोग जो संस्तुति करता है, उसे कैबिनेट को एप्रूव करना होता है और सरकार को स्वीकार करना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें आपका क्या योगदान है?

महोदय, पिछले दो साल से सुनने में आ रहा है कि बिहार को पैकेज देंगे और यह प्रचार किया गया कि एन.डी.ए. सरकार ने नहीं दिया। ठीक है, हम लोगों ने जो दिया था, उसके अतिरिक्त एक पैसे का भी इंतजाम आप करवाइए। आप क्या ट्रांजिशनल अरेंजमेंट करने जा रहे हैं? आप राष्ट्रीय सम-विकास योजना बंद करने जा रहे हैं, और उसी के अन्तर्गत बिहार के लिए कुछ मेजर आइडेण्टीफाइड स्कीम्स थीं, 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जबकि धन रिलीज हुआ है मात्र 651 करोड़ रुपए। हमारे शेष 1500 करोड़ रुपए पहले से ही पड़े हुए हैं। वे 1,500 करोड़ रुपए कहां गए? आप बैठे हुए हैं, कोई नयी योजना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहां इतनी बुरी हालत है कि सड़कों की हालत खराब है, स्कूल नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है।

महोदय, मैं एक उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। हाल ही में कोलकाता की कई संस्थाओं - स्कूल ऑफ इनवायरनमेंट स्टडीज, जादवपुर युनिवर्सिटी, कलकत्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन ऑफ कलकत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ न्युरोलॉजी, मैडिकल कॉलेज, कलकत्ता - के विशेषज्ञों ने बिहार के भोजपुर जिले के सेमरिया ओझा पट्टी गांव में जाकर जल स्रोतों के नमूनों और लोगों के स्वास्थ्य का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि वहां पानी पीने के योग्य नहीं है। वहां पाए जाने वाला 81.6 प्रतिशत जल पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है। वही पानी पीने के योग्य होता है जिसमें आर्सेनिक की मात्रा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से कम हो, लेकिन वहां से जो सैम्पल इकट्ठा किए गए, उनमें से 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक आर्सेनिक वाले 8.4 प्रतिशत सैम्पल, 10 से 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर आर्सेनिक वाले सैम्पल, 24.7 प्रतिशत और 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर आर्सेनिक वाले सैम्पल, 56.8 प्रतिशत और 300 माइक्रोग्राम प्रति लीटर आर्सेनिक वाले सैम्पल 19.9 प्रतिशत पाए गए। इससे स्पष्ट है कि वहां जल में बड़ी मात्रा में आर्सेनिक विद्यमान है। इसके चलते वहां लोगों को तरह-तरह के चर्म रोग हो रहे हैं, चकत्ते पड़ रहे हैं। वहां बहुत बुरी हालत है।

जबकि वह इलाका गंगा की बगल में बसा हुआ है, तब यह हालत है। पूरे बिहार में पेयजल का संकट है। राष्ट्रीय सम विकास योजना में पैसा बचा हुआ है। जो वादा आपने किया है, वह पैसा भी बचा हुआ है। यह जो अध्ययन हुआ, इसको दुनिया भर की मैगजींस ने छापा। यहां के इलैक्ट्रॉनिक चैनल्स ने भी इस बात को दिखाया। इतनी बड़ी समस्या है पेयजल की, यदि कुछ गांवों का अध्ययन हुआ। वित्त मंत्री जी आपका शासन है, मेरी मांग है कि एक विशेष योजना तैयार करके बिहार के सम्पूर्ण भूगर्भ जल का अध्ययन कराएं। अध्ययन कराने के बाद उस पर एक मिशन मोड में काम शुरू होना चाहिए कि क्यों आर्सेनिक इतनी मात्रा में पाया जा रहा है, वह भी गंगा बेसिन

[श्री नीतीश कुमार]

के पास पाया जा रहा है। कहां से यह आर्सेनिक पानी में आ रहा है, इसका पता लगाना चाहिए। इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए और मिशन मोड में काम होना चाहिए। उसके बाद इसकी रोकथाम का उपाय होना चाहिए। जो चर्म रोग के शिकार हो गए हैं, कुछ दिन के बाद उन्हें कुष्ठ रोग हो सकता है। कुष्ठ रोग के उन्मूलन की बात आप करते हैं। लेकिन नए प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं, उनके उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए रोगों के रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए।

बिहार में कुछ लोगों ने स्वयं इसका अध्ययन किया है, इसके बाद भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं मांग करता हूं कि बिहार का 1500 करोड़ रुपया आपने वचन के हिसाब से बचा हुआ है, आप वह पैसा निकालें, योजनाएं बनाएं, पूरा अध्ययन करें, ताकि लोगों को प्रदूषित जल न मिले। लोग समझ रहे हैं कि हम प्रदूषित जल नहीं पी रहे हैं। वे लोग नीचे से ट्यूबवैल के द्वारा और अन्य स्रोतों के द्वारा पानी निकाल कर पी रहे हैं। इसलिए जो पैसा बचा हुआ है, उसकी स्कीम क्यों नहीं फार्मूलेट हो रही है, यह देखना चाहिए। आप राष्ट्रीय सम विकास योजना बंद करने वाले हैं। ट्रांजेशन अरेंजमेंट क्या है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट, इन दोनों के उद्देश्य नहीं मिलते हैं। वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। अब आपके हाथ में सब कुछ है। इसलिए वहां की स्थिति में, आर्थिक स्थिति में सुधार लाएं।

मैं जब सुबह के सत्र में अपनी बात कह रहा था तो एक केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि चिदम्बरम साहब से बात हो गई है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, सब इंतजाम हो गया है। तो हम चिदम्बरम साहब से जानना चाहते हैं कि क्या पैसे का इंतजाम हो गया है? जो आपने वचन दिया है, उसका आपके बजट में इंतजाम नहीं है। बिहार सरकार की तरफ से जो बजट प्रस्ताव आया है, उसमें आपने जो इंतजाम किया है, वह रिफलेक्ट नहीं हो रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं। आपने अपने बजट में राइडर लगा दिया है, सब्जेक्ट टू यूटिलाइजेशन, वहां के बजट में वह रिफलेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस्तेमाल नहीं होगा, वह पैसा डूब जाएगा और आप विदड्रा कर लेंगे। जो पैकेज देने का निर्णय हुआ है, लगता है वह हवा में धरा का धरा रह जाएगा। हम इस पर वित्त मंत्री जी से प्रतिक्रिया चाहेंगे और आग्रह करेंगे कि वह ठोक कदम उठाएं।

बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन लगता है वित्त मंत्री जी परेशान हो रहे हैं। हम उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते हैं। हम एक बात का जिक्र करना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पत्र की एक प्रति आपको दे दूंगा, वैसे आपके कार्यालय में भी होगी। कोई भी कागज कहीं नहीं जाता है, वह वहीं रहता है। यह मेमोरंडम है, जो हम लोगों ने प्रधान मंत्री जी को नवम्बर, 2000 में सब्मिट किया था। इसमें पैकेज देने की बात है। बिहार की स्थिति तभी सुधर सकती है, जब उसकी मदद की जाए। बिहार की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। हम सभी दलों के सांसदों ने यह पत्र प्रधान मंत्री जी को दिया था। इसे आप ठीक से देखें। इसके अलावा बिहार के सभी दलों के सांसदों ने एक मेमोरंडम वित्त आयोग को दिया था, उसको भी देखें। आपकी जानकारी के लिए मैं प्रधान मंत्री जी को समर्पित ज्ञापन से उद्धृत करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

> "...बिहार की आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्त्रोतों की भारी कमी को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की ऋण संबंधी देयताओं का बकाया माफ कर दे जैसा कि बहुत से अन्य राज्यों, जिन्होंने इसी तरह के या इससे भी कम दर्जे के वित्तीय संकट का सामना किया, के संबंध में भिन्न-भिन्न समय पर किया गया है।"

[हिन्दी]

> यह जब तक नहीं करेंगे, और कोई उपाय नहीं है।

[अनुवाद]

> "वास्तव में, बिहार के विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा देना होगा और तदनुसार इसे वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। झारखंड के एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के पश्चात् बिहार के पास कोई औद्योगिक इकाइयां नहीं रह गई हैं। नई उद्योग स्थापित करने हेतु बिहार में उद्यमियों को लाने के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के उद्देश्य से बिहार को आयकर, केन्द्रीय उत्पाद और केन्द्रीय बिक्री कर में विशेष छूट देनी होगी। केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों में नई औद्योगिक इकाइयों हेतु दस वर्ष की अवधि के लिए इन करों में पूरी छूट का प्रावधान किया है। बिहार में बिल्कुल ही कम औद्योगिक इकाइयों के रह जाने से उसी तरह की सुविधाएं बिहार को दी जानी होंगी।"

[हिन्दी]

यह हम लोगों द्वारा दिए मैमोरेंडम का एक हिस्सा हमने उद्धृत किया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बिहार का विकास नहीं हो सकता है। हम राजनैतिक कारणों से एक-दूसरे पर आरोप लगाएं, लेकिन मूल समस्या बिहार की यह है कि बिहार की उपेक्षा जमाने से होती रही है। उपेक्षा दूर करने का आज आपको अवसर मिला है, आपके हाथ में आज सब कुछ है, आप उपेक्षा दूर करिये। आप ही वित्त मंत्री देश के हैं और बिहार के भी हैं। एक कलम से उपेक्षा दूर कर दीजिए। ये सारी छूट वहां दीजिए। लोन्स को राइट-ऑफ कीजिए। बिहार का निर्माण नये सिरे से शुरू कीजिए। जो पैकेज एन.डी.ए. की सरकार ने दिया, जिसे आपने भी दोहराया, वह पैकेज सही मायनों में बिहार को मिले, हम यही चाहेंगे। अगर यह नहीं मिलता है तो बिहार के साथ अन्याय होगा। फिर आप पीठ न थपथपाएं कि कचरा साफ करने के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। आज हम इस चर्चा के माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे कि बिहार में रिसोर्सेज की कमी के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो तय किया गया, उससे बहुत कम खर्च हुआ। कुल 13 हजार रुपये खर्च होने थे लेकिन खर्च हुए केवल 5 हजार करोड़ रुपये नौंवीं योजना में साढ़े, अठारह हजार करोड़ रुपये खर्च होने थे लेकिन केवल 8 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हुए। दसवीं योजना के अभी तीन साल बीते हैं लेकिन उसमें भी खर्च का यही प्रतिशत चल रहा है। इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा और माननीय वित्त मंत्री जी, आप बीमारी का इलाज कर सकते हैं। घोषणा मत करिये कि बिहार को हम देने वाले हैं, घोषणा करते हैं तो सचमुच दीजिए, बिहार का बच्चा-बच्चा आपका ऋणी रहेगा। बिहार का शासन आपके हाथ में है तो वहां की वित्तीय समस्याओं के निराकरण के लिए आप ठोस कदम उठाएं और जो मुद्दे हमने उठाए हैं उनके स्पष्ट उत्तर हम माननीय वित्त मंत्री जी से चाहेंगे।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): उपाध्यक्ष जी, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू है और वहां का बजट लोक सभा में डिस्कस हो रहा है। इससे पहले कि मैं बजट के बारे में कुछ टिप्पणी करूं, यह कहना मैं जरूरी समझता हूं कि बिहार की जो वित्तीय स्थिति है वह चिंताजनक है। यह पुराना इतिहास है और जिस ज्ञापन का जिक्र माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे थे, जो बिहार से सांसदों ने 12वें वित्त आयोग को दिया है, उसमें से कुछ उद्धृत करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से केन्द्र सरकार बिहार के प्रति सौतेला व्यवहार करती है। जो बिहार का स्टेट सीडी है, उसका पर-कैपिटा इन्कम कम इसलिए है कि वहां इन्वैस्टमेंट बहुत कम होती रही है। पहले प्लॉन में स्टेट का पर-कैपिटा एक्सपैंडिचर कुल 25 रुपये और सेंटर का असिस्टेंस पर-कैपिटा 14 रुपये यानि 11 रुपये कम था। जबकि राष्ट्रीय औसत 33 रुपये था। सातवें प्लॉन में यह ट्रेंड जारी रहा और पर-कैपिटा प्लॉन एक्सपैंडिचर जो स्टेट का और ऑल इंडिया का था वह क्रमशः 33 रुपये और 1976 रुपये था। जबकि पर-कैपिटा सेंट्रल असिस्टेंस इसी अवधि में स्टेट और ऑल इंडिया के लिए क्रमशः 340 रुपये और 375 रुपये था। सातवें प्लॉन में पर-कैपिटा प्लॉन बिहार का आउट-ले 653 रुपये था जबकि इसी अवधि में पंजाब और हरियाणा के लिए क्रमशः 1775 रुपये और 1779 रुपये था। इसी तरह से सेंट्रल असिस्टेंस बिहार के लिए जितना होनी चाहिए थी, उससे बहुत कम रही है। उसका असर यह हुआ कि बिहार में पर-कैपिटा इन्कम 3707 रुपये प्रतिवर्ष यानि 10 रुपये प्रतिदिन है। जबकि पूरे भारतवर्ष का 13 हजार रुपए है। उस दिन हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि वह चाहते हैं कि भारत की वित्तीय स्थिति में सुधार आए, कम से कम 2019-2020 तक 10 परसैंट वार्षिक ग्रोथ रेट होनी चाहिए। वहां तक पहुंचने के लिए अब से 15 साल तक लगातार तकरीबन 15 परसैंट का वार्षिक ग्रोथ रेट होना चाहिए। इसके मुताबिक बिहार में वह अब से लेकर 2019-2020 तक कम से कम 20 परसैंट होना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि यह मुमकिन नहीं है। इसकी रिअलिस्टिक फीगर्स क्या होनी चाहिए? ये फीगर्स वही होनी चाहिए, जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने पूरे भारतवर्ष के लिए 10 परसैंट ग्रोथ रेट की बात कही है। अब से लेकर अगले 15 साल तक अगर बिहार की वार्षिक ग्रोथ रेट 10 परसैंट हुई तो उसके लिए बिहार में वार्षिक इनवैस्टमैंट 25 हजार करोड़ रुपए होनी चाहिए। हर वर्ष 25 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार, या बिहार सरकार, या यहां के उद्योगपतियों को, या जैसे भी हो, बिहार में लगाने होंगे, तब जाकर बिहार 2019-2020 तक राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने की उम्मीद कर सकता है। यह वहां की स्थिति है। वहां की स्थिति बहुत खराब और दयनीय है। मैंने जिन आंकड़ों का जिक्र किया, उससे स्पष्ट है कि बिहार की स्थिति दयनीय है और इसे सुधारने के लिए कुछ असाधारण कदम उठाने की जरूरत है। बिहार का इस वर्ष का बजट करीब 25 हजार 400 कुछ करोड़ रुपए का है। पिछले साल के बजट से 17 परसैंट का इसमें इजाफा है। 17 परसैंट के

[श्री निखिल कुमार]

इजाफे से बिहार का विकास नहीं होगा लेकिन अब बजट बन गया और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस चर्चा में चुनिन्दा नुक्तों के ऊपर अपनी बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि वहां की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार है, यानी पुलिस, उसके लिए कितना प्रावधान है? पुलिस के प्रावधान के लिए सबसे जरूरी बात यह देखनी है कि उसका मनोबल कैसा है? मनोबल ऊंचा या नीचा तब हो सकता है, जब पुलिस के रैंक्स इस बात से आश्वस्त हों कि सरकार उनके लिए चिंतित है, उसका ख्याल रखना चाहती है, उसके कल्याण और भलाई के लिए कुछ करना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज पर पुलिस वाले ध्यान देते हैं, वह घर है। इस समय बिहार पुलिस की लैवल ऑफ सैटिसफैक्शन जो घरों की है, वह 15 परसैंट से भी कम है, यानी अखिल भारतीय औसत से कहीं कम है। अखिल भारतीय स्तर करीब 22 परसैंट है और बिहार की 15 परसैंट से नीचे है, 14.2 परसैंट है - मैं 15 परसैंट कह रहा हूं। इसे बढ़ाना निहायत जरूरी है। इसके लिए बजट में उचित और उपयुक्त प्रावधान होना चाहिए।

मैंने देखा है कि मॉडर्नाइजेशन के हैड में हाउसिंग के लिए कुल 72 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इतने ही पिछले साल दिए गए थे और उतने ही पैसों का प्रावधान इस साल है। इससे काम नहीं होगा। हालांकि, पिछले साल 72 करोड़ रुपए पूरे खर्च नहीं हुए। उनका पूरा व्यय नहीं हो सका और हाउसिंग लैवल की सैटिसफैक्शन नहीं बढ़ी।

मेरी अपील है कि इस साल जो हो चुका, सो हो चुका, लेकिन बिहार सरकार के बजट में जो 72 करोड़ रुपए का प्रावधान है, इसे बढ़ा कर कुछ भारत सरकार अपनी तरफ से अनुदान करे यानी मैचिंग तो न करें, लेकिन 15 परसैंट करती है तो उससे बहुत फायदा होगा। इससे बिहार पुलिस के रैंक्स को यह अनुभूति होगी कि उसका कोई ख्याल रखा जा रहा है इसलिए हाउसिंग के लिए मैं चाहता हूं कि इसमें इजाफा हो। यह इजाफा भारत सरकार की तरफ से हो।

वहां पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग जहां भी चले जाएं, मात्र कुछ बड़े शहरों को छोड़ कर, खास तौर पर गांवों में पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। उनके पुनर्निर्माण की नितान्त आवश्यकता है। इसके लिए संयोगवश बिहार सरकार से जो बजट आया है, उसमें ज्यादा प्रावधान नहीं है। मैं फिर से वित्त मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस पर ध्यान दें। अगर पुलिस फोर्स का मनोबल घटता या बढ़ता है तो उसका बहुत बड़ा इंडीकेटर पुलिस स्टेशन बिल्डिंग है। पुलिस स्टेशन बिल्डिंग नहीं होगा तो पुलिस वाले काम नहीं करेंगे। अगर भारत सरकार के वित्त मंत्री मुनासिब समझें तो उनके लिए अनुदान की कृपा करें। वे कितना करते हैं मैं यह नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी तरफ से मांग करता हूं 1000 करोड़ रुपए बिहार को दिया जाए जिसमें पुलिस बिल्डिंग्स हों और आवास का इंतजाम हो। यह पर्याप्त तो नहीं होगा परंतु शुरुआत हो सकती है।

सिंचाई के बारे में कहने से पहले मैं कहूंगा कि बिहार एक अजीब - सा प्रदेश है जहां हर वर्ष बाढ़ आती है। जब बाढ़ के बाद पानी घटने लगता है तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी जमा रहता है। वहां पर पानी के जमावड़े का इलाका तकरीबन साढ़े नौ से दस लाख हेक्टेयर है। यह पानी हटता नहीं है। कम से कम छः से सात महीने वहीं जमा रहता है यानि जहां पर तीन फसलें होनी चाहिए वहां पर दो फसलें भी नहीं हो पाती। अगर दो फसलें भी नहीं होती हैं तो इसका क्या असर वहां के आम आदमी पर होगा, आप सोच सकते हैं। यह जरूरी है कि जहां पर पानी का जमावड़ा है यानि वाटर लॉग है, उसे निकालने का, उसी ड्रेनेज का इंतजाम किया जाए। मैंने नोटिस किया है इसमें 40 परसेंट का इजाफा हुआ है। बजट के प्रावधान में 817 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1142 करोड़ रुपए किया गया है। लेकिन यह पर्याप्त तब होगा जब हम आश्वस्त हो जाएं कि जिन इलाकों में पानी का जमावड़ा है, वहां से हम ड्रेनेज कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। जिस तरीके से 42 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है जिसमें से 2.4 लाख हेक्टेयर तीन-साढ़े तीन साल में जाकर खाली होगा, यह गति ठीक नहीं है। इसमें जो वित्तीय प्रावधान है वह भी कम है। जो भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय है, उसने इस पर काफी ध्यान दिया है, मुझे मालूम है। मेरी मंत्री जी से भी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि इस पर ध्यान देंगे। मैं अपील करता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत सरकार ध्यान दे और पानी के जमावड़े के कारण खास तौर से उत्तरी बिहार में डेढ़ फसलें नहीं हो पाती है, उस जमावड़े को हटाए। यह तभी मुमकिन है जब इस प्रावधान को बढ़ाया जाए। मुझे बताया गया है कि इस समय वर्तमान वित्तीय वर्ष का प्रावधान है कुल 42 करोड़ रुपए, जिसमें से अगर सारा खर्चा हो गया तो भी तीन साल में इलाका क्लियर होगा। इस तरह से तीन साल में ढाई लाख हेक्टेयर इलाका साफ होना, यह ठीक नहीं है, यह असंतोषजनक है। इसको बढ़ाया जाए और कम से कम इसे तिगुना किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार: सात लाख हेक्टेयर इलाके में पानी भरा हुआ है, इसे क्लियर करने के लिए नाबार्ड को पैसे चाहिए। इस वर्ष नाबार्ड को दो सौ करोड़ रुपए की स्कीम दे दी गई। नाबार्ड कहता है कि वह 42 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगा पर 42 करोड़ रुपए से उपयुक्त काम नहीं होगा, उपयुक्त परिणाम नहीं निकलेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस सारे इलाके में जो वाटर लॉगिंग है, जहां पर पानी जमा हुआ है, उसे निकाला जाए। जब तक इसके लिए ड्रेनेज नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। इसी के साथ हर वर्ष हम सुनते हैं और एक ही राग अलापते हैं कि उत्तर बिहार में पानी आ गया, बाढ़ आ गई। बाढ़ कहां से आती है? बाढ़ आती है उन नदियों से जो नेपाल से आती हैं। नेपाल की मुख्य नदियां हैं - कोसी, गंडक, बागमती, कमला आदि। आज से 30-35 साल पहले कोसी पर कोसी हाई कैनाल बनाने का प्रावधान हुआ था और कोसी वैस्ट कैनाल निकाली गई थी। कोसी वैस्ट कैनाल 35 किलोमीटर का काम नेपाल में हो चुका है उसके बाद थोड़ा काम बिहार में हुआ यानि भारत में। बाकी कोई काम नहीं हुआ, इस्टर्न कैनाल का काम नहीं हुआ है। इस काम को करना बहुत जरूरी है। अगर काम नहीं होगा तो सारी कोसी बैल्ट में हर साल लोग यही अलापते रहेंगे कि बाढ़ आ गई और सारा इलाका जल-प्लावित हो गया। इसलिये वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि उन्हें इस कार्य के लिये वित्तीय प्रावधान अभी से करना चाहिये। नेपाल सरकार से बात करनी होगी उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। मैं जानता हूं कि अगर कोशिश की जाये तो वे जरूर मान जायेंगे। सन् 1996 में पंचेश्वर डैम बनाने के लिए एक ट्रीटी नेपाल से हुई थी। यह एक हाइडल प्रोजैक्ट के लिए है। इस डैम से हमें बिजली मिलनी थी। वह काम अब रुका हुआ है। शायद भारत और नेपाल सरकार के बीच सहमति नहीं हुई है। यह डैम अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम बनना है, इस पर सहमति हो जानी चाहिये थी। मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता लेकिन मुझे पता चला है कि यह डैम डाउनस्ट्रीम बनेगा। यह काम पूरा होना चाहिये और इसके लिये वित्तीय प्रावधान आवश्यक है। पंचेश्वर से बिहार का कोई संबंध नहीं लेकिन बिजली बिहार को मिल सकेगी। इसलिये हम इस कार्य के लिये इंटरैस्टेड हैं। वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इसके लिये मुनासिब वित्तीय सहायता दी जाये। इसके अलावा कमला, बागमती, गंडक, कोसी नदियों से बाढ़ आती है।

अपराह्न 4.47 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

सभापति जी, मैं आपके इलाके की बात कर रहा हूं। जो बांध वहां बनना है, उसके लिये भारत का नेपाल सरकार के साथ समझौता जरूरी है। इससे बिजली मिलेगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आसन का कोई इलाका नहीं होता है। आप अपनी बात जल्दी समाप्त करिये।

श्री निखिल कुमार: मैं बिहार की नहीं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। इस मसले पर समझौता होना जरूरी है और भारत सरकार को भरसक कोशिश करनी चाहिये।

सभापति जी, मैं अंत में पॉवर के बारे में बात करूंगा। बिहार की डिमांड 1500 मेगावाट है, यह कहां से आयेगी? बिहार में बरौनी, कांटी, बारून, कहलगांव में पॉवर प्रोजैक्ट्स हैं। इनसे 1500 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो सकती। आज सिर्फ बरौनी प्लांट ही काम कर रहा है और उसकी क्षमता पूरी नहीं है। लगभग 1000 मेगावाट बिजली बिहार को बाहर से मंगानी पड़ रही है। मेरा अनुरोध है कि कांटी, बारून और बरौना प्लांट पूरी क्षमता से चलने चाहिये। यह बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय: निखिल जी, आपको बोलते हुये 18 मिनट हो गये हैं। आप रूलिंग पार्टी से हैं। कृपया समाप्त करिये।

श्री निखिल कुमार: मेरा कहना था कि इन प्रोजैक्ट्स को फिर से शुरू करना चाहिये। यह कार्य तभी होगा यदि बिहार सरकार का एन.टी.पी.सी. से समझौता हो। इस कार्य में जितनी जल्दी हो सके, उतना अच्छा है। समझौता होने से पहले एक इम्पार्टेंट बात यह है कि औरंगाबाद के नबीनगर प्रोजैक्ट 8000 करोड़ रुपये का था जिसे जल्दी शुरू कर दिया जाये। शायद यूनियन कैबिनेट से उसे स्वीकृति नहीं मिली है। यदि यह स्वीकृति मिल जाय तो हम लोगों का कल्याण हो जायेगा लेकिन इसके लिये भारत सरकार जल्दी मुनासिब वित्तीय सहायता प्रदान करे।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति महोदय, आज संसद में बिहार के बारे में वोट ऑन एकाउंट लाना पड़ा है। विधान सभा चुनाव के बाद वहां सरकार नहीं बनी और राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार में फाइनेन्शियल क्राइसेज पैदा हो जाता। इसलिए मजबूरी में वोट ऑन एकाउंट लाना पड़ा है, जिस पर सदन में चर्चा हो रही है।

जब बिहार का विभाजन हुआ था, उस विभाजन में बिहार के सब इंडस्ट्रीज, स्टील प्लान्ट्स, खदानें, कोयला, अभ्रक, तांबा आदि सब झारखंड में चले गये और जो एक-दो इंडस्ट्रीज बिहार में रह गईं, वे भी बंद हो गईं - जैसे बरौनी में उर्वरक का एकमात्र कारखाना है। विभाजन के बाद हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर का जो उर्वरक कारखाना बरौनी में है, वह भी बंद हो गया। हम लोगों ने कोशिश की थी, उस समय हम प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहार वायपेयी जी से मिले थे और उनसे कहा था कि उर्वरक का कम से कम एक कारखाना बिहार में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वह भी बंद हो गया। बिहार के भारत वैगन्स कारखाने में कोशिश करके लालू जी ने उत्पादन शुरू करवाया, लेकिन वह भी बंदी के कगार पर पहुंच गया था।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): मुजफ्फरपुर का कारखाना भी चालू करवाया था।

श्री बसुदेव आचार्य: आपने मुजफ्फरपुर और मोकामा के कारखाने भी चालू कराये। हमने बोला कि आपने जो सुविधा भारत वैगन्स को दी है, वही सुविधा आप बर्न स्टैंडर्ड कं. लि. को भी दीजिए। वहां उत्पादन हो रहा है, वह बंगाल में है।

श्री लाल प्रसाद: आप कलकत्ता चले गये।

श्री बसुदेव आचार्य: उस समय बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देने का वायदा किया गया था। जब इसी बात को रघुवंश बाबू ने जोर देकर सदन में उठाया, तो हमें आश्वासन दिया गया और कहा गया कि वहां पंचायतों के चुनाव बहुत दिनों से नहीं हुए हैं। उसके बाद पंचायत के चुनाव भी हो गये, परन्तु पैसा नहीं मिला। जब पंचायत चुनाय नहीं हुए थे, तब भी राज्य का जो फंड का एनटाइटलमैन्ट था, उसे रघुवंश बाबू ने बहुत जोर से हाउस में उठाया था तथा संसद में उस पर कालिंग अटैन्शन और नियम 193 के तहत चर्चा भी हुई थी।

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसे जल्दी खत्म करिये, बिहार के पैसे का सवाल है।

श्री बसुदेव आचार्य: पैसे के लिए ही बोल रहे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): पैसे के सवाल पर ही बोल रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: हम बिहार के लिए बोल रहे हैं और आप नाराज हो रहे हैं। करीब आठ सौ, नौ सौ करोड़ रुपया बिहार का रिलीज नहीं किया। इतना पैसा बिहार राज्य को नहीं मिला।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: दसवें वित्त आयोग का पैसा था।

श्री बसदेव आचार्य: वह दसवें वित्त आयोग का पैसा था। उन्होंने कहा कि पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। उसके बाद पंचायत के चुनाय भी हो गये, लेकिन पैसा तब भी नहीं दिया। इस तरह का स्टैप मदरली एटीट्यूड पिछले दिनों बिहार के साथ हुआ है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): वह साढ़े चार सौ करोड़ रुपया था।

श्री बसुदेव आचार्य: साढ़े चार सौ करोड़ रुपया अपने हक का था, उसे भी रोक लिया। इस तरह का सौतेलापन बिहार के साथ होता रहा है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: एन.डी.ए. के लोगों ने कहा, झारखंड का चुनाव नहीं करवाया।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: 25 साल से वहां पंचायतों के चुनाव नहीं हुएं। 25 साल तक इनका राज था, लेकिन चुनाव नहीं हुए। चार साल से उनका राज था, तब भी चुनाव नहीं कराये गये। 25 साल से झारखंड...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आचार्य जी, आप विषय पर बोलिये।

श्री बसुदेव आचार्य: चुनाव भी हो गये, लेकिन बिहार को पैसा नहीं मिला। इस तरह का सौतेलापन बिहार के साथ शुरू से हुआ है। बिहार एक समय...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: जमींदारी के समय से होता आया है।

श्री बसुदेव आचार्य: जमींदारी एबोलिशन, जमींदारी व्यवस्था खत्म करने का कानून सबसे पहले बिहार में आया। वह चलता आ रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: बेनामी करके सब जमीन चुरा ली।

श्री बसुदेव आचार्य: सब जमीन चुरा ली, बेनामी नाम से रख ली। भूमि सुधार नहीं हुआ। इसी कारण बिहार में गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ रही है।

सभापति जी, सबसे ज्यादा माइग्रेशन आज बिहार से हो रहा है। आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा बिहार में है। आबादी दोगुनी हो गई है। माइग्रेशन इसलिए हो रहा है, क्योंकि रोजगार के जो भी साधन थे, इंडस्ट्री थीं, सैन्ट्रल पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज थे, वे सभी बंद कर दिये गये।...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र गए तो वहां से मारकर भगा दिया, गोहाटी गए तो वहां से भी मारकर भगा दिया।

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिए। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात कहनी है।

श्री बसुदेव आचार्य: इसलिए इस सदन में बार-बार जोरदार मांग उठ रही है कि बिहार के लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए, बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर को मिलाकर आठ राज्यों को टैक्स हॉलिडे मिला है, लेकिन उत्तरी बिहार को क्यों नहीं मिला? हर साल नॉर्थ बिहार में बाढ़ और सुखाड़ पड़ता है। नेपाल से जितनी भी नदियां आती हैं, वे हर साल बाढ़ लाती हैं, इसलिए बिहार को एक विशेष दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम आशा करेंगे कि संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा की सरकार राष्ट्रपति शासन के दौरान ही बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा, सिर्फ कागजों पर ही नहीं करेगी, बल्कि धनराशि का प्रावधान भी करेगी। बिहार की बहुत समस्याएं हैं। वहां 36 प्रतिशत गांवों में इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है। बिजली के उत्पादन में जो पीक डैफिसिट होता है, वह बहुत ज्यादा है।

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): कांटी में बंद है और बावली में भी बंद है।

श्री बसुदेव आचार्य: इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धनराशि की व्यवस्था केन्द्र सरकार की तरफ से होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: कुछ बंगाल से भी काटकर भेज दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: बंगाल में तो सरप्लस है। हम अभी भी दूसरे राज्यों को बिजली दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य बैठे-बैठे न बोलें। आचार्य जी, आप समाप्त कीजिए और टोका-टोकी में न फंसें।

श्री बसुदेव आचार्य: इसलिए हम चाहते हैं कि आप बिहार के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था करें। यही कहते हुए हम आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करते हैं।

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार - अनुपस्थित।

श्री रघुनाथ झा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य बैठे-बैठे न बोलें।

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के भूत, भविष्य और वर्तमान की स्थिति का बखान एक सही राजनेता के रूप में किया है।

इस बहस के जरिये, इस सदन के माननीय सदस्य भारत दर्शन करा रहे है और हम बिहार दर्शन कराना चाहते हैं। हम आपको संयुक्त बिहार की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारा बिहार जो आज से चार-पांच साल पहले एक था, उसे कैसे बांटा गया और किसने बांटा। जो हमारी सारी खनिज संपदा थी, कल-कारखाने थे, विद्युत थी, टैक्निकल एजुकेशन थी, वह सब बंट गई। वहीं शुरू में जमशेदजी टाट ने सबसे पहली स्टील फैक्ट्री लगाने का काम किया था।

अपराह्न 5.00 बजे

टाटा कम्पनी अलग-अलग तरह की सैंकड़ों चीजों का निर्माण करती है चाहे लारी हो, बस हो, बड़ी-बड़ी गाड़ियां हों, साबुन हो, तेल हो, आचार हो, पापड़ हो, चादर हो। आधुनिक भारत में जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और देश के लोगों ने मिल कर उसी इलाके में कारखाने लगाने का काम किया। बड़े-बड़े कारखाने जैसे बोकारो, डी.बी.सी., बी.सी.सी.एल., ई.सी.एल., बी.सी.एल., कोल इंडिया जिसको नाम दिया गया, सारे कल-कारखाने उसी इलाके में लगाए गए। दूसरा पार्ट हमारे मध्य बिहार का, गंगा के दक्षिण का इलाका, जो जमींदारों के शोषण के कारण से बड़े-बड़े भू-स्वामियों के शोषण के कारण पिछड़ा रहा। हमारे साथी कह रहे थे कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले बिहार में हुआ। यह बात हकीकत है, दूसरे लोगों के हाथों में जमीन और संपत्ति देने के लिए लेकिन लोगों को पूरा समय दिया गया था। तरह-तरह से लोगों के बीच में वितरण हुआ। बिहार की

[श्री रघुनाथ झा]

असेम्बली के रिकार्ड में है कि लोगों ने किस-किस नाम से कैसे-कैसे अपनी संपत्ति का वितरण किया। संपत्ति को जिन गरीबों को मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिली और यही कारण है कि पूरा भू-भाग आज नक्सलिज्म के दौर से गुजर रहा है। बेरोजगार नौजवानों ने हथियार उठाए और आज नक्सलवाद का सबसे अधिक प्रभाव उसी इलाके में है। तीसरा इलाका हमारा गंगा के उत्तर का इलाका है। जिसको उत्तरी बिहार कहते हैं। जहां जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। हमारी भूमि उपजाऊ है लेकिन वह जगह सर्वाधिक प्रतिवर्ष नेपाल से निकलने वाली नदियों से बरबाद होती रही है और ऐसे मौके पर मुझे श्री करपूरी ठाकुर की वह बात याद आती है जब श्री करपूरी ठाकुर असेम्बली में थे चाहे पक्ष में हों या विपक्ष में, चाहे सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में हों या विपक्ष के नेता या साधारण सदस्य के रूप में, वे कहते थे जब तक भारत सरकार नेपाल सरकार से वार्ता करके नेपाल की नदियों से होने वाले नुकसान की भरपाई नेपाल सरकार से नहीं करेगी और हाई डैम बनाकर नदियों को नियंत्रित नहीं करेगी तब तक इस प्रदेश यानि उत्तरी बिहार की बरबादी और बेरोजगारी नहीं मिटेगी।

महोदय, यह हमारा बिहार है और शुरू से बिहार का शोषण होता रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ले कर आज तक जितनी योजनाएं बनीं, बिहार की गरीबी का कारण बिहार की नदियों से होने वाली बरबादी तथा पंचवर्षीय योजना में उपेक्षा है। बिहार पर किसी भी केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 1952 से ले कर या यों कहिए 1947 से ले कर आज तक बिहार को चारागाह समझा गया और बिहार के राजनेताओं को लड़ाने की हमेशा केंद्र सरकार ने कोशिश की और यह कोशिश लगातार जारी है। जब डॉ. श्री कृष्ण सिंह सत्ता में थे उस समय भी श्री बाबू और अनवर बाबू को लड़ाने की बात हुई' श्री विनोभा नंद सहाय, श्री के.वी. सहाय और श्री महेश बाबू को लड़ाने की बात हुई। अभी भी केंद्र सरकार की ओर से सौतेला व्यवहार बिहार के साथ बराबर किया जा रहा है।

महोदय, खनिज संपदा चार बरस पहले चली गई। उस खनिज संपदा के हम मालिक थे। हमको मालिकाना रायल्टी देने की बात थी। मूल्य आधारित रायल्टी नहीं दी गई। दिल्ली वाले सारी संपदा के मालिक हो गए और हम लोग ठेकेदार के रूप में हैं। हमको जो चाहे दया से दे सकते हैं। हमको रायल्टी मूल्य के आधार पर नहीं दी गई। तीन वर्षों के बाद रायल्टी का रिवीजन होता है। वह भी नहीं किया गया है।

महोदय, हमारे सभी लोग इसकी बगावत करते रहे। बड़े-बड़े कल-कारखाने, चाहे वे झारखंड में हों, बोकारो में हों या हटिया में हों, चाहे वह टाटा का कारखाना हो, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर का कारखाना हो, चाहे वह सेंट्रल सैक्टर का कारखाना हो या स्टेट सैक्टर का, उनके हैडक्वार्टर्स कलकत्ता, मुम्बई अथवा दिल्ली में हैं। कच्चा माल हम देते हैं, उसकी रक्षा हमारी पुलिस करती है, उसको निकालने के लिए बिजली और पानी कम कीमत पर, सस्ते दाम पर हम देते हैं, लेकिन किसी का हैडक्वार्टर कलकत्ता में है, किसी का मुम्बई में है और किसी का दिल्ली में है। इसके कारण इन्कमटैक्स, सेल्सटैक्स और कंसाइनमेंट टैक्स के रूप में जो धन बिहार को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है और इन बड़े-बड़े शहरों को चला जाता है।

महोदय, बिहार के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। लोहा बिहार में पैदा होता है और साइकिल पंजाब में बनती है। पूरे देश के लोगों ने बिहार को एक कंजूमर मार्केट समझा है। हमारी सम्पदा है और हमें ही लाभ नहीं मिलता है। आप तीन-चार चीजों को देखेंगे, तो आप स्वयं पाएंगे कि बिहार के साथ कैसा अन्याय हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रघुनाथ झा जी, आप अपना भाषण जारी रखिए और हमें एड्रैस कर के बोलिए। श्री रघुनाथ झा जी के भाषण के अतिरिक्त, कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: महोदय, संसद का गठन हुआ, तो देश के नेताओं ने देश के क्रमिक और त्वरित विकास के लिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया। प्रथम प्लानिंग कमीशन की बैठक का उद्घाटन करते हुए, देश के प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने, योजना आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से कहा था कि जहां हमें एक ओर देश का क्रमिक और त्वरित विकास करना होगा वहां दूसरी ओर क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना होगा और गरीबी की खाई और अमीरी के पहाड़ के बीच जो दूरी है उसे पाटना होगा, लेकिन अफसोस के साथ

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कहना पड़ रहा है कि उन्हीं के परिवार के लोगों ने, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, जो भी योजना बनीं, इस देश का इस हिसाब से भेदभाव किया कि गरीबी की खाई बढ़ती चली गई और गरीब और गरीब होते गए, तथा अमीरी का पहाड़ और ऊंचा होता चला गया अर्थात् अमीर और अमीर हो गए। स्थिति यह हो गई कि जो गरीब थे वे और गरीब हो गए, जो पिछड़े थे वे और पिछड़ गए।

महोदय, हम अधिक समय न लेकर, बहुत संक्षेप में बात करना चाहते हैं। जिस बात का जिक्र माननीय नीतीश जी ने किया था, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। हम लोग एन.डी.ए. के साथ थे और उनके दल में थे। जार्ज फर्नान्डीज के निर्देशों की अवहेलना कर के हमने इस सवाल को उठाया और कहा कि बिहार के पुनर्गठन के बाद, बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज मिलना चाहिए। बिहार की स्थिति का आकलन करने और उसे विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने, श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में हमने मैमोरेंडम देने का काम किया, लेकिन आज तक उसका लाभ नहीं मिला और केवल आई-वॉश करने का काम हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि नेपाल से निकलने वाली नदियों के बारे में कौन वार्ता करेगा, क्या बिहार की सरकार, क्या वहां के गवर्नर वार्ता करेंगे, क्या उनको वार्ता करने का अधिकार है? वे वार्ता नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वह अधिकार प्राप्त नहीं है। नेपाल से भारत के वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम साहब वार्ता करेंगे, उससे भारत के प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह वार्ता करेंगे, लेकिन कब करेंगे, क्या हमें और हमारे बिहार को इसी तरह बर्बाद होते हुए आप देखना चाहते हैं? देश के दूसरे हिस्सों में या समुद्र में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसकी भरपाई सारे देश को करनी पड़ती है। हम लोग भी अपना शेयर देते हैं। उड़ीसा में चक्रवात आया, गुजरात में भूकम्प आया, चाहे देश के किसी भी हिस्से में कोई विपत्ति आए, सारा देश सहायता करता है और बिहार भी अपना हिस्सा देने में कभी पीछे नहीं रहता, लेकिन नेपाल से निकलने वाली नदियां जो बिहार की बर्बादी करती हैं, उन्हें रोकने के लिए अथवा उनसे होने वाली बिहार की बर्बादी की भरपाई कौन करेगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अगर बिहार के प्रति थोड़ी भी सरकार की भावना हो, बिहार को देखना चाहते हैं, उसे मजबूत करना चाहते हैं तो इन्हें बिहार के बारे में सोचना पड़ेगा। बिहार की गरीबी, बेबसी और बेरोजगारी को देखना पड़ेगा।

महोदय, आज यह कहा जाता है कि 15 वर्ष में श्री लालू जी ने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार को कितना धन मिला? अगर श्री नीतीश जी भी मुख्य मंत्री पद पर बैठ जाते तो वे क्या करते? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि -

चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गईं होंगी,
यही इल्जाम इन पर लग रहे हैं बेवफाई के,
मगर कलियों को जिसने रोंद डाला अपने हाथों से,
वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का

सभापति महोदय, आज बिहार की स्थिति को पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर समझने की जरूरत है। जैसे श्री नीतीश जी ने कहा कि उसके रोग के निदान को खोजने की जरूरत है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय: झा जी, अब आप कंक्लुड कीजिए।

श्री रघुनाथ झा: सभापति महोदय, हम दो मिनट में खत्म करते हैं। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी जो मांग है और मेमोरेंडम पड़ा है, आपने जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वायदा किया था और श्री आडवाणी जी ने साफ कहा था कि हम एक राज्य को गरीब और एक को अमीर नहीं बनने देंगे। उसका क्या हुआ? आपने मिनिमम प्रोग्राम में भी इस बात का जिक्र किया है, उसके बाद भी आपने इसमें हमें कोई लाभ नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, हमें भी बोलना है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: महोदय, सुशील मोदी जी नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा?

सभापति महोदय: मोदी जी को भी बुलवा लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): वित्त मंत्री जी, इन पर थोड़ी मेहरबानी कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: सभापति महोदय, यू.पी.ए. का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है:-

[अनुवाद]

"समय-समय पर, पिछली सरकारों ने पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार और जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने बिहार के लिए 1989 में विशेष विकास पैकेज की घोषणा की थी और तत्पश्चात् राजस्व हानि की पूर्ति के लिए 1999 में बिहार के विभाजन के समय एक और पैकेज की घोषणा की गई थी। इन पैकेजों को शीघ्र लागू किया जाएगा।"

[हिन्दी]

उसमें वित्त मंत्री जी ने हमें क्या दिया है, मैं आपको दो-तीन आंकड़े बता देता हूं। बिहार की पर-केपिटा इंकम 3,345 रुपए है, जहां राष्ट्रीय औसत 12,870 रुपए है। विद्युत के उत्पादन के लिए हमारे यहां कम से कम 2000 मेगावाट की आवश्यकता है। भविष्य का प्लान पूरा करने हेतु हमें 60 हजार मेगावाट चाहिए, इसलिए उसका पैसा हमें देने की व्यवस्था कीजिए। सिंचाई में नेशनल एवरेज 40 प्रतिशत है और बिहार में 20 प्रतिशत है। जमीन की सिंचाई के लिए पानी दिया जाए। इसके लिए तरह-तरह के प्रोग्राम टेक-अप किए जाएं। हमारे यहां नदियों से, वर्षा से 10,000 से अधिक हैक्टेयर में जल-जमाव है। हमारे यहां मोकामा टाल, बढ़ैया टाल है। हर साल गंगा नदी से सैंकड़ों गांव गंगा में विलीन हो जाते हैं और कटाव होता है। खेत, जमीन बर्बाद हो जाती है। इसलिए हम मांग करना चाहेंगे कि उसके लिए हमें विशेष पैसा दिया जाए। उसी तरह से गंगा नदी के दोनों तरफ जमीन और मकानों का कटाव होता है। फूड फॉर वर्क योजना में 150 जो पिछड़े जिले लिए गये हैं, उनमें बिहार के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है कि कितने जिले हैं, लेकिन हम लोग सुनते हैं कि 15 जिले हैं। उसका आधार क्या है, पूरे नोर्थ बिहार के जो सबसे ज्यादा नुकसान वाले जिले हैं, पश्चिमी चम्पारन से लेकर, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारन, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, यह जो पूरा इलाका है, यह पूरा नदियों से बर्बाद होता है, इनको किस आधार पर आपने छोड़ने का काम किया है? ये बैकवर्ड जिले हैं कि नहीं हैं, जो बर्बाद हो जाते हैं? जहां दो फसल हो सकती हैं, वहां हमारी एक फसल होती है। सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारा बर्बाद होता है। एक हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का हमको नुकसान होता है, उसकी भरपाई हमें करने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* हम अपनी बात बताकर खत्म करेंगे। निवेदन तो अन्त में होता है।

सभापति महोदय: अब कन्क्लूड किया जाये।

श्री रघुनाथ झा: आपने वर्ष 2005-2006 में जो 12वें वित्त आयोग से पैसा आबंटित होने वाला है, उसमें 10,172 करोड़ रुपये रिकमेण्डेड हैं, जबकि पीछे हमें मात्र 2683 करोड़ रुपये मिले हैं। हैल्थ सैक्टर में 5887 करोड़ रुपये में से बिहार को मात्र 1819.90 करोड़ रुपये मिले हैं। सड़कों और पुलों के कार्य के लिए जहां 15 हजार करोड़ रुपये मिले हैं, बिहार को मात्र 303 करोड़ रुपये मिले हैं।...*(व्यवधान)* वनों के रख-रखाव के लिए एक हजार करोड़ रुपये में से बिहार को मात्र पांच करोड़ रुपये दिये गये हैं। हमारी संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए कुल 632 करोड़ रुपये में से बिहार को मात्र 40 करोड़ रुपये दिये हैं। राज्यों की विशेष आवश्यकता के लिए 7100 करोड़ रुपये में से बिहार को 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, लेकिन बहुत कम दिया गया है।

अन्त में हम अपनी बात खत्म करते हैं। बिहार के बैंकों में जो भिन्न-भिन्न लोग पैसा जमा करते हैं, बिहार के शिक्षक, बिहार के कर्मचारी, बिहार के व्यापारी, बिहार के अध्यापक, बिहार के प्राध्यापक, वकील वगैरह जो बिहार के सब लोग बिहार के बैंकों में पैसा जमा करते हैं, उसका सी.डी. रेश्यो क्या है? वह हमारा पैसा है और ये लोग हमारा पैसा काट लेते हैं। वह पैसा हमारे राज्य में खर्च नहीं होता। रिजर्व बैंक की डायरैक्शन के हिसाब से हमें उसका 37 परसेंट मिलना चाहिए, जबकि ये हमें मात्र 15 परसेंट दे रहे हैं। हमारा पैसा हमें कौन देगा, यह हम जानना चाहते हैं? हमारा हकमारी करने वाले लोगों की बात बिहार में बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है।

सभापति महोदय: अब समाप्त कीजिए।

श्री रघुनाथ झा: इसी तरह से मैं नदियों के बारे में कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, हमने खत्म कर दिया। जब तक नेपाल में हाई डैम नहीं बनाये जाएंगे, चाहे वह बागमती पर हो, चाहे अदवाड़ा समूह पर हो, गंडक पर हो और जब तक इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा, तब तक काम नहीं चलेगा।

मैं अन्त में वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं, निवेदन करता हूं कि बिहार का हिस्सा आप देने का काम कीजिए। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप जानते हैं कि कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)...*

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): मुझे यह पता है कि सभी सदस्य थके हुए होंगे और कार्यवाही स्थगित करना चाहते होंगे।

यह एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति है जिसमें एक निर्वाचित सदस्य को यहां उन दायित्वों का निर्वहन करना पड़ रहा है जो कि सामान्यत: राज्य की विधान सभा का कार्य होना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी मांगें माननीय वित्त मंत्री के सामने रखना शुरू करूं, जो लोग आज तर्क को नकार रहे हैं और बिहार में एक लोकप्रिय सरकार बनने के रास्ते में खड़े हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि किसी को छोड़ने के लिए अथवा उसके माध्यम से कोई राजनीति नहीं हो सकती। एक अत्यधिक सहिष्णु, संवेदनशील प्रयास राष्ट्रवादी राजनैतिक पार्टी होने के लिए हमारी पार्टी को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अत:, उन्हें आगे बढ़कर बिहार में एक लोकप्रिय सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। बिहार में आजकल राष्ट्रपति शासन है और यह सभा आज बिहार के बजट पर चर्चा करने के लिए समवेत हुई है। बिहार के संबंध में माननीय वित्त मंत्री से मेरा कोई मतभेद नहीं है। आज हम जिस बदहाली में हैं उसके लिए मैं उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। किन्तु मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूं कि अपनी व्यापक आर्थिक नीतियों को अजमाने के लिए उनके पास पूरा भारत पड़ा हुआ है। बिहार कुछ सूक्ष्म आर्थिक प्रबंधन से ही ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है। वित्त मंत्री को शायद जब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन है कम से कम तब तक के लिए वहां पर क्या हो रहा है इसकी निगरानी रखने के लिए अपने मंत्रालय में अथवा दो या तीन मंत्रालयों में एक बिहार प्रकोष्ठ बनाना चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा ताकि मैं अपनी बात शीघ्र समाप्त कर सकूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्णियां और पटना के बीच 300 कि.मी. की दूरी हैं। बीस साल पहले मैं कार से इस दूरी को साढ़े चार घंटे में तय कर लेता था किन्तु आजकल कार से इस दूरी को तय करने में 12 घंटे और ट्रक से 24 घंटे से अधिक समय लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्थिति के लिए आर.जे.डी. की सरकार बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। यह लालू प्रसाद जी की गलती नहीं है। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपने प्रति लिटर डीजल पर 1.50 रुपये डीजल उपकर लगाया है। ट्रक में पांच गियर होते हैं। पांचवां गियर सबसे अधिक कार्य कुशलता वाला गियर है। इस मार्ग पर चलने वाले चालक विरले ही तीसरे गियर में गाड़ी चला पाते हैं जिससे औसत से तीन गुना अधिक डीजल की खपत होती है। अत: वे केवल बिहार से गुजरने के लिए बिना किसी दोष के तीन गुना डीजल उपकर का भुगतान कर रहे हैं, जो कि पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। वे आपको तीन गुना उपकर का भुगतान कर रहे हैं।

अब हम ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की बात करते हैं। आपके बजट में इस बारे में बहुत कुछ सुना गया। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक सर्वेक्षण कराया है। केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पुलों और छोटी पुलियाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता होगी। इसके लिए किस प्रकार का धन उपलब्ध है? मैं बजटीय प्रावधानों के विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपने जल्दबाजी में यह किया होगा। इसके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल था।

अब मैं इन्दिरा आवास योजना की चर्चा करता हूं। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। पिछले बजट में इस कार्यक्रम के लिए अपने 2000 करोड़ रुपये का विशाल धनराशि का आवंटन किया था। इस साल आपने 2500 करोड़ रुपये दिए हैं। राज्य के अंशदान को जोड़कर यह धनराशि 3,150 करोड़ रुपये हो जाती है। इसका अर्थ है पूरे भारत में 12,50,000 इंदिरा आवास। ये 12,50,000 आवास बिहार के केवल चार जिलों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। अगर हम गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों को देखें तो केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही 300,000 आवासों की आवश्यकता होगी। मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह से कह रहा था कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम भाग तो रहे हैं पर अंत में पाते हैं कि हम उसी स्थान पर खड़े हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगले वर्ष आवास हेतु पात्र बी.पी.एल. परिवारों की संख्या फिर से उतनी ही हो जाएगी जितनी कि आज है। अत: मैं नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं।

अब, इन योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर मोह भंग हो रहा है। हमारे गांवों में जब गरीब लोग यह पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं अथवा जब उन्हें बताया जाता है कि उनके लिए इंदिरा

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री उदय सिंह]

आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अथवा अन्नपूर्णा योजनाएं बनाई गई हैं, तो वे महसूस करते हैं कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने उन्हें कुछ दिया है। किन्तु दी गई राशि इतनी छोटी होती है कि उन तक कुछ भी नहीं पहुंचता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: वित्त मंत्री जी थके हुए हैं और सदस्य भी थके हुए हैं। आप जो बोलना चाहते हैं, जल्दी बोल लीजिए।

सभापति महोदय: आप जल्दी खत्म कीजिए।

श्री उदय सिंह: महोदय, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा।

[अनुवाद]

संक्षेप में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन के इस दौर को हम फिर से संभलने के एक अवसर के रूप में देखते हैं और हम उस प्रगतिशील भारत को देख सकें जिसने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। यह बात मैं इनके विवेक पर छोड़ता हूं कि वे बिहार के विकास के लिए किस प्रकार अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करते हैं जिससे कि हम आगामी कुछ महीनों में वह सब प्राप्त कर सकें जो हमें अब तक नहीं मिला है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। नीतीश कुमार जी चले गए हैं, लेकिन उनके एन.डी.ए. के सहयोगी बैठे हैं। लम्बी-चौड़ी बातें कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि एन.डी.ए. की सरकार ने...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह: बिहार के लिए साथ में लड़ लेते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, एन.डी.ए. की सरकार ने बिहार के साथ कितना न्याय किया है मैं यह बताना चाहता हूं। इनकी सरकार सन् 1998 में बनी जो सन् 2004 तक रही। जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनके तहत गांव और गरीबों का विकास हो सकता है, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना आती है। इंदिरा आवास योजना और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत पानी आदि कई ऐसी चीजें हैं जिन पर मात्र 1800 करोड़ रुपये की कटौती की गई।...*(व्यवधान)* कृषि विभाग में छः वर्षों के दौरान 600 करोड़ रुपये बिहार का हिस्सा था, लेकिन उसे केवल 60 करोड़ रुपये मिला। यह न्याय एन.डी.ए. सरकार ने बिहार के साथ किया। ग्रामीण विद्युतीकरण देश की बेसिक समस्या है। श्री नीतीश कुमार बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे थे। सुशील मोदी जी चले गए। मैं बताना चाहता हूं कि एन.डी.ए. के कार्यकाल में देशभर में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दस हजार करोड़ रुपये दिये गए जबकि बिहार को एक पैसा भी नहीं दिया गया। बिहार की बाढ़ और सुखाड़ के बारे में श्री रघुनाथ झा ने विस्तार से चर्चा की। कई अन्य माननीय सदस्यों के माध्यम से भी उसकी चर्चा की गई। बाढ़, सुखाड़ और जल जमाव, जो हमारी मूल समस्या है, उससे सिर्फ उत्तर बिहार में एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो जाता है। कटाव पीड़ितों के लिए, बाढ़, सुखाड़ एवं जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए हमें एक रुपया भी देने का काम नहीं किया गया।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: बिहार के साथ शुरू से जो भेदभाव हुआ, वह बताइये।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: मैं वह भी बता रहा हूं। सारे नैशनल हाईवे, जो मात्र 34 किलोमीटर है, हमें कोई पैसा नहीं मिला। हमें 700 किलोमीटर में पैसा मिलना चाहिए था लेकिन एक पैसा नहीं दिया गया।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: बाढ़ के स्थायी समाधान के बारे में बताइये।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की उपेक्षा आजादी के बाद से ही हुई। सब लोगों ने बिहार का शोषण करने का काम किया। आज तक बिहार को उसका हक नहीं मिला। हम आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: बिहार का सीडी रेशियो, जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स के अनुसार 33 प्रतिशत होना चाहिए, वह मात्र 15 प्रतिशत है। आप उसे बढ़ाने का काम करें। बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी के बारे में माननीय झा जी ने बताया। आप कैसे कहते हैं कि बिहार आगे बढ़ेगा। आप बिहार को उसका हक नहीं देना चाहते। आप बिहार के साथ सिर्फ न्याय कीजिए और बिहार को छलांग लगाने का काम कीजिए। बिहार को देश के दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में लाने का काम करें।

यहां राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की गयी। हमारे 15 साल के शासन के विषय में कहा जा रहा है। मोदी जी बता रहे थे कि बिहार में अमन-चैन हो गया है। मैं आपकी इजाजत से उद्धृत करना चाहता हूं कि दैनिक हिन्दुस्तान में छपा है - पैसा दो, नहीं तो जान दो।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राम कृपाल यादव जी, आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: हमारे पटना संसदीय क्षेत्र में अपराधियों द्वारा करीब सात डाक्टरों को चिट्ठी दी गयी, धमकी दी गयी और यहां कहा जा रहा है कि वहां अमन चैन है। राष्ट्रपति शासन कोई विकल्प नहीं है।...*(व्यवधान)* सिर्फ चुनाव में ही लोग नजर आते थे और कहीं इनका अता-पता ही नहीं था। जानबूझकर मुख्य मंत्री राबड़ी देयी को बदनाम करने की साजिश की गयी। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर बिहार का हित करना चाहते हैं तो बिहार के साथ न्याय कीजिए। बिहार को स्पेशल पैकेज दीजिए। आप पंजाब का कर्ज माफ कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज दे सकते हैं, उत्तरांचल और झारखंड को दे सकते हैं तो बिहार को क्यों नहीं दे सकते। क्या बिहार देश का भाग नहीं है? क्या बिहार के साथ न्याय नहीं होगा? वित्त मंत्री जी, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर बिहार के साथ न्याय करेंगे और बिहार को विशेष पैकेज देकर उसकी जो हकमारी हुई है, उसके साथ न्याय करके बिहार के गरीबों का उत्थान करेंगे। आप इंदिरा आवास के तहत पैसा देंगे। बिहार की जो सबसे बड़ी जल जमाव की समस्या है, उसके लिए पैसा देने का काम करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: जो पैसा दिया गया है, उससे बिहार के लोग संतुष्ट नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। अब कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री अब उत्तर देंगे।

*(व्यवधान)**...

सभापति महोदय: श्री यादव, कृपया बैठ जाइए। वित्त मंत्री के भाषण के अतिरिक्त, कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब मैं माननीय वित्त मंत्री को आमंत्रित करता हूं।

*(व्यवधान)**

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): सभापति महोदय, इस चर्चा को सामान्य रूप से बिहार विधानसभा में किया जाना चाहिये था। दुर्भाग्यवश, बिहार के चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और इसीलिये हम यहां पर है। मैं बिहार के माननीय सदस्यों की चिंता और व्यथा को समझ सकता हूं। परन्तु इसका उत्तर इस सभा में नहीं है। इसका उत्तर बिहार में है। इसका उत्तर इसमें है कि किस प्रकार से राजनैतिक दल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका उत्तर इसमें है कि किस प्रकार से राजनैतिक दल बिहार के लोगों को विश्वास दिलाते है कि उनके पास बिहार में एक अच्छी सरकार देने की क्षमता और बुद्धि है।

आज यू.पी.ए. सरकार केवल एक कार्यनिर्वाहक सरकार है। बिहार के पिछड़ेपन के लिये राष्ट्रपति शासन हल नहीं है। राष्ट्रपति शासन अपनी परिभाषा से ही एक अस्थायी और लघु अवधि उपाय है जब तक कि बिहार में राजनैतिक स्थिति इस प्रकार से स्थायी आकार नहीं ले लेती है कि एक सरकार बिहार में बनाई जा सकती है।

मैं यहां पर आपके सामने बिहार सरकार के कार्य करने के लिये केवल अस्थायी व्यवस्था के रूप में उपस्थित हूं। हम पांच माह से लेखानुदान के लिये कहा हैं। परन्तु मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी यदि इस व्यवस्था को एक माह अथवा दो माह में समाप्त किया जा सके और बिहार में एक सरकार बनाई जाए। इसी दौरान, निस्संदेह हम पूरे प्रयास करेंगे। यह सब भावना, यह सब गुस्सा और यह पीड़ा की भावना एक प्रकार से इस सभा में वास्तव में व्यर्थ ही हुई है। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि भावों को बुद्धि, सहयोग और बिहार में एक अच्छे शासक के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिये। मैं यह आशा करता हूं कि सभी दलों के सदस्य

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और भविष्य में बिहार में एक सरकार देने के लिये एक साथ कार्य करेंगे।

ऐसा प्रतीत होता है कि धन एक समस्या है। धन हमेशा ही एक समस्या है। धन किसी भी वित्त मंत्री के लिये एक समस्या है - चाहे वह इस देश का हो अथवा किसी अन्य राज्य का। मुझे नहीं लगता कि बिहार में धन एकमात्र समस्या थी। चालू वर्ष 2004-2005 हेतु संशोधित अनुमानों में राज्य कर और गैर-कर राजस्व 3789 करोड़ रुपये है जो बजट अनुमान से गिरावट है। तथापि, भारत सरकार से अनुदानों, शुल्कों और केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में बजट अनुदान में 11,958 करोड़ रुपये से बढ़कर संशोधित अनुमान में 13,006 करोड़ रुपये हुआ था। भारत सरकार ने बजट से भी ज्यादा धन दिया परन्तु राज्यों के अपने राजस्व में गिरावट आई। उसी तरह, राजस्व लेखा के संबंध में यद्यपि बजट अनुमानित राजस्व व्यय 16,341 करोड़ रुपये था परन्तु वास्तव में 17,137 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। पूंजी लेखा के संबंध में राजस्व का 7534 करोड़ रुपये आकलन किया गया था परन्तु वास्तव में उन्होंने 8475 करोड़ रुपये वसूल किए थे। इसीलिये, चालू वर्ष में केन्द्र से अधिक धन मिला है, केन्द्र से और अधिक अनुदान राशि प्राप्त हुयी है, केन्द्र से करों की और अधिक हिस्सेदारी और पूंजी लेखा से और अधिक प्राप्तिया हुई हैं। वास्तव में प्रश्न यह है कि किस प्रकार से यह व्यय बिहार में परिणाम में बदलता है। वर्ष 2005-2006 में राजस्व प्राप्तियों का आकलन 18,719 करोड़ रुपये किया गया है। इसीलिये, चालू वर्ष हेतु संशोधित अनुदान पर 1,923 करोड़ रुपये की वृद्धि है। इसके अलावा, राज्य के राजस्वों का आकलन 4,290 करोड़ रुपये किया गया है। चालू वर्ष के संशोधित आकलन पर 500 करोड़ रुपये की वृद्धि है। केन्द्रीय करों, शुल्कों और अनुदान सहायता में राज्य का हिस्सा 14,429 करोड़ रुपये है। चालू वर्ष के संशोधित आंकलन पर 1422 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। पूंजी लेखा के संबंध में प्राप्तियां 7,100 करोड़ रुपये है। इसीलिये, मेरा विश्वास है कि पर्याप्त धन उपलब्ध है। यदि आवश्यक हो तो और अधिक धन उपलब्ध कराया जा सकता है।

महोदय, यह कहना सही नहीं है कि हमने पिछले वर्ष किये गये वायदे को निभाया नहीं था। यह चर्चा करने पर बहुत सारी ऊर्जा खर्च की गई है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना ने एन.डी.ए. सरकार के दौरान क्या दिया और यू.पी.ए. सरकार के दौरान क्या किया। तथ्य क्या हैं? राष्ट्रीय सम विकास योजना की घोषणा वर्ष 2002-2003 में की गई थी। उस वर्ष में एन.डी.ए. सरकार ने उस योजना के तहत बिहार को केवल 18.40 लाख रुपये दिये न कि 18.40 करोड़ रुपये। महोदय यह केवल 18.40 लाख रुपये है जिसके बारे में मेरे मित्र श्री नीतीश कुमार जी बता रहे है।

वर्ष 2003-2004 में, राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत बिहार के लिये 445.75 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। जब हम कार्यालय आये तब मैंने यह कहा था कि बिहार, जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्व राज्यों हेतु एन.सी.एम.पी. वायदों के तहत वर्तमान के लिये 3,225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और यदि आवश्यकता हुई तो इस राशि में वृद्धि की जायेगी। यह घोषणा 8 जुलाई, 2004 को की गई थी और यह लगभग नौ माह पहले की गई थी और इस घोषणा के पश्चात् एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। इस घोषणा के पश्चात् 2,531.35 करोड़ रुपये की सात परियोजनाओं को दसवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु चिन्हित किया गया है। जिस तारीख को की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया उस दिन 621.56 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। आज तक 756.37 करोड़ रुपये जारी किये गये है। यह 756.37 करोड़ रुपये की राशि 2,581.37 करोड़ रुपये की कुल राशि में से बिहार के लिये 29% है।

अपराह्न 5.37 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

मैंने बार-बार बिहार से माननीय सदस्यों को जो मुझसे मिले थे यह कहा है कि यह बिहार सरकार का काम है कि परियोजनाओं को तैयार करे और उन्हें अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करे। हमारे पास जो प्रणाली है उसके अन्तर्गत धन तब तक जारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि परियोजनाओं को तैयार करके, क्लीयर करके तथा अनुमोदन हेतु सौंपा नहीं जाता है। योजना आयोग ने उनसे परियोजनाओं को सौंपने के लिये बार-बार कहा है और हम परियोजनाओं की जांच करेंगे और जैसे ही हम अनुमोदन देते है धन को जारी किया जायेगा। मैंने आज यही बात कही है। बिहार राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है। अब, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजनाओं को समुचित ढंग से तैयार किया जाये और भारत सरकार को सौंपा जाये और जब उन परियोजनाओं को क्लीयर किया जाये तब धन जारी किया जायेगा - धन बिहार की समस्याओं से निपटने के लिये बाधा नहीं है।

महोदय, श्री नीतीश कुमार जी ने नई योजनाओं, जिसे हमने वर्ष 2004-2005 में शुरू किया था, के बारे में मुझ से पूछा था। यह ऐसा है कि जैसे वर्ष 2004-2005 दस वर्ष की अवधि थी। जहां तक हमारा संबंध है वर्ष 2004-2005 केवल 8 जुलाई को शुरू हुआ और हम केवल 14 मार्च, 2005 पर है। बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नई योजनायें शुरू हुई है। मध्याह्न भोजन योजना आदि सभी योजनाओं को वर्ष 2004-2005 में नये सिरे से शुरू किया गया है।

मेरे पास विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण और शहरी क्षेत्रों में जल निकासी आदि के लिये योजनाओं की पूरी सूची है। वर्ष 2004-2005 में जल-निकासी के लिये 18 योजनाओं को 1.27 करोड़ रुपये के व्यय के साथ चिन्हित किया गया है परन्तु अगले वर्ष हम इन योजनाओं पर 42 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण पर 95.53 करोड़ रुपये की योजनाओं को वर्ष 2004-2005 में चिन्हित किया गया है परन्तु अगले वर्ष में 102 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे है।

महोदय, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 12वें वित्त आयोग में बिहार को विशेष तवज्जो दी गई है। 11वें वित्त आयोग की पांच वर्ष की अवधि में बिहार को कुल समभागीय पूल में से 35,353 करोड़ रुपये का हिस्सा प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् इसे विभिन्न शीर्षों के तहत अनुदान प्राप्त हुआ। मैंने अभी एक त्वरित गणना की है। इसके अनुसार, 11वें वित्त आयोग के अंतर्गत संपूर्ण पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार को 36,607 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 12वें वित्तीय आयोग के अंतर्गत बिहार को 75,646 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसमें दो विशेष घटक भी शामिल होंगे। बिहार सातवां और आठवां ऐसा राज्य है जिसे क्रमशः स्वास्थ्य तथा शिक्षा हेतु विशेष अनुदान के लिए चिन्हित किया गया है। इसके बारे में मैंने अपने बजट भाषण में चर्चा की थी। केवल सात और आठ राज्यों को क्रमशः स्वास्थ्य और शिक्षा हेतु विशेष अनुदान के लिए चिन्हित किया गया है। बिहार उन्हीं राज्यों में से एक है इसलिए 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत बिहार को काफी धनराशि प्राप्त होगी तथा पांच वर्षों के दौरान उन्हें भारत सरकार से कुल 75,646 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी इसके साथ राज्य के अपने स्रोतों द्वारा राज्य के अपने राजस्व भी अलग से प्राप्त होंगे।

महोदय मेरे विचार से, यदि बिहार के सभी नेता स्वर से स्वर मिलाएं, जैसे उन्होंने आज यू.पी.ए. सरकार से मांग करते हुए किया है, तथा बिहार में अच्छा शासन देने हेतु मिलकर कार्य करें तो बिहार भारत के सुशासित तथा अधिक समृद्ध राज्यों में अपना स्थान क्यों नहीं बना पाएगा? यह संभव है। ऐसा पंजाब में हुआ है। पंजाब में भी राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता है, लेकिन आज पंजाब, 3 प्रतिशत से भी कम गरीबी अनुपात के साथ एक समृद्ध राज्य है।

उपाध्यक्ष महोदय: लेकिन शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक मौजूद नहीं हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: इसलिए अब आपको शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

केरल शतप्रतिशत शिक्षित राज्य है, लेकिन पंजाब की तरह समृद्ध नहीं है। उन्हें औद्योगीकरण पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। 12वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि तथा सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के लिए घोषित 5,000 करोड़ रुपये, जो कुल मिलाकर पांच वर्षों में 25,000 करोड़ रुपये बनते हैं, मेरा विचार है कि प्रत्येक राज्य को अपनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार जी ने मुझसे पूछा था कि अस्थायी व्यवस्था क्या है। इसमें कुछ भी गुप्त नहीं है। योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान हेतु 170 जिलों की पहचान की है। 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' के कुछ जिले, 170 जिलों के तहत नहीं आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सम विकास योजना वर्ष 2006-07 तक ही लागू है। इसलिए वे जिले जो पिछड़े क्षेत्र अनुदान के अंतर्गत नहीं आते है उनकी केवल वर्ष 2006-07 तक ही देखरेख की जाएगी। इसके दौरान, पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि से पांच हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से वह पैसा आना शुरू हो जाएगा तथा इस पांच वर्ष की अवधि के दौरान 25,000 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे इसलिए पैसा उपलब्ध है। हमें केवल सुशासन, अच्छी परियोजनाएं, परियोजनाएं हेतु अनुमोदन चाहिए बिना बरबादी तथा दुर्विनियोजन के परियोजनाओं का निष्पादन हो ताकि वर्ष के अंत में हम कह सकें कि हमने 'क' हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए तथा सड़कों, सिंचाई, विद्यालयों, भवनों तथा अन्य सभी परियोजनाओं के संदर्भ में यह विकास हुआ है।

महोदय, मुझे यकीन है कि यदि बिहार के नेता एक जुट हो जाएं तो, पांच वर्ष के दौरान बिहार को अच्छी सरकार देने

[श्री पी. चिदम्बरम]

हेतु उपाय खोजना उनके लिए संभव होगा ताकि पांच वर्ष के अंत में वे पुनर्वलोकन करें तथा कह सकें कि शायद हमने भूत काल में कुछ गलतियां की थी परंतु आज हम अच्छा शासन दे रहे हैं। लेकन यह संपूर्ण रूप से राजनैतिक दलों तथा बिहार के नेताओं के हाथों में है। हम केवल मदद कर सकते हैं। हम सहायता करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें बिहार में अच्छी सरकार देने हेतु संगठित होना पड़ेगा। मुझे वास्तव में यकीन है कि यह व्यवस्था अंतरिम, अल्पकालीन व्यवस्था होगी, लेकिन शीघ्र ही बिहार में एक लोकप्रिय सरकार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि लेखा अनुदान पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पर माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस समय बिहार का बंटवारा हुआ था, उससे सम्बन्धित बिल के पेज संख्या-45 के पैरा-तीन पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ था। बिहार जो बंटा हुआ है, बाकी बिहार के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी को निर्णय करना था कि बिहार के लिए विस्तार से क्या कर रहे हैं। आज बिहार का बजट पास होने जा रहा है, संयोग से आप भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं, हमने कई सवाल बिहार के बारे में उठाए हैं। बिहार उन आठ राज्यों में एक है, जहां स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आपने कहा। लेकिन अलग से बिहार के लिए आपने क्या किया, यह बताना चाहिए?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: जब मैंने शिक्षा के बारे में कहा था तो वे यहां मौजूदा नहीं थे, बारहवें वित्त आयोग ने केवल आठ राज्यों को अनुदान दिया है तथा बिहार को 2,683 करोड़ रुपये दिए हैं जो आठ राज्यों को दी जाने वाली कुल धनराशि का 26 प्रतिशत है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य पर भी यह केवल सात राज्यों को दिया गया है तथा बिहार उन सात राज्यों में से एक है, जिसे 1,819 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो सभी सात राज्यों को दी जाने वाली कुल धनराशि का 31 प्रतिशत है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2005-06 के लिए लेखा अनुदान मांगें (बिहार) मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मांग संख्याओं 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33 तथा 35 से 52 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशियां बिहार राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2004-05 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (बिहार) मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांग संख्याओं 1 से 4, 9, 10, 12, 18, 20, से 24, 26, 27, 30, 33, 36 से 46 तथा 48 से 52 के संबंध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष में संदाय के दौरान हुए खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां बिहार राज्य की संचित निधियों में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.47 बजे

बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अबहम मद संख्या-8 - बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर चर्चा करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2005-06 के एक भाग की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-2 दिनांक 19-3-05 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के एक भाग की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमदि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित * करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के एक भाग की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के एक भाग की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड-1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.52 बजे

बिहार विनियोग विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुर:स्थापित ** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-2 दिनांक 19-3-05 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री पी. चिदम्बरम]

संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम, विधेयक में जोड़ दिये गए।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: धन्यवाद महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा 21 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 5.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 21 मार्च, 2005/30 फाल्गुन, 1926 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौज पुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।